खण्ड-300, अंक-5
शनिवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(16 दिसम्बर, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 16 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 1। बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--345

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुब, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चिरंजी लाल, श्री

चेतराम गंगवार, श्री
छेदी लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्भा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा0 मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे0 एन0 सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री.
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धमवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मवीर सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
रेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
रोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री.
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भजेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)

भामी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम देव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़-रानी की सराय)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री

राव अब्दुर्रा खां, फेथ्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुमिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री

हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

पिथौरागढ़ में छात्रों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज कोई प्रश्न नहीं है । इसलिये मैं काम रोको प्रस्ताव लिये लेता हूं । काम रोको प्रस्तावों में एक तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का है पिथौरागढ़ में पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली बरसाने के संबंध में है । मैंने इसको नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है और आज ही विशेष परिस्थिति में इस पर वक्तव्य हो जाये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, पिथौरागढ़ की स्थिति यह है कि वहां बहुत सी अनियमितायें चल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आज शाम को ही इस पर वक्तव्य दिला देंगे । उसके ऊपर आप उनसे प्रश्न पूछें ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, हमारा नियम 56 के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष--

हमने उसको नियम 51 में स्वीकार किया है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

उसी में इसको जोड़ लिया जाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने नियम 51 में इसको स्वीकार कर के इसके महत्व को कम कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके वक्तव्य और उनके वक्तव्य से मालूम होगा जो आप उनके वक्तव्य के ऊपर पूछेंगे । मैंने महत्वपूर्ण होने की वजह से ही आज रख दिया है। नहीं तो यह 2-4 दिन का समय चाहते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वे समय क्यों चाहते उनको सब पता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह अल्पसूचित हो रहा था । मैंने सोचा कि अगर यह अल्पसूचित हो गया तो वह कह देंगे कि हम थोड़े समय में जवाब नहीं दे सकते हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमारा नियम 56 के अन्तर्गत है । उसे आज ही स्वीकार कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

56 में नहीं आता है । यह लोकल मामला है । जब तक गवर्नमेंट का उसमें पार्ट न हो तब तक नहीं हो सकता ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें शासन की उदासीनता है और वह खुद दोषी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बेकार की बहस करते हैं । मैंने फैसला दे दिया कि यह 56 के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपका फैसला शिरोधार्य है क्योंकि मजबूरी है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रास्ता निकाल दिया कि नियम 51 में ले लिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर नियम 51 में लिया जाता है तो श्रीमन्, आप देखें कि आज सारे प्रदेश में जो ज्यादतियां हो रही हैं वह सरकारी नीति के अनुसार हो रही हैं । सरकार इसमें इन्वालव्ड है । उसी के फलस्वरूप गोली चलती है । पिथौरागढ़ की इसीलिये मैंने नियम 56 में सूचना दी । अगर आप इसको नियम 51 में स्वीकार करना चाहते हैं तो आपके अधिकार में मैं किसी तरह से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वे आज ही जवाब देंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने नियम 52 में स्वीकार किया उसके बार में मझें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि यह नियम 56 में स्वीकार हो क्योंकि कुछ चीजों की इम्पार्टेंट्स ज्यादा रहती है और फौरन उस पर ध्यान दिलाने की जरूरत होती है और नियम 51 कर देंगे तब भी . . . .

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार वह आता नहीं है, 51 में मैंने आज ही के लिये कर दिया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक जगह चिनगारी छूटी तो सारे प्रदेश की शांति व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, आप इसको कुछ महत्व नहीं देते हैं और सरकार का प्रदेश भर क विद्यार्थी आन्दोलन स सीधा संबंध है ।

कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सदन से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जला शाहजहांपुर)—

श्रीभन् आप देखें कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है और सदन चलने बाला है और सरकार की तरफ से एक भी कबिनेट स्तर का मंत्री यहां उपस्थित नहीं है, कई बार आप की रूलिंग हो चुकी है कि कैबिनेट स्तर का मंत्रीं यहां रहना चाहिये ।

(श्री राज बिहारी सिंह के खड़े होने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

वह कैबिनेट स्तर के नहीं हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझे सूचना मिली है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेर वदल हो रहा है । कल के भाषणों के फलस्वरूप कुछ हो रहा है और इसलिये इस समय सब लोग वहां पहुंच गये हैं (व्यवधान)

श्री सुरेंन्द्र विक्रम-

एक भी कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां नहीं है।

पिथौरागढ़ में छात्रों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत्)

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष जी, पिथौरागढ़ के मामले में मैं ज्यादा जानकारी रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

शाम को प्रश्न करके पूछ लें । मैंने नियम 51 में इसको स्वीकार कर लिया है । वह निश्चय म काट नहीं सकता ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं लेकिन इतना बता दिया जाय कि चर्चा के लिये क्या आप ने कोई समय निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष---

आधे घंटे की चर्चा हो जायगी ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

वहां पर 20 दिन से लगातार आन्दोलन हो रहा है और वहां पर अधिकारियों और पुलिस वालों की ज्यादती हो रही है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं किया है, नियम 51 में आज ही वक्तव्य होगा और उसी वक्त आधा घंटे की प्रश्नों द्वारा चर्चा हो जायगी।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

आप चर्चा का समय निर्धारित कर दें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

56 में दिया गया था और 51 में भी दिया गया है आपने कौन सा स्वीकार किया है ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने 56 वाले को ही 51 में स्वीकार किया है।

श्री मोहन लाल कपूर--

51 वाले का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

51 तो है ही, वह दोनों जुड़ गये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

नियम 51 में चर्चा कैसे हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछना शुरू कर देते हैं । यह भी चर्चा है, वक्तव्य होगा और उसके ऊपर आप क्वास एगजामिन करते हैं, वह भी एक चर्चा ही हुई । उसी वक्त हम देख लेंगे कि चर्चा की स्पेशल जरूरत है तो मैं 52 में उसके बाद में ले सकता हूं । लेकिन 51 में फैक्ट्स आ जांय सरकार की तरफ से तो देखेंगे । इसकी इम्पार्टेन्स को देख कर ही इसे आज ही के लिये रख दिया है । आज शाम को ही जो काम कार्य-स्थगन के रुप में लेने से होता वही 51 में बयान आने से हो जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

नियम 51 में चर्चा नहीं होगी आपने कहा कि चर्चा भी हो जायेगी । आपने कल कह दिया कि आपके सचिवालय ने सूचना नहीं दी इस तरह की रूलिंग आप की होगी तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह की चर्चा केवल वक्तव्य के लिए होती है नियम 51 में और आप सब उसमें प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और मैंने कहा कि अगर स्पेशल चर्चा की जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा ।

कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सदन से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत्)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, सदन में सरकार गैरहाजिर है कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है ....

(श्री राजबिहारी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

दूसरे मंत्री हैं । मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता लेकिन यह अनुचित है कि कोई भी कैबिनेट स्तर कर मंत्री यहां न हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कितना इम्पारटेंट लेजिस्लेशन चल रहा है लेकिन एक भी संबंधित मंत्री मौजूद नहीं है । यह बड़ी गैरजिम्मेदारी की बात है पार्लियामेन्ट में इस तरह की रूलिंग हो चुकी है कि उनको रहना चाहिय ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं । लेकिन आप खड़े होकर बोलने लगते हैं तो मैं क्या करूं । सदन में कैबिनेट का मंत्री जरूर होना चाहिये और अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह गैर जिम्मेदारी की बात है । मैं तो यह चाहता था कि 5 मिनट के लिये सदन को एडजर्न कर दूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरी भी मंशा यही थी ।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि वह खड़े हो गये और चूंकि आप भी चाहते थे कि कैबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, गलत परम्परा पड़ जायगी । आपने अब अपनी राय बदली है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने राय बदली इसलिये कि आपने कह दिया कि यह गैर वाजिब बात है। लेकिन अगर आप कुछ न कहते तो मैं स्वयं यह कहने वाला था कि मैं सदन को 5 मिनट के लिये एडजर्न कर दूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हम चाहते हैं कि आप 5 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दें । आप मेरी बात सुनकर गाइड होंगे, कहीं उनसे गाइड होंगे और कहीं मुझसे गाइड होंगे, यह क्या है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन लाल कपूर की एक सूचना है । उसे मैंने नियम 51 में ले लिया है लेकिन वह आज नहीं लिया जायगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि स्वस्थ परम्परा डालने हेतु आप कम से कम 5 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दें जब तक कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री न आ जाय। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे 5 मिनट के लिये वाक आउट कर दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, बहुत अच्छा सुझाव है । आज इस सीलिंग बिल के ऊपर विवाद के समय सदन में रेवेन्यू मिनिस्टर भी मौजूद नहीं हैं। तो हम तो वाक आउट करते हैं।

(विरोधी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

तो हम भी सदन को 5 मिनट के लिये एडजर्न करते हैं ।

(इस समय 11 बजकर 13 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि यह बिल जो चल रहा है उसका चार्ज किस मिनिस्टर के पास है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर वह मिनिस्टर जो बिल का इंचार्ज है और कोई विशेष परिस्थितियां या संकट होने पर बिल को किसी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]
दूसरे को सुपुर्द करना चाहता है तो क्या वह दूसरा मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। इनके लिये उसका कोई महत्व नहीं है। मान्यवर, आप कृपया व्यवस्था दें अन्यथा सब मंत्री इसी तरह करते रहेंगे। हम किसी मंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। यह उसी का परिणाम है कि वे इतने लापरवाह हो गये हैं। हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। मान्यवर यह मामूली परम्परा क्यों नहीं अपनाई गई कि वे लिखकर भेजते कि किन्हीं कारणों मे वे उपस्थिति नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे जानते थे कि सारा हाउस आन्दोलित हो जायेगा। मान्यवर, आप इसके लिये पहले व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पांच मिनट आपके लिये मान लिया और पोस्टपोन कर दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रपाठी—

आप व्यवस्था अवश्य दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

सरकार को इसके लिये रिग्रेट शो करना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जो नियमों में परिभाषा है उसमें भारसाधक सदस्य की सहायता कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। मंत्री के अलावा जो दूसरे अधिकारिक सदस्य हैं उनको भी यह अधिकार है। उप मंत्री राजस्व बैठे हुए हैं, उनकी सहायता के लिये। हम लोग भी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अगर थोड़ा व्यवधान हो गया है तो कार्यवाही तो चलती रहे।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त यह भी मौजूद नहीं थे।

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मैं बराबर मौजूद रहा।

श्री अध्यक्ष—

आपने क्यों नहीं कहा?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मैं एक मिनट के लिये नहीं हटा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस बिल को केवल मूव किया श्री शर्मा जी ने। वही इस बिल के चार्ज में थें यह बिल कितने महत्व का है। जिस मेम्बर ने मूव किया और जो अब उपस्थित नहीं हो सकता, कोई बाधा है, तो उनको आपके पास लिखकर भेजना चाहिये या नहीं? आपसे कोई जानकारी प्राप्त करनी चाहिये या नहीं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा। कोई मंत्री तो कर सकता था लेकिन आज्ञा तो लेनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई सूचना नहीं दी तो उसमें कोई बड़ा भारी दंड नहीं हो सकता। उस वक्त यही होगा कि भारसाधक मौजूद है काम चलता रहेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लिये संकट खुद पैदा करते हैं और सारे सदन के लिये मैं अपने पंद्रह वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कोई भी मंत्रिपरिषद् का सदस्य हो जब जनरल डिबेट चल रही है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये लेकिन आपत्ति उठी कि कोई कैबिनट मिनिस्टर नहीं है। राजबिहारी सिंह जी यहां थे, और भी लोग थे, फिर भी विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि पांच मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये और आपने कर दिया। अगर ऐसी परम्परा चलेगी तो हाउस कभी नहीं चल सकता है। और ऐसे व्यवधान होंगें। जब जनरल डिबेट चल रही है और मंत्रिपरिषद् के सदस्य मौजूद हैं तो आपने पांच मिनट के लिये स्थगित कर दिया और अब आपने कहा कि भार-वाहक सदस्य कौन हैं। आप मुझे क्षमा करें, नियमों के विरुद्ध सारा आपका आचरण हो रहा है। यह भविष्य के लिये संकट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

नियमों में भारवाहक सदस्य भी लिखा हुआ है। (व्यवधान) अगर साधक सदस्य मौजूद है तो सदन चल सकता है (व्यवधान)। उस वक्त प्रश्न यह आता कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। उनके वाकआउट करने पर मैंने एडजर्न किया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनका बिल है, उसके भार साधक भी मौजूद नहीं है। यह गलतफहमी हो सकती है। मैंने उनको पहचाना नहीं। मैंने समझा कि वह केवल सदस्य ही हैं . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

डिप्टी मिनिटर साहब ने खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि हम मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तो यह फैसला गलत हो गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसका मतलब तो यह है कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी . . . . . (व्यवधान)

(शोर)

श्री रामधारी शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय . . . .

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव चल रहे थे। अभी उनका निर्णय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

सब एक से ही हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

एक से नहीं हैं। मैंने हाथरस का दिया है। वहां एक हरिजन छात्र की हत्या कर दी गयी और कई लोगों को घायल कर दिया, उसमें प्रधानाचार्य और सवर्ण लड़के शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का मैंने फैसला कर दिया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, बड़े आश्चर्य की बात है हरिजन छात्र है तो अल्पसूचित प्रश्न कर लें और दूसरे के लिये डिस्कशन.....

श्री अध्यक्ष—

दोनों 51 में चाहते हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

51 में ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है 51 में ले लूंगा ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

हमने भी 56 में दिया है, हरिजन छात्र की हाथरस में.....

श्री अध्यक्ष—

वह 51 में ले लेंगे ।

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चिकित्सा परिषद् का कल चुनाव हो रहा था । उस चुनाव में पांच बजे तक . . .

श्री अध्यक्ष

मेरे पास लिखित जयराम वर्मा जी का.....

श्री मोहन लाल कपूर—

अभी दो दिन पहले ही इस पर चर्चा हुई है। सरकार ने वहां पर एक आदेश भेज दिया और 5 बजे उस चुनाव को स्थगित कर दिया। मेरा कहना है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार की धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी परसों चर्चा हुई है मंत्रियों के बारे में चुनाव हो रहा था आधे से ज्यादा मत पत्र पेटी में जा चुके थे तभी हमारे मंत्री महोदय की तरफ से डाइरेक्टर आफ आयुर्वेद ने उसको रोक दिया। अब यह बताइये कि सरकार की धांधलेबाजी, से नेपोटिज्म बढ़ रही है या नहीं आधे मत पत्र पड़ चुके थे और उसके बाद उसको रोक लिया । परसों रूलिंग हुई कि किसी मंत्री का नाम नहीं ले सकते है, विभाग का नाम नहीं ले सकते हैं । इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही, एब्यूज आफ पावर हो रही है, इसको तो आप देखें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जयराम जी वर्मा आये थे और यह शिकायत की कि इस प्रकार की चीज हुई हैं मैंने कहा कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्न करें । मैं तो इंटरफियर इस चुनाव के मामले में कर नहीं सकता हूं। अगर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न देते हैं तो हो जायगा । मैं उनको 51 में बाध्य कर सकता हूं कि जवाब दें, किस तारीख तक जवाब दें इसके लिये भी उनको

बाध्य कर सकता हूं । आप शिकायत भेजिये मैं 51 में कर दूंगा । मैं तो विरोधी दलों को जितना भी हो सकता है एकमोडेट करना चाहता हूं ।

केबिनेट स्तर के मंत्रियों की सदन से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह सरकारी बिल है । इसमें यह व्यवस्था है कि सरकार बिल में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है । कोई भी मंत्री रह सकता है । सरकारी बिल में कोई भी मंत्री इसका संचालन कर सकता है ऐसी स्थिति में डिप्टी मिनिस्टर, रेवेन्यू का खड़े होकर कहना कोई आवश्यक नहीं है। यह ठीक है कि किसी मंत्री का होना आवश्यक था और उस अवसर पर भी श्री नारायण दत्त तिवारी तो यहां पर उपस्थित थे ही ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कई दफे कह चुका हूं और लोक सभा ने यह प्रथा चलाई है कि किसी मंत्री का रहना आवश्यक है जब कि सदन की कार्यवाही चल रही हो । सवाल यह है कि वह बिल जिस मंत्री ने पेश किया या भारसाधक मंत्री दोनों में से कोई हो। मुझको उस समय दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया ।

श्री राज मंगल पडेांय---

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिये कि कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है और डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं है लेकिन नारायण दत्त जी तिवारी तो है। क्या आप इसको सरकारी बिल नहीं मानते हैं ? सबकी ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष---

एसी स्थिति में लिखित रूप में आ जाना चाहिये कि यह इसकी जिम्मेदारी लेंगे । यह तो एटीकेट की बात है। कल पेश करें और आज गैरहाजिर हो जायं। कुछ सूचना होनी चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

आपका रूलिंग से आज हाउस एडजर्न हो गया । संविधान की आर्टिकल 64 में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसके अनुच्छेद 2 में कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी फार दी लेजिस्लेशन आफ दी स्टेट है । संविधान में शब्द कौंसिल आफ मिनिस्टर्स से कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के मेम्बर यहां पर मौजूद थे और उस समय जिस बिल पर विवाद चल रहा था उससे संबंधित कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के उप राजस्व मंत्री यहां मौजूद थे तथा दो-दो, तीन-तीन मिनिस्टर मौजूद थे । कोरम पूरा था । विशेष कारणवश राजस्व मंत्री नहीं आ सकेंगे । उन्होंने जवाब भिजवा दिया था कि वे थोड़ी देर में आ जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास यह सूचना नहीं आयी ।

श्री नारायण दत्त दिवारी--

फिर भी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के कई सदस्य थे जैसा कि संविधान में लिखा है।

श्री अध्यक्ष---

किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने लिखा है कि वे थोड़ी देर में आ जायेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय तिवारी जी ने कहा ....

श्री अध्यक्ष--

कोई बहस नहीं होगी ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मैं जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं ।

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्म दत्त वैद्य)--

एक स्पष्टीकरण कर दूं ।

अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण देंगे तभी चर्चा हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि आप शाम को दें। वक्तव्य का प्रश्न नहीं है क्योंकि बहस शुरू हो जायेगी । अब मैं गंगा प्रसाद जी से कहूंगा ।

सरकारी वक्तव्यों को शीघ्र दिलाने की मांग

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, 12 तारीख से उपवेशन प्रारम्भ हुआ था विधान सभा का और आज 16 तारीख है । 5 दिन हो गये । कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने आये अविलम्बनीय लोक महत्व के और आपके द्वारा स्वीकार किये गये लेकिन आज तक कोई भी प्रस्ताव वक्तव्य के लिये नहीं लिया गया । 18 से 22 तारीख तक आप एक-एक दिन में दो-दो, तीन-तीन लगा देंगे । खास तौर से मैं आपका ध्यान गन्ने के दाम के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं सभी दलों के लोगों ने वह प्रस्ताव भेजा था ।

श्री अध्यक्ष--

उसको 11 जनवरी, 1973 को लिया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

अभी मुझे बताया गया कि 11 जनवरी मुकर्रर हुयी है । 25 दिसम्बर से सारे प्रदेश में गन्ना किसानों की हड़ताल है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कोई डिस्क्रशन इस्तेमाल करते हैं या नहीं । 25 दिसम्बर से पहले कोई स्टेटमेंट आना चाहिये । इसी तरह से विद्यार्थियों का मामला है । विद्यार्थियों के मामले में आप कोरी-कोरी उदासीनता दिखा कर सरकार पर छोड़े हुये हैं । प्रस्ताव मंजूर तो आप करते हैं लेकिल मंत्रिमंडल के सदस्य यहां पर आते नहीं । कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा है । आप मुख्य मंत्री को इस बात को रेफर करें क्योंकि 25 दिसम्बर से राज्यव्यापी हड़ताल हो रही है । 11 जनवरी के वयान के क्या माने होंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इस वक्त नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री--

विद्यार्थियों के मामले में इंटरवीन करके जल्दी करवाइये ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७२†

श्री अध्यक्ष--

गंगा प्रसाद जी, आप अपना भाषण जारी रखें । आप यहां आ जाइये आगे ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

कल मैं यह कह रहा था कि माननीय चौधरी साहब ने और करन सिंह जी, जो खीरी लखीमपुर के है, ने इस बिल की काफी आलोचना की । आलोचना का विषय हो सकता है। आलोचना कुछ स्वार्थी लोग कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 1 प्रतिशत बड़े फार्म वाले हैं, या भूतपूर्व जमींदार हैं और 99 प्रतिशत यहां की जनता है जो चाहती है कि जमीन का बंटवारा हो। यही हमारा समाजवादी नारा है, खाई को पाटने के लिये । इसी तरीके से सन् 1947 में भी लोगों ने जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक आया था उसका विरोध किया था। और विरोध करने के बाद आज वही लोग उस जमीन पर काबिज हैं जो कि जमींदारों से निकली थी । इसलिये हमें यह देखना है कि समाजवाद में जो खाई है उसे दूर करें। हमारी सरकार को इस बिल को पहले ही पास कर देना चाहिये था लेकिन मालूम नहीं इसको लाने में क्यों देरी हुई । आप श्रीमन्, देखें कि जब बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें भी काफी रोड़े अटकाये गये । लेकिन हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसका नतीजा यह है कि हमारे छोटे काश्तकार, रिक्शे वाले और दूसरे छोटे लोगों को फायदा हुआ । आज कुछ लोग भूमि पर काबिज बने हुए है और वह जितना अत्याचार करते हैं उतना कभी नहीं हुआ । कहीं पर मजदूरी एक सेर या सवा सेर अनाज दिया जाता है तो कहीं डेढ दो रुपया दिया जाता है। यह कहते है कि बच्चे को दो एकड़ देना चाहिये, चार एकड़ देना चाहिये, 18 एकड़ देना चाहिये तो यह सारी चाल की बातें हो रही हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि समाज में जो असमानता है उसको दूर करने पर विचार करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री की तारीफ की जो कि यहां हैं नहीं । बहस हो रही है उत्तर प्रदेश की विधान सभा में लेकिन आ गयीं प्रधान मंत्री । बैंक राष्ट्रीयकरण की तारीफ कर रहे हैं । क्या माननीय सदस्य को जानकारी है कि बैंक राष्ट्रीयकरण से कितने हरिजनों को पैसा मिला, कितने रिक्शे वालों को मिला ?

श्री अध्यक्ष--

आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

उनको जानकारी होगी ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

मैं समझता था कि देहलवी साहब सोशलिस्ट पार्टी के हैं तो हरिजनों की बात करेंगे। लेकिन वह सवर्ण जाति में बैठे हुए है । ऐसें लोग जो समाजद्रोही है समाजवाद को नहीं चलने देंगे, महात्मा गांधी के वसूलों को नहीं चलने देंगे । ऐसे लोग भी चुनकर आते है जिनको हरिजन भाई नहीं जानते और वह झूठा नारा देकर चुन कर आते है । आज हरिजन

---

†15 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही से ।

[श्री गंगाप्रसाद]

जागा है तो इसी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिये जागा है । असली चीज यह देखनी है कि समाज से असमानता को दूर करें । मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सन् 47 में जमींदारी उन्मूलन हुआ था तो उसके साथ पूंजीपतियों को समाप्त करने का प्रस्ताव आया था । लेकिन आज शहरी संपत्ति और पूंजीपतियों को यह सरकार नहीं छू रही है ।

गांव में जब लोग बड़े लोगों के अत्याचारों से पीड़ित होकर भूखे मरते हैं तो शहर में आते है। यहां दिन भर रिक्शा चलाते है और रात को उसी में सोते है उस पर भी यहां की पुलिस उन रिक्शा वालों का चालान करती है और उनका बंधा हुआ है माहवार दस रुपया वसूल होता है उन हरिजनों और भूमिहीनों से जो रिक्शा चलाते हैं। यह इस सरकार को रोकना चाहिए।

भाई मोतीलाल जी ने तो कह दिया लेकिन मुझे आपसे कहना है कि एक तरफ तो हम हरिजनों और भूमिहीनों के बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बिल में उनके लड़कों और लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो समाज में इस प्रकार की असमानता कब तक रहेगी। इसका निराकरण आज नहीं तो कल होगा। बिनोवा जी ने इस सम्बन्ध में गांव-गांव का दौरा किया। लेकिन उन्होंने भी जो भूमि प्राप्त की उस पर भी बड़े लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और लगान भूमिहीन दे रहे हैं। सीलिंग से भी निकली हुई जमीन पर कब्जा कर रखा है गांव के बड़े लोगों ने और गरीब आदमी लगान दे रहे हैं।

यह सरकार इस बिल में कई चीजें ऐसी लाई हैं जिनको देखकर ताज्जुब होता है। कहना यह चाहिए कि वर्तमान खाता जिसके नाम से हो वह उस खाते का हिस्सेदार हो, यह नहीं कि उसके लड़के, लड़की उसके सारे कुन्बे को उस खाते से जोड़ा जाय। माननीय मन्त्री जी के पास भी कुछ खाते ऐसे हैं इसलिए उन्होंने पूरे परिवार का ब्योरा दे दिया है। समाज के 85 फीसदी लोग जो खाने को मोहताज हैं उनका कहीं नामो निशान नहीं है। आज इस समाजवादी युग में हमें इस चीज को देखना है कि ऐसा प्रबन्ध सम्पत्ति का करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो। यह नहीं कि एक हमारा मकान है और 15 मकान दूसरे के हों और बेचारे किरायेदार हर चीज के लिए तड़प रहे हों ।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, कुछ स्वार्थी लोगों ने इस बिल में नदी के कटान की बात की है। लेकिन कटान क्या गंगा, जमुना में ही होता है या घाघरा और राप्ती में भी होता है? लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं है। इसलिए प्रत्येक नदी के कटान का सर्वे कराया जाय और हर जिले में पहाड़ी नदियों से जो भयंकर कटान होता है उसको भी इस बिल में शामिल किया जाय ।

साथ ही साथ सहकारी फार्म की बात कही गयी है । आज कहीं सहकारी फार्म नहीं हैं, व्यक्तिगत फार्म हैं और अपने लड़के, साले या मामा को हिस्सेदार बना कर फार्म की रजिस्ट्री करा ली है और इस तरह से जमीन को बचाने की कोशिश की है और गवर्नमेंट से कर्जा भी ले लिया है सहकारी फार्म के नाम से।

आज कुछ लोगों ने 2–2 हजार एकड़ के फार्म सहकारी फार्म के नाम से बना रखे हैं काशीपुर में भी नन्दा जी का फार्म 2 हजार एकड़ से भी बड़ा है। जो लोग पहले मन्त्री रहे हैं उन्होंने अपने समय में अपने रिश्तेदारों के नाम से बहुत सी जमीनें दे दीं और उनके नाम से बड़े-बड़े सहकारी फार्म बनाये हुये हैं? सरकार को इसको रोकना चाहिए। उस भूमि को उनसे निकाल कर भूमिहीन हरिजनों को देना चाहिये ताकि वे गरीब लोग उस पर खेती कर सकें ।

मान्यवर, पहले सीलिंग से दो लाख एकड़ भूमि निकली थी। उसमें से एक लाख का ही केवल वितरण हो सका था और एक लाख बाकी है। उस एक लाख बाकी भूमि पर अभी तक बड़े-बड़े लोगों का कब्जा है। उनके कब्जे से उस भूमि को शीघ्र निकालना चाहिये और उसे निकाल कर गरीब भूमिहीन हरिजनों को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लगभग 3 लाख एकड़ भूमि निकलने वाली है उसे भी गरीब भूमिहीन हरिजनों में वितरण करायें।

सिंचित-असिंचित की बात कही गयी। आज प्रदेश की लगभग 25 या 28 प्रतिशत भूमि सिंचित है। यह सरकार का काम है कि शेष भूमि के लिए सिंचित साधनों का प्रबन्ध कराये। सरकार जनता से टैक्स लेती है। उसका ही यह फर्ज है कि वह सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध करे ताकि शेष भूमि में सिंचाई सम्भव हो सके। कहने के लिये तो यह कहा जाता है कि सबै भूमि गोपाल की, मगर देखा यह जा रहा है कि जिसके हाथ में लाठी होती है उसी के कब्जे में जमीन होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज आवश्यकता ऐसे समाजवाद को लाने की है जिससे गरीबों का अधिक से अधिक लाभ हो। इसके लिये आवश्यक है कि सिंचाई के लिए एक सुनियोजित योजना बनायी जाय।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जो जमीन हरिजनों को दी भी गयी है उस पर अभी तक कब्जा दूसरे लोगों का है। इसके कारण सारे प्रान्त में आज हरिजन जागा है। वह अपने अधिकारों के लिये लड़ रहा है। वह पीटा भी जा रहा है, किन्तु अपने अधिकारों के लिए वह आगे बढ़ रहा है। आज उनकी स्थिति यह है कि उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। उद्योग धन्धों में भी उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। खेती पर ही वे निर्भर रहते हैं। आप इस बिल को पास कीजिए लेकिन मेरा निवेदन है कि जो असमानता समाज में व्याप्त है उसे भी शीघ्र दूर कीजिये और साथ-साथ जो मैंने कहा है सहकारी जो फार्म हैं, उनको एक जगह पर निकालिये और इस तरह से जो 2—3 लाख एकड़ जमीन निकले वह आप गरीबों को दें। ऐसा करके इन्दिरा गांधी के हाथों को मजबूत करें, जिससे देश में समाजवाद वह ला सकें और मजदूरों को रोजी–रोटी मिल सके।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री द्वारा जो यह प्रस्तुत विधेयक है—अधिकतम जोत सीमा विधेयक, 1972, उसके सम्बन्ध में जो सरकारी नीतियां हैं, उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार देने हैं। आप देखें कि उन सरकारी नीतियों के अनुसार कितनी चालाकी से यह विधेयक पेश किया गया है कि जमीन तो निकलने वाली है नहीं। और जब जमीन निकलेगी नहीं तो उसे भूमिहीनों में, कम जमीन वालों में बांटने का प्रश्न कहां उठता है। जब देश आजाद हुआ तो यहां की गरीब जनता ने यह सोचा कि यहां पर जो गरीबों का हक लेकर ज्यादा जमीन लेकर बैठे हुए हैं, स्वराज्य के बाद कोई ऐसी नई व्यवस्था बनेगी, जिससे भूमिहीनों को कम जमीन वालों को भूमि मिलेगी। उसने सोचा था कि ऐसा कानून बनेगा कि उसके हक की जो जमीन ली गई है, वह समाप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के सदस्य इसे भलीभांति जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा जमीन है, उससे जमीन लेकर भूमिहीनों को देने की बात आप हमेशा भूल जाते हैं। जमींदारी नहीं टूटी थी तो बड़ी-बड़ी जमीन वालों ने ऊसर बंजर, ताल-पोखर वाली जमीन का नजराना लेकर उसका इन्तजाम किया। यही नहीं अपने बच्चों के नाम से, अपनी औरत के नाम से, अपने सम्बन्धियों के नाम से सारे जंगल, ऊसर बंजर, ताल-पोखर की जमीन का इन्तजाम कर दिया। इस तरह से जमींदारी टूटने के बाद जो भी भूमिहीन और कम जमीन वाले आशा लगाये बैठे थे कि वह उनकी आशा पूरी नहीं हुई। जब चकबन्दी हुई तो जिसके पास जमीन नहीं थी, उसको चक नहीं मिला। जिसके पास ज्यादा जमीन थी, उसको ज्यादा चक मिले।

[श्री भामी यादव]

पार्लियामेंट के चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देश की गरीबी मिटेगी, बेकारी मिटेगी, तो यहां की गरीब जनता ने सोचा कि इतने दिनों से हमारी गरीबी नहीं मिटी है, बेकारी नहीं मिटी है, लेकिन अब जल्दी मिटने वाली है उसका परिणाम यह हुआ कि यह बड़ी भारी मेजारिटी में आ गये। उत्तर प्रदेश में तो इनको थर्म्पिग मेजारिटी नहीं मिली, लेकिन दलबदलुओं के बल पर इनकी सरकार चलती है। पार्लियामेंट में अवश्य इनको बड़ी भारी सफलता मिली। इस तरह से, वायदे के अनुसार गरीबों की गरीबी कम नहीं हुई, बल्कि वह और बढ़ गई।

इस तरह से यह जो विधेयक है इसके लिए मैं साफ कहना चाहता हूं, मैंने विधेयक के एक-एक शब्द जो पढ़ा, जितने विद्वान वक्ता लोग बोले, चाहे सरकारी दल के बोले चाहे विरोधी दल वाले बोले सबके भाषणों को ध्यान से सुना और उनको सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यहां तक कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं अब भी समय है, ऐ गरीबों के बच्चों चाहे जिस पक्ष में बैठे हो, जिनका हक मारा गया है, उसको ईमानदारी के साथ राजस्व मन्त्री के सामने, सदन के सामने पेश करो।

चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, बड़े अच्छे विद्वान हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं मालूम होता है बड़े विचारक हैं, जो कहानी सिद्ध करें वही सिद्ध हो और हम लोग उसको समझते नहीं हैं।

आजमगढ़ जिले के 14 विधायक हैं, उनमें शायद एक भी विधायक ऐसा नहीं होगा जिसके पास मुझसे ज्यादा जमीन होगी। मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन मैं जो चाहता हूं उसको राजस्व मन्त्री स्वीकार करें। मैं डाक्टर लोहिया का चेला हूं। सोशलिस्ट पार्टी का सही कार्यकर्ता हूं। ऐसा कानून बनाइये जिससे मेरी जमीन निकले। मैं चाहता हूं, गरीबों में बंटें। लेकिन आपके कानून से मेरी जमीन नहीं निकलेगी। मैं इस तरह का सुझाव देना चाहता हूं कि मेरी जमीन निकले। मैं भूमिहीन नहीं हूं, गरीबों का हामी हूं। अपनी पार्टी के सिद्धान्त पर मरने मिटने वाला हूं। दल बदलू नहीं हूं। आजमगढ़, गाजीपुर में बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गयी। मेरी हिम्मत नहीं टूटी। मैं सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्त से हटा नहीं।

मैं राजस्व मन्त्री जी से बता देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं क्या यह जो कानून बना है जिसके पास साढ़े बारह एकड़ जमीन है वह जमीन को बढ़ा नहीं सकता। अगर बढ़ेगी तो इस तरह से खरीदेगा, इतना प्रतिबन्ध लगाया है, कि साढ़े बारह एकड़ जिसके पास जमीन है वह जमीन खरीद नहीं सकता। इस कानून का मैं स्वागत करता हूं। साढ़े बारह एकड़ जमीन की सीमा आपको बांधनी चाहिये थी। आपने क्यों नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के लिए यह कानून बनायें कि जब कोई जमीन खरीदेगा तो सिंचित जमीन की सीमा इतने एकड़ होगी, असिंचित जमीन की सीमा उससे ड्योढ़ी होगी और ऊसर जमीन की सीमा उससे दुगनी होगी ?

आपने 7.3 हैक्टर की सीमा रखी है, 18 एकड़ की सिंचित जमीन की सीमा है, फिर 27 एकड़, फिर 36 एकड़ की सीमा बनाये हैं। फिर एक बालिग लड़के को पांच एकड़, दो को 10 एकड़ और तीन को 15 एकड़ मिलेगा। इसका फल होगा कि अदालत में बालिग--नाबालिग, सिंचित--असिंचित का मुकदमा लड़ें, आपने इस तरह का कानून बना दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं ऐसा कानून बनायें कि जिसके पास ज्यादा जमीन है अगर वह बेचना चाहे, और जिसके पास कम जमीन है वह खरीदना चाहे, तो ऊसर वाली जमीन साढ़े बारह एकड़ से ऊपर खरीदना चाहें तो खरीद सकता है। आप दो प्रकार का कानून बनाते हैं।

आपने जो कानून बनाया है साफ-साफ बनाइये, साढ़े बारह एकड़ की सीमा होनी चाहिए, चाहे जमीन सिंचित हो या अर्सिचित हो, चाहे किसी किस्म की जमीन हो क्योंकि बुन्देलखण्ड में—(क) लगायत (ज) जहां आपने वर्णन किया है, अगर आपने यह कानून बनाया है कि जिसके पास साढ़े बारह एकड़ जमीन है वह जमीन खरीद नहीं सकता, अगर यह बात सही है तो आप यह 45 एकड़ की सुविधा क्यों दे रहे हैं, अगर इस तरह का कानून पूरे प्रदेश में बना है तो उसी तरह की बननी चाहिए। आप जो सीमा बनायें उस पर आपको यह विचार करना होगा कि वह आदमी चाहे तो अपनी बढ़िया से बढ़िया जमीन साढ़े 12 एकड़ ले ले। कोई कहेगा 6 एकड़ सिंचित लेंगे, कोई कहेगा 12 एकड़ अर्सिचित लेंगे या इतने एकड़ हम ऊसर लेंगे तो इस पर झगड़ा पैदा होगा।

बच्चों का जहां तक सवाल है किसी के पास दो बच्चे हैं और किसी के पास एक भी बच्चा नहीं है तो क्या भविष्य में 10 बच्चे नहीं हो सकते? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप साढ़े 12 एकड़ सीमा बनायें। इसमें विरोध की बात नहीं है। सर्वसम्मति से मेरे सुझाव को मान लें। हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि अलाभकर जोत सवा 6 एकड़ की होती है उस पर लगान माफ होना चाहिए। संविद सरकार ने उसे किया जिसमें हम सम्मिलित थे। लेकिन आपने आकर क्या किया? आपने छोटी सी छोटी सीमा की बात सोची। किसी ने कहा 3.1/8 एकड़, किसी ने कहा सवा एकड़।

ठीक है सबसे छोटी सीमा आप बना लें लेकिन जो बड़ी से बड़ी सीमा बने उस पर जिसके पास जमीन हो उससे आप दो बिस्वां जमीन हर एक से प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। जो भी सीमा बने चाहे 3.1/8 एकड़ अथवा सवा 6 एकड़ उसके पास उतनी जमीन रहे लेकिन उससे बड़ी सीमा बनती है तो कानून में संशोधन लाइए कि दो बिस्वा जमीन सब लोगों के प्रति एकड़ के हिसाब से ले ली जायगी। इससे हर विधायक के क्षेत्र में कुछ जमीन निकलेगी और तब जा कर वह गरीबों को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो आप गरीब जनता के वोट से चुन कर आये हैं, गरीबों से हमदर्दी रखते हैं आप गरीबों की मदद नहीं कर सकेंगे। आप ईमानदारी से कानून बनाइये वर्ना मैं समझूंगा कि आप को गरीबों से हमदर्दी नहीं है। आप उनके दुश्मन हैं और जनता का भला नहीं होगा।

मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि अगर समाज में गरीबी है, समाज का आदमी भीख मांगता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पहनने को कपड़ा न हो, भीख मांगता हो, मकान न हो, आमदनी का जरिया न हो इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जमीन को पैदा किया है। यहां के होशियार लोगों ने जमीन को हड़प कर रखी है। वे रुपया खाते, नजराना खाते और जमीन की आमदनी खाते आये हैं।

मेरा निवेदन है कांग्रेस के उन लोगों से जो समाजवाद का नारा लगाते हैं कि इस तरह से जमीन का हक मार कर वह कब तक बैठे रहेंगे? ईमानदारी से काम करो। तिकड़म की बात न की जाय। गरीबी हटाने का यह नाटक ज्यादा दिन न चलेगा। सन् 74 में चुनाव होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि 74 तक आप इसको लटकाओगे। जो नीयत आपकी है वैसी आप करें। लेकिन आप करना कुछ चाहते नहीं। लिहाजा मेरा पुनः यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार की जमीन हो एक सीमा आप बनाइए और जिस को जो जमीन पसन्द हो वह उसे ले। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि बालिग तथा नाबालिग का चक्कर आप चलायें। सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक संशोधन विधेयक को वयनामा का स्थानान्तरण 72 तक खींच कर ले जाना चाहते हैं। सन् 70 से 71 हुआ तथा अब 72 का संशोधन विधेयक आपकी तरफ से ही आया है। यह जो संशोधन आपकी तरफ से आया है वह एक तिकड़मबाजी है, गरीबों से दुश्मनी है। ये दलबदलू क्या कांग्रेस में यही सब करने के लिए गये हैं? मैं उन दलबदलुओं से कहना चाहता हूं कि जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप दलबदलुओं को एड्रेस न करें, सदस्यों को ऐड्रेस करें।

श्री भाभी यादव—

मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब मिल कर गरीबों की तरफ ध्यान दें। हर शख्स जानता है कि मुल्क में खेती प्रथम आमदनी का जरिया है लेकिन वह जमीन गरीबों को नहीं दी जा रही है। बड़े लोगों को ही उद्योग धन्धे, रोजगार, जमीन, कोटे परमिट, बड़ी कुर्सियां दी जा रही हैं। अभाग्यवश आज पैसे के बल पर गरीबों के वोट खरीद लिये जाते हैं। दलबदलुओं ने पैसे के लालच में अपने वोट बेच रखे हैं, उनको इसके लिये शर्म आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है। माननीय सदस्य पब्लिक में स्पीच नहीं दे रहे हैं। सदन में बोल रहे हैं। दलबदलुओं को नहीं, सदन के माननीय सदस्यों को वह ऐड्रेस कर रहे हैं।

श्री भाभी यादव—

असलियत को कहे बगैर दिल मानता नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा पुनः निवेदन है कि कानून एक सा बनना चाहिए। साढ़े 12 एकड़ सीमा होनी चाहिये। जिनके पास ज्यादा जमीन है उनका पेट फट जायगा। प्रवर समिति को सौंप कर हम अधिक समय नहीं गंवाना चाहते।

मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी फैसला करना हो उसे अपने विवेक से करो और जो सुझाव हम दे रहे हैं उन पर गौर करें। अपने अधिकार दूसरे को न दें। पता नहीं वहां जाकर इसमें क्या-क्या हो जाय क्या-क्या न हो जाय। मैं सोशलिस्ट पार्टी का सिपाही हूं। ईमानदारी की बात होनी चाहिए। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

(श्री डूंगर सिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

वह इस वक्त यहां नहीं हैं।

बिक्रीकर स्थायी समिति तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के निर्वाचन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले कि आप बोलें, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। "बिक्री कर स्थायी समिति" तथा "राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड" के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी का समय विभिन्न दलों के सचेतकों की प्रार्थना पर 19 दिसम्बर, 1972 के अपरान्ह 2 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 को तिलक हाल में दिन के 12 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक होगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७२ (क्रमागत)

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं माननीय मित्र श्री अनन्तराम जी जायसवाल और भाभी यादव जी जो कुछ कहे हैं वे दिल से भाषण दिये हैं। तो इसके माने मैंने यह

समझे कि विरोध पक्ष की ओर से जितने भी भषण आये हैं वे केवल राजनीतिक हथकंडे के रूप में आये हैं। मान्यवर, यह मानना पड़ेगा कि यह जो बिल आया है वह एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल है और यह भी मानना पड़ेगा...

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य एक विद्वान व्यक्ति हैं, वे दिल से कहना चाहते हैं या हथकन्डे के रूप में कहना चाहते हैं ?

*श्री राज मंगल पांडेय—

इस वक्त तो दो ही व्यक्ति बोल रहे हैं उधर से भाभी यादव बोल रहे थे और इधर से मैं बोल रहा हूं। मैं भी दिल से ही बोल रहा हूं। मान्यवर, यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश का रहा है कि पूरे हिन्दुस्तान भर में जमींदारी विनाश कानून उत्तर प्रदेश में ही बना है। यह सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश का ही है कि और सूबों में जितने भी अधिकतम जोत सीमा विधेयक लाये गये हैं वे उतने क्रांतिकारी नहीं हैं, जितना कि यह जो विधेयक आपके सामने है, वह है। यह विधेयक हमारे गरीब किसानों के लिये बहुत ही क्रांतिकारी विधेयक है।

इस बिल की कुछ बातें 18 एकड़ जो सिंचित एकड़ की बात कही गई है जिसे कि मैं चौधरी साहब के शब्दों में कहना चाहूंगा कि 18 या 20 एकड़ की परिभाषा न करके उन्होंने एक हल की खेती, दो हल की खेती, तीन हल की खेती की परिभाषा दी है जिसको कि न यह सदन स्वीकार कर सकता है और न ही देश स्वीकार कर सकता है। इसलिए अलग-अलग किस्म की जमीनों पर एक हल की खेती पर जैसा कि उन्होंने कहा, साढ़े सात एकड़ भी हो सकता है, साढ़े बारह एकड़ भी हो सकता और इससे ज्यादा भी हो सकता है। हमारी जमीन अलग-अलग किस्म की होती है। एक बांगर जमीन होती है, एक भाठ जमीन होती है एक बांगर और भाठ के बीच की जमीन होती है तथा एक ऊसर जमीन होती है। भाठ ऐसी जमीन होती है जहां की मिट्टी मुलायम होती है और उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बांगर में साढ़े सात एकड़ तथा भांठ में 18 एकड़ तक हो सकती है।

चौधरी साहब ने जो भी कल भाषण दिया उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनके जैसे व्यक्तित्व के आदमी ने भी इस अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक के ऊपर एक राजनीतिक उद्देश्य की भावना से ही भाषण किया है। मान्यवर, अगर हम गहराई में जायं तो मानना पड़ेगा कि कोई न कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि जिनके पास कुछ हो और इतना हो कि किसी तरह से उनका गुजारा चल सकता हो, तो उनको अपने गुजारे भर लायक रख कर, बाकी उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है दे दें। यह एक ऐसा हल है जो सर्वमान्य है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर यह कहना कि 18 एकड़ से 12 एकड़ या कोई यह कहे कि 10 एकड़ या 8 एकड़ कर दिया जाय सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने साढ़े 12 एकड़ की बात कही और यह भी कहा कि मेरे पास है, मैं भी देना चाहता हूं लेकिन अपनी ओर से कोई संशोधन उन्होंने नहीं दिया। और मेरी अपनी जानकारी है कि उनके पास 150—200 एकड़ जमीन है। तो 200 एकड़ जमीन रखने वाला आदमी अगर इस सदन में यह भाषण करे कि हम चाहते हैं कि आप साढ़े 12 एकड़ जमीन ही रखें और जो डाक्टर लोहिया के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की बात करे तो उसके लिए यह मुनासिब नहीं है। उसके लिए मुनासिब तो यही है कि साढ़े 12 एकड़ जमीन अपने पास रख कर बाकी एक सौ साढ़े सत्तासी (187 1/2) एकड़ जमीन अपनी रजामन्दी से छोड़ दे और अपने आसपास रहने वाले गरीब किसानों, मजदूरों में बांट दे या जो उनके हल चलाने वाले हलवाहे हैं उनमें बांट दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भागी यादव—

वह जमीन अकेले मेरी नहीं है, पूरे परिवार की है। वे परिवार वाले तो बेईमानी करेंगे ही। वह अकेले मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय—

इनके कहने का मतलब यह है कि वे कानून के माध्यम से ही देंगे, अपनी नेकनीयती से नहीं देंगे। अगर वे नेकनीयती से नहीं देना चाहते हैं तो फिर उनका इस तरह से डाक्टर लोहिया के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की बात करना मुनासिब नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्री उदित नारायण शर्मा जी से भी निकलवाइये। उनके पास भी 50–60 एकड़ जमीन है।

श्री राजमंगल पांडेय—

यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इधर की बनिस्बत उधर बैठने वाले ज्यादा जमीन जोत करने वाले हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ गलतफहमी है या वे जानते हुये भी सदन में इस तरह के भाषण इसलिए करते हैं ताकि गैलरीज में जो सुनने वाले हैं, जब वे अपने-अपने क्षेत्रों में जायं तो यह कह सकें कि इस विधेयक के द्वारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वह कांग्रेस के माध्यम से न होकर विरोधी पक्ष के माध्यम से हुआ है। यही हथकंडा इसके पीछे है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय सदस्य ने कहा कि इधर बैठने वालों के पास अधिक जमीन है और उनकी तरफ बैठने वालों के पास कम जमीन है, तो मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वे अपना भाषण देने के बाद इसकी फेहरिस्त सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और अधिकतम जोत रखने वालों के नाम बतलायेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर माननीय मित्र चाहेंगे तो मैं 24 घंटे के अन्दर इसकी लिस्ट बना कर आपको बतला दूंगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसको राजनीतिक हथकंडा न बनाकर ईमानदारी से इस बिल को सोचें समझें और अगर इसमें संशोधन की गुन्जायश हो तो संशोधन देने की कृपा करें। आप देखेंगे कि इस बिल में 27 या 28 एकड़ रखने की जो बात है, वह इतना क्रांतिकारी है कि तमाम विरोध के बावजूद भी निजी स्रोतों से जो सिंचाई होती है और सरकारी स्रोतों से जो सिंचाई होती है उसमें हमने रखा है कि फर्क किया जाय। इसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ और सेंट्रल लैन्ड कमेटी ने भी पेरिनियल इर्रीगेटेड लैन्ड की बात की, जिसको साल भर पानी मिले, उसमें भी हमने परिवर्तन किया है।

हम सिंचित भूमि उसको मानेंगे जिसमें साल में कम से कम दो फसल होती है और कम से कम सारी फसल के लिए दो पानी निश्चित रूप से मिल जाय। अब आप देखें कि पेरिनियल इर्रीगेटेड लैन्ड और हमारे वाले सिंचित भूमि की डेफिनीशन में, दोनों में कितना फर्क है। हम तो सिंचित जमीन उसको मानेंगे जिसमें कम से कम दो फसल हों और हर फसल को कम से कम दो पानी मिल जाय। यह मानी हुई बात है कि आज कल जितनी नई वैराइटी के बीज निकले हैं, चाहे वे धान के हों, खरीफ के हों चाहे रबी के हों, वे केवल दो पानी से नहीं होते हैं। जितनी नई वैराइटीज के गेहूं की फसलें हैं उनके लिए 6–6 और 7–7 पानी की आवश्यकता है और धान के लिए कितना पानी आवश्यक है, उसको तो मान्यवर, आप भी स्वतः जानते हैं। लेकिन हमने यह क्रांतिकारी परिवर्तन बावजूद सेंट्रल लैन्ड रिफार्म्स

कमेटी के रिकमेंडेशन के रखा है जो साल में दो फसल देती हो और जिस पर दो पानी मिले, उस जमीन को भी इसके अन्तर्गत ले लिया है।

दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें यह है कि हमने निजी स्रोत और सरकारी स्रोत से सिंचन में कोई अन्तर नहीं रखा है और तीसरा परिवर्तन यह है कि हमने असिंचित भूमि को 2 एकड़ को एक एकड़ के बराबर मान लिया है और अर्द्ध सिंचित के डेढ़ एकड़ जो होगी उसको भी एक एकड़ के बराबर मान लिया है और इस प्रकार 27 और 18 का रेशियो हो गया है। सेन्ट्रल लैन्ड रिफार्म्स कमेटी ने यह प्रस्ताव किया था कि 3 एकड़ असिंचित भूमि को एक एकड़ सिंचित भूमि के बराबर माना जाय लेकिन हमने 2 एकड़ को एक एकड़ के बराबर माना है। और हमने यह कह दिया कि 2 एकड़ जो बागात की भूमि होगी उसको एक एकड़ के बराबर माना जायगा। यह बिल इस माने में भी क्रांतिकारी है कि सेंट्रल लैन्ड रिफार्म्स कमेटी ने इसी बाग की भूमि के लिए 3 एकड़ को एक एकड़ के बराबर मानने की बात कही थी, हमने उसे 2 एकड़ को एक एकड़ के बराबर माना है। इसके साथ-साथ यह भी देखें कि हमने यह रखा है कि 5 आदमी का जो परिवार होगा यानी मियां, बीबी और नाबालिग बच्चे उनको तो 18 एकड़ अधिक से अधिक जमीन हम देंगे लेकिन उससे अधिक चाहे जितने ही बच्चे उस परिवार में हों तो भी हम जो अधिक से अधिक जमीन देंगे वह किसी भी सूरत में 26 एकड़ से अधिक नहीं होगी। इसके बरअक्स आप दूसरे सूबों में देखेंगे कि वहां जो अधिकतम जोत सीमा विधेयक है उनमें उन्होंने हमसे हर जगह ज्यादा किया है।

ऊसर जमीन के सिलसिले में भी आप देखें। हमने यह महसूस किया कि ऊसर की जमीन भी यदि कुछ निकल सके तो वह भी गरीब किसानों और मजदूरों को मिल सके ताकि साइन्स और टेक्नालोजी की मदद से आगे चलकर वह खेती लायक हो सके और उनकी मदद हो सके। यह कई उदाहरण हैं जिनकी बिना पर यह बिल क्रांतिकारी है और सूबों के मुकाबले में भी। निश्चित रूप से यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और जनकल्याण की भावना से किया है।

एक चीज आप और देखें। इसमें 24 जनवरी, 1970 की बजाय 24 जनवरी, 71 या 24 फरवरी, 70 को बजाय 24 जनवरी, 71 कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने इस ओर और उस ओर के बैठे हुए अपने बड़े-बड़े काश्तकार साथियों को याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने यह अन्दाज लगाया था कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ भूमि नियन्त्रण कानून में परिवर्तन होने की आशंका थी इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमीन को गरीब किसानों में पैसा लेकर बांट दिया।

चौधरी साहब ने कल तज़किरा किया था कि उन्होंने अपने जमाने में यह कर दिया था कि कोई भी आदमी साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं एक्वायर करेगा और अगर उसके पास 4 एकड़ पहले से थी तो सिर्फ साढ़े 8 एकड़ ही एक्वायर कर सकता था लेकिन इस प्रदेश के लाखों बड़े-बड़े किसानों ने बिना इस बात का लिहाज किये हुए कि उनकी जमीन सीलिंग के अन्दर है या नहीं अपनी जमीन किसानों को पैसे लेकर दी और पेश्तर लोगों ने अपने बीबी के जेवर, बेचकर सब कुछ बेंचकर जमीन ली और वे अब कोई ढाई एकड़ के, कोई तीन एकड़ के और कोई चार एकड़ के काश्तकार हैं। तो मैं अब जानना चाहूंगा कि अपने माननीय दोस्तों से कि जिस जमीन को भूमिहीनों ने लिया साढ़े बारह एकड़ से कम वालों ने लेकिन जिन्होंने पैसा देकर लिया क्या आप चाहते हैं कि उस जमीन को भी उन गरीब किसानों से निकाल ली जावे। क्या आप चाहते हैं कि जिसने जमीन को पैसा देकर लिया है अब क्या वह उसके लिए सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा करेगा? तो वह बिचारे दोनों ओर से मारे जायेंगे। एक तो कानून की चपत से और दूसरे जो पैसा उसने उस जमीन का दिया है वह उसको नहीं मिलेगा।

[श्री राजमंगल पांडेय]

मान्यवर, हमको तो इनके साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी है और माननीय कल्पनाथ सिंह जी को राजनीतिक उद्देश्य से ही शायद हमदर्दी है। 1974 में चुनाव आ रहा है इसलिए ये लोग ज्यादा क्रांतिकारी बन रहे हैं। अगर चुनाव का मसला पास न होता तो अपोजीशन की तरफ इसका विरोध हुआ होता। वे जानते हैं कि हमारे देश में गरीब किसान और मजदूरों का बहुमत है। इसलिए वे ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने सीधा नारा लगाया कि 18 एकड़ के बजाय 12 एकड़ दिया जाये। ये माननीय सदस्य यह कहेंगे कि विरोधी दल बहुत सबल है।

श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है और मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह मन्त्री ह या साधारण सदन के सदस्य हैं। दूसरी बात यह है कि यह हमारी बहस मन्त्री लेविल पर चल रही है। इसकी सफाई एक साधारण सदस्य कैसे दे रहा है। हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये लोग इन्दिरा जी के नाम पर जनता से वोट मांगने जाते हैं। अगर मुख्य मन्त्री जो कुर्सी पर न हों और यह उनका उत्तर देना चाहते हैं तो हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह विधान सभा की इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती है। इसमें शहरी और देहाती सम्पत्ति का प्रश्न है। यह कह रहे हैं कि हम इतना दे रहे है और उतना दे सकते हैं। यह क्या दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

देखिए, आप कृपया बैठिये।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, यह कौन सी व्यवस्था है। मैं यह कह रहा था कि इस माने में यह जनकल्याणकारी बिल है। कोई भी बिल लाइए उसमें कुछ न कुछ खामियां रह ही जाती हैं। मैं चाहूंगा कि इस बिल में भी कुछ संशोधन होने चाहिए। एक तो यह कि वयस्क पुत्र के लिये आपने जो बात कही है कि उसको 5 हैक्टर जमीन मिलेगी। लेकिन वयस्क पुत्री के लिए कुछ नहीं रखा है। मानों कोई लड़की है जो किसी वजह से, अपंग होने के नाते मेंटल डेवलपमट होने के कारण या खान्दानी मजबूरियों के कारण जीवन पर्यन्त शादी न करे और अपने मां बाप पर आश्रित हो और उसके जीवन निर्वाह का अलग से कोई जरिया न हो और हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है कि किसी के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक पुत्र के लिए तो देने के लिए कहते हैं तो लड़की को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो यह हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने अभी यह फरमाया कि कोई वयस्क लड़की उम्र भर शादी न करे तो वह जमीन लेकर क्या करेगी।

श्री राज मंगल पांडेय---

यह तो आपने अलग से चीज पैदा कर दी कि उसके मरने के बाद क्या होगा। वह बंट जायगी या फिर सीलिंग में चली जायेगी।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

कुछ उम्र का हिसाब रख दें कि इतनी उम्र तक अगर शादी न करे तो हिस्सा मिल जायगा, तब ठीक रहेगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

यहां पर जापान की खेती का भी जिक्र किया गया। लेकिन वहां पर छोटी-छोटी होलडिंग्ज हैं और उपज ज्यादा है लेकिन उसके साथ ही मैं चौधरी साहब का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने यह भी कहा कि वहां सरकार खेती में काम आने वाली सारी वहां के किसानों की जरूरतों को पूरा करती है। आप इस कानून की कोई भी सीमा निर्धारित कर दे 18, 10—12—15 एकड़ कुछ भी कर दें इस पर एतराज नहीं है, चौधरी साहब जैसे बुद्धिमान और योग्य पुरुष ने जो बातें कहीं हैं वह ठीक हैं लेकिन जबतक किसान के लिए आवश्यक सुविधाओं की, उसके बीज की, उसके पानी की, उसके खेती के औजारों की व्यवस्था सरकार नहीं करती तो खेती का आकार कुछ भी हो क्या वह लाभप्रद खेती हो सकेगी? आप ने सवा 6 एकड़ तक की जोत का स्वयं पिछले कानून में अलाभकर माना है और आज आप 18 एकड़ को लाभप्रद मान रहे हैं और जब कि आज खेती में काम में आने वाली हर चीज की दर ऊंची हो गई है और जो चीजें किसान पैदा करता है उसकी कीमत गिर गई है।

इस तरह के हालात में आज यह निश्चित है कि उसको उसकी जरूरत की चींजें ज्यादा कीमत देकर मिल रही हैं और उसकी उपज कम दाम पर बिकती है तो किसान खेती से विमुक्त हो रहा है। अगर मन्त्री जी ने और सरकार ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो खेती के पेशे को छोड़कर किसान दूसरी ओर झुकेंगे। एक बार जब आदमी समझ लेगा कि खेती अलाभकर है और उससे अब हमारी गुजर बसर नहीं होगी तो उससे उस का दिल टूट जायगा और वह खेती को छोड़कर किधर जायगा यह भी आप अभी नहीं कह सकते। जब तक सरकार उसको सारी सुविधायें देने के बाद कोई सही नतीजा नहीं निकालती, उन की जरूरतों को पहले मोहय्या नहीं कराती तो हम केवल राजनैतिक स्लोगन के नाम पर खेती की इकाइयों को घटाना बढ़ाना मुनासिब न होगा। केवल नारेबाजी से प्रदेश का कल्याण न होगा।

हम इस सिद्धान्त को मान कर चलें कि सभी पक्षों के लोग इस सिद्धान्त को माने कि पहले किसानों के हितों की रक्षा हो, उन की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री, पानी, बिजली, बीज, इम्पलीमेंट्स की उचित व्यवस्था हो, सही दर पर यह चीज मिलें और उनकी उपजाई चीजों का उचित मूल्य इन्हें दिलाया जाय। उसके बाद यदि खेती की इकाई और आकार को ठीक किया जाय तो उचित होगा। लेकिन जब तक आप किसान को इन चीजों से एश्योर नहीं करते तब तक राजनैतिक स्लोगन के नाम पर कोई बड़ा कदम उठाना उचित न होगा।

जल्द ही शहरी सीमा के विषय में भी कानून आने वाला है। उसमें क्या होगा यह अभी तक तय नहीं है लेकिन यह सही है कि जो खेतिहर किसान मजदूर हैं उन को नुकसान के पलड़े पर रखा जा रहा है। जो कामर्शियल हाउसेज हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, कम्पनीज हैं, फम्स हैं उन के लिए कह दिया गया कि हम उन को वेल्थ में शामिल नहीं करेंगे। नतीजा यह हुआ मान्यवर, कि अगर आज किसी कमर्शियल हाउस के पास कोई ऐसी जायदाद है जिससे वे और अधिक मुनाफा उठाते हैं तो 18 एकड़ के अलावा भी आप उसको देंगे। अगर किसी ने ऐसी सम्पत्ति बना ली जिसका कोई कन्ट्रोल इसमें न रखा तो बड़ा अन्याय हो जायगा।

आपको कोई न कोई विधान बनाना चाहिए कि जो भी कमर्शियल हाउसेज हैं, जो इस कानून से बचने के लिए तरह-तरह के हथकन्डे अख्तियार कर रहे हैं, वे न बचने पायें। ऐसे लोग इस देश में हैं जो सारे कानूनों के शिकंजों से बचने के लिये तरह-तरह के हथकन्डे अख्तियार करते हैं, किसी मेड के नाम जमीन लिख देते हैं। या किसी फर्जी दोस्त के नाम दे देते हैं। क्योंकि 2 एकड़ बाग की जमीन एक एकड़ सिंचाई की जमीन के बराबर हो जायगी तो नरसरी से लाकर 3—4 साल के पेड लगा देंगे और फिर आप रेवेन्यू विभाग को अख्तियार दे रहे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि बड़े ईमानदार नहीं हैं तो लाखों लोग अगर इस कानून के शिकंजे से बच गये तो आपको कामयाबी न होगी।

[श्री राजमंगल पांडेय]

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं। हमने जो यह निर्णय लिया है वह ऐसा निर्णय है जिससे प्रदेश के गरीब किसानों का लाभ होगा और सब लोग मानेंगे कि हमने जनता के लिए कुछ कार्य किया है।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, यह जो सीलिंग बिल इस हाउस में प्रस्तुत हुआ है, उसमें जो विरोध पक्ष की ओर से एमेंडमेंट पेश हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि कल एक कांग्रेस (ओ) वाले भाई ने कहा कि इसको लाने के लिए सरकार का क्या औचित्य है जबकि पिछले दिनों इन्हीं नारों के साथ सन् 1961 में एक सीलिंग बिल पास हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन उससे निकली और उसका क्या हुआ ? क्या कभी वह जमीन हरिजनों को दी गयी, वे अपना गिरहबान टटोल कर देखें कि इतनी जमीन सीलिंग से निकली लेकिन आज उसका कोई पता नहीं है। गांव सभाओं के माध्यम से जो जमीन ग्राम समाज को दी गयी क्या कभी आपने अपनी पार्टी मीटिंग में पूछा कि उसमें से कितनी जमीन हरिजनों को दी गयी और यदि दी भी गयी है तो जैसा कि माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा, कब्जा नहीं मिला है। आज जैसा कि माननीय राजमंगल पांडेय जी ने कहा कि अगर दी भी गयी है तो ऊसर जमीन उनके मत्थे मढ़ दी गयी है और वह जमीन जैसे उस वक्त थी वैसी ही आज भी पड़ी है। जो अच्छी जमीन है उसे सत्तारूढ़ दल के लोगों के भाई भतीजों ने हड़प कर ली है।

एक श्री एस०सी० सिन्हा हैं उनके एक लड़के अनिल कुमार हैं उसने जमीन अपने नाम एलाट कराई बुढ़ाना तहसील में इसीपुर तहसील में। उनके एक भाई श्री ए०पी० सिन्हा हैं जिन्होंने गांव समाज की जमीन ली। एक व्यक्ति ने कांधला में जो एक हजार बीघे जमीन रखते हैं उनके लड़के ने जमीन एलाट करा ली। अखबार वालों से मेरी प्रार्थना है कि वे और किसी बात को छापें या न छापें लेकिन इस बात को अखबारों में जरूर निकाल दें ताकि लोग इसको पढ़ें कि किस प्रकार से जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुबारा गरीबों को जमीन देने का झांसा दे रहे हैं और इसके कारण ये यह सीलिंग बिल ला रहे हैं। माननीय रियासत साहब कल बता रह थे कि ज्यादा से ज्यादा एक फीसदी आदमी पर इस बिल का असर पड़ेगा ? अगर आपने ढिंढोरा पीट कर यह जमीन निकाल भी ली तो क्या गारन्टी है। आजमायें हुए को आजमाना।

मैं पूछना चाहता हूं अपने भूमिहीन भाइयों से, हरिजन भाइयों से और मैं कहना चाहूंगा महीलाल जी से जो इतने सोशलिस्ट और फारवर्ड बनते थे उन्होंने अपनी पार्टी में यह बात रक्खी है कि यह जमीन जो दूसरे लोगों से जबरदस्ती लेंगे उसको ये दे पायेंगे या नहीं। जो बात उन्हीं के कैम्प से निकल रही है, जो उनके माननीय गिरि साहब बार-बार चिल्लाकर कह रहे हैं जो सीलिंग से निकल गयी है उनको कोआपरेटिव के माध्यम से यह फार्म बनाकर लगाये, कहीं गारंटी दी गई है कि यह जमीन भूमिहीनों को दी जायेगी और कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं बन जायेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जमीनों की जोत की मांग जो 18 एकड़ इनके दबाव की वजह से इसके बड़े-बड़े जो भूमि के मास्टर बैठे हैं उनके दबाव की वजह स यह 18 एकड़ रक्खी गई, कहीं-कहीं उनकी मांग दस एकड़ की है कहीं पांच एकड़ की है, अगर उनके पीछे नहीं लेंगे तो यह मैं जानता हूं कि यह मांग सवा छः एकड़ की आयेगी। सवा छः एकड़ जमीन का शिरकतदार बनाने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि वे उसके अन्दर साधन जुटायेंगे, खेती करायेंगे, पैसा लगाकर डेवलपमेंट कार्य करायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनको देखना चाहिये ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इन्होंने जो तरीका अपनाया है वह रशिया की तरह मे है। मैं पूछना चाहता हुं कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट दो बड़े ट्रैक्टर के कारखानों के लाइसेंस देने जा रही है। 35,40 और पचास हार्स पावर की कीमत 35,40 और 45 हजार रुपये होगी। 40 और 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर रशिया से इम्पोर्ट किये जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ट्रैक्टर कौन व्यक्ति चलायेंगे। ये पचास साठ या सौ बीघा रखने वाले काश्तकार क्या उन ट्रैक्टरों को खरीदने की क्षमता रक्खेंगे। क्या उसके पास पैसा होगा। इन्डाइरेक्ट वे में नीति यह है कि जमीन पर इतना भार पैदा कर दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रैक्टर रखने चाहिये, उनका दल या उनके नेता इस पक्ष में हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैं यह कह रहा हूं कि जो ट्रैक्टर आयेंगे वे कहां चलेंगे। यह मामूली काश्तकार जो सीलिंग के बाद में काश्तकार रह जायेंगे वे तो उसको खरीद भी नहीं सकेंगे फिर उन ट्रैक्टरों का क्या होगा। इनकी नीति यह है कि ये काश्तकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये भूमिहीनों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये ऐसा तरीका पैदा कराना चाहते हैं कि एक दफा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में खेती का क्राइसिस पैदा हो जाय। न खेती मिले न बैल रहें और अल्टीमेटली जब उसकी उपज गिरे तो सरकार उस मेंडेट के जरिये जो रशिया से मिलेगा और फिर में यह सुझाव रक्खेंगे कि हम इस लायक नहीं कि हम हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सके लिहाजा हम हकदार नहीं हैं। फिर कम्पलसरी कोआपरेटिव फार्मिंग की स्कीम वाले बैठे हैं। जब जमीन छिन जायेगी तो दो-दो हजार चार-चार हजार एकड़ की फार्मिंग पर ये चलायेंगे। यह उनके फुसलाने का तरीका है। इनकी तबियत बिल्कुल साफ नहीं है।

मान्यवर, पहले जब सीलिंग बिल पेश हुआ था तो यह कहा था कि रूरल सीलिंग बिल जो पेश होगा इसके साथ शहरी सीलिंग बिल भी पेश होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि शहरी सीलिंग बिल पेश करने में क्या परेशानी है? परेशानी इनकी यह है कि इनके बड़े बड़े बासेज जो दिल्ली में और दूसरी जगहो पर हैं और जो यहां भी बड़ी-बड़ी सम्पत्ति रखे हैं, कैसे उसको पार्ट-विद कर सकते हैं। उन्होंने सिनेमा एग्जम्प्ट कर दिया, कोल्ड स्टोरेज एग्जम्प्ट कर दिया, कार्मशियल हाउसेज को इग्जम्प्ट कर दिया और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को एग्जम्प्ट कर दिया। केवल मकान के ऊपर सीलिंग लगाना चाहते हैं। देहात में तो इनको, मान्यवर, बड़ी दौलत दिखायी देती है। लेकिन उन लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकते जिन्होंने कि सारी दौलत पर कब्जा कर रखा है। काश्तकार को दबाना चाहते है। कितनी नाइंसाफी है। कितना भेदभाव है? जिस वक्त देहात के आदमी को मुआवजा देंगे उस वक्त साढ़े सात प्रतिशत देंगे मालियत का क्योंकि सर्किट रेट का चालीस गुना देंगे और सर्किट रेट दस रुपया प्रति एकड़ से उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा नहीं है।

शहरी सम्पत्ति में मकान में भी उनकी जरूरत देखी जायेगी। मैंडेट आ गया है कि अगर बिजनेस चलने के लिये या और जरूरतों के लिये जरूरत होगी तो मकान उनसे निकालेंगे और उनको ही किराये पर दे देंगे। और किराया वही तय करेंगे जो उनके भाई भतीजे सरविसेज में बैठे हैं। गवर्नमेंट उनको मुआवजा भी देगी, जगह भी देगी और किराया कम लेगी। कितना बड़ा षड़यंत्र है? कहते हैं कि जिसके पास तीन लाख की प्रापर्टी होगी वह एग्जम्प्ट होगा, एक लड़का होगा तो चार लाख तक एग्जम्प्ट होगा, दो लड़के होंगे तो पांच लाख तक एग्जम्प्ट होगा। एक लाख तो महज कहने की बात है सीलिंग के अन्दर

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

पहले, दूसरे और तीसरे दरजे की जमीन है, जिसकी औसत कीमत 50 हजार से ज्यादा नहीं बैठती है । तो शहर वाले को तीन लाख और देहात वाले को पचास हजार।

अब मुआवजे को देंखे । तीन लाख की प्रापर्टी है, उसके बाद चार लाख की प्रापर्टी बाकी है तो बाजार भाव से 75 प्रतिशत मुआवजा देंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है । पार्टी मीटिंग में भी बोलने की जुर्रत नहीं है। हमारे गंगवार साहब यहां तो बहुत दहाड़ते हैं, लेकिन वहां क्यों बैठे रहते है । और श्रीमन्, मुआंवजा और बाजार भाव तय करने के लिये कौन लोग होंगे ? इन्हीं के भाई-भतीजे, सरविसेज के लोग होंगे । लेंगे लाख का और मुआवजा देंगे दो लाख का, जैसे कि गवर्नमेंट का दीवाला आज पीटा जा रहा है । आखिर गरीब देहाती से इस कदर इनको दुश्मनी क्यों है ?

मान्यवर, यह किस तरह से कह रहे हैं कि उसको फायदा पहुंचाने के लिये सीलिंग बिल को ला रहे है । अगर उनकी नियत ईमानदार है तो इसमें इनको एमेंडमेंट करना चाहिये । इनको पार्टी मीटिंग में अड़ कर बैठ जाना चाहिये, टिकटों के लिये अपनी आत्मा को नहीं बेंच देना चाहिये और कहना चाहिये कि पहले शहरी सम्पत्ति को इन्ट्रोड्यूस कीजिये फिर इसको लें। हाथ उठाकर तो यह बिल पास हो ही जाएगा क्योंकि आत्मा तो मर ही चुकी है परन्तु हमको इसका मुकाबिला तो करना ही होगा लेकिन अगर आप इसको ला ही रहे हैं तो दो चार दस कमियां जो इस बिल में खास हैं उनको आप मंजूर कर लें या फिर आप अपनी तरफ से उनको लाकर उसको मंजूर करवायें ।

मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि जब सन् तय करने का सवाल आता है इर्रीगेटेड और अनइर्रीगेटेड, किस किस्म की जमीन है इसको भी तय करें । ऐसा न होने से बड़ी भारी मुकदमेंबाजी होगी और उसका क्या होगा । उसका मकान और जमीन सभी बिक जायेगी । सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी चल जायेगी। इसको कौन तय करेगा कि इसमें एक पानी या दो पानी आया, पहली दूसरी और तीसरी क्लास की बात कौन तय करेगा। काश्तकार तबाह हो जायगा ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पढ़े-योग्य व्यक्ति हैं इस पर आपको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये । इसको केवल अपने प्रोफेशन को चमकाने का माध्यम न बनायें । जो हिसाब पहले से चल रहा है उसी का आधार लें जहां पर चकबन्दी हो चुकी है और जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है सर्किल रेट के जरिये इसको तय कर लें । जो पहले का पैमाना है उसी के हिसाब से लें कोई नया पैमाना नहीं बनायें । इसमें शिकायत नहीं होगी । नये तरीके को एडाप्ट करने पर उसमें भ्रष्टाचार और मुकदमें बाजी चल जायेगी । यह मसला बहुत जरूरी है । मान्यवर, फिर यह फर्क क्यों आ रहा है । आप यह देंखे कि गोरखपुर और बुन्देलखंड की जमीन के बारे में हमारे पेपर्स है । उनसे साफ जाहिर है कि वहां पर जितनी फर्स्ट क्लास जमीन है वह इतनी ही उपजाऊ है जितनी कि गोरख र की लैंड है लेकिन ढाई गुना दिया जा रहा है । इसका क्या कारण है ? यह विचारणीय बात है और उस पर आपको विचार करना चाहिये और इस प्रकार के भेद को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिय।

यह जो बालिग और नाबालिग लड़कों की बात है यह बड़ा भारी अन्याय है । इस प्रकार से एक फैमिली में मतभेद पैदा हो जायगा । जिनके तीन चार नाबालिग लड़के होंगे उनका क्या होगा । इस प्रकार का रिजर्वेशन बिल्कुल ही खत्म होना चाहिये। कल चौधरी साहब ने जो कुछ कहा वह तो समस्त विरोधी दल की भावनायें थीं । आप इसको प्रेस्टिज का प्वाइंट न बनायें बल्कि मैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस पर आप गम्भीरता के साथ विचार करें । आप लड़कों की बात तो रखें उसके अन्दर लेकिन बालिग और नाबालिग का सवाल न उठायें। वर्ना इसके असरात उस फैमिली पर बहुत बुरे पड़ेंगे और ऐसी फेमिलीज को बहुत नुक्सान उठाना पड़ेगा । इसकी गम्भीरता को आप सोचिये । अगर कोई

सही बात है तो उसको मानना चाहिये। बहुत सी बातें मानी जा सकती हैं और तब्दीली की जा सकती है ।

मान्यवर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं । हमारे यहां जो यमुना, चम्बल व गंगा नदियां हैं । उनके आसपास की जमीन है । उन नदियों का बहाव इतना तेज और खराब है कि एक साल में नदी का बहाव 2 मील उधर और दूसरे साल डेढ़ मील इधर हो जाता है । वहां पर जमीन वालों को यह भी नहीं मालूम कि वह जमीन उनके पास रहेगी या नहीं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दरियाओं के इर्दगिर्द 3–4 किलोमीटर की जमीन सीलिंग ऐक्ट में न लायें। उनकी जमीन को आप एग्जम्प्ट नहीं करेंगे तो उन लोगों को परेशानी हो जायेगी, उनकी जमीन चली जायेगी, ऊसर हो जायेगी और वे बेकार हो सकती हैं ।

आखीर में मैं, मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भाई राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की उपज बढ़ाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को सेल्फ सफिशिऐंट बनाना चाहते हैं और हरित क्रांति को कामयाब बनाना चाहते है, कि वे गम्भीरतापूर्वक इस बात को सोचें और दिल्ली में बैठन वालों की गाइडलाइन्स पर न चलें। इंदिरा जी नहीं जानती है, चौहान साहब नहीं जानते हैं कि गेहू का बीज होता या पौधा । वे कश्मीर में पैदा होती है, इंगलैन्ड में पलती हैं, अमेरिका में एजूकेशन लेती है और जो बात लोग उन्हें बता देते हैं उसी को मान लेती हैं । आज उन्होंने यह अपना तरीका बना लिया है । कहते तो अपने को काश्तकार के हितैषी मगर वास्तव में आप काश्तकारों को मारने वाली पालिसी एडाप्ट करते चले जा रहे हैं।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

आप यह देख लीजिये कि पैदावार को बढ़ाने वाली चीजों के दाम दिन प्रति दिन महेंगे होते चले जा रहे हैं । आपका डिपार्टमेंट उपेक्षा करता है । उपेक्षा ही नहीं करता है, अगर आप कोई कमीशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जांच के सिलसिले में बिठा दें तो आपको मालूम हो जायेगा कि उनकी क्या-क्या हरकतें हैं । पंतनगर यूनिवर्सिटी बोने के लिये सीड भेज देती है । उन सीड्स की कीमतें काश्तकार को तीन-तीन व चार-चार गुनी देनी होती है । सारा सीड् ब्लाक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मारफत थोपा जाता है और जब बोने का मौसम खत्म हो जाता है, वह किसी मतलब का नहीं रहता है तब उनकी मारफत वह मिलना है ।

खाद में भी यही होता है । सड़ी हुई खाद आती है जो चार-चार व छ-छ साल पुरानी होती है । ये आपके डिपार्टमेंट के कारनामे हैं । आज कल इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि काश्तकार इन चीजों को खरीदने के लिये अपने को नाकाबिल महसूस कर रहा है आखिर आपकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिये । आप सेंट्रल गवर्नमेंट से टकराते क्यों नहीं हैं । हैं ? आप उनको वार्निंग क्यों नहीं देते है ? अगर इन्हीं गाइडलाइन्स के ऊपर आप चलते रहे तो इसका नतीजा यह होगा एक दिन खेती ठप हो जायगी । दिल्ली में बैठे हुए एक्सपर्ट्स खेती की उपज का मूल्य निर्धारित करते हैं । खेती की जरूरियात की चीजें महंगी होती जा रही हैं । म आपक माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब व इन चीजों के दाम इतने महंगे कर देंगे तो किसान पैदावार क्यों बढ़ायेगा और उसका इनसेंटिव क्या रहेगा जब उसकी उपज की चीजों के दाम कम मिलेंगे ।

चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की रबी की बुआई करते समय काश्तकारों ने यह फैसला कर लिया है कि जिन चीजों के दाम उन्हें कम मिलते हैं उनकी पैदावार नहीं करेंगे । वे वही चीजें बोयेंगे जिनके दाम उन्हें ज्यादा मिलेंगे । आप लोग गलत बयानी तो खुद करते हैं । पिछले चार महीने पहले कहा जा रहा था कि बम्पर क्राम है । हिन्दुस्तान में शार्टेज नहीं है । लेकिन 65 लाख टन गल्ला अमेरिका से और दूसरी जगहों से

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

मंगाने पर आप मजबूर हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान को तमाम चीजें सब्सीडाइज्ड रेट्स पर देने की कोशिश करें। उनको प्रायारिटी दीजिये । अगर आप काश्तकारों को आगे नहीं ले जायेंगे तो आपका देश खुशहाल नहीं होगा ।

आपको मिसाल के लिये बतला दूं । सन् 67 में काश्तकारों को मिल वालों ने गन्ने का दाम 15, 16, 17, 18 रु० तक दिया । उसके पहले मिलें गन्ना दो तीन रुपये पर खरीदती थीं । लेकिन जिस साल उन्हें गन्ने के अच्छे पैसे मिले तो उससे सिर्फ काश्तकारों में ही खुशहाली नहीं आयी बल्कि उसका जो साझीदार था उसमें भी खुशहाली आयी । जब उसके पास पैसा आया तो उससे मजदूरों को मिला । फिर यह पैसा बाजार में पहुंचा और उससे व्यापारियों की जेब भर गयीं । जिनके पास साइकिल थी उनके पास मोटर हो गयी । जो मकान में रहते थे उनके पास बंगले हो गये । जब काश्तकारों की खुशहाली बढ़ी तो उससे मजदूरों की खुशहाली बढ़ी, दुकानदारों की खुशहाली बढ़ी । इतना ही नहीं आपके जो ब्युरोक्रेट्स हैं उनकी भी खुशहाली बढ़ी, उनकी भी जेबें भरीं क्योंकि पहले काश्तकार जिस काम को दो रुपये देकर कराता था उसी काम के लिये जब उसके पास पैसा आया तो उसने सौ रुपये दिये, हजार रुपये दिये और इस तरह से कर्मचारियों का भी पेट भरा । कहने का मतलब यह है कि अगर काश्तकार सुखी होगा तो मजदूर सुखी होगा, शहर सुखी होगा, कर्मचारी सुखी होगा, देश सुखी होगा । लेकिन जो तरीका आप अख्तियार कर रहे है अगर यह तरीका अख्तियार किया तो इससे देश का भट्टा बैठ जायेगा और हमारा हाल ऐसा हो जायगा जैसा कि लड़ाई के बाद चीन का हो गया था। इसलिये आप इससे नसीहत लीजिये और कोई ऐसा बिल लाइये जिससे किसानों का हित हो । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनको कबूल करके बिल को ठीक से लावें ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो बिल लाये हैं इसका सर्वत्र स्वागत है और मैं भी इसका स्वागत करता हूं । लेकिन इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं । मान्यवर, हमारे राजस्व मंत्री जी पेशे से वकील हैं । या तो इनको खेती का तजुर्बा नहीं या उनके पास जो खेतिहर मजदूर गये उन्होंने कुछ मेहनताना कम दिया । जो सेंट्रल कमेटी है उसके जो डायरेक्शंन्स हैं और इंदिरा जी जो समाजवाद लाना चाहती हैं उस सबको उन्होंने बलाये ताक रख दिया और अपनी जेब से एक बिल निकाल कर सदन के सामने उपस्थित कर दिया ।

मान्यवर, मुझे ताज्जुब होता है और हैरत भी। हम देहातों से चुनकर आते हैं और किसानों की रहनुमाई का दावा करते हैं और 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो देहातों में निवास करते हैं भले ही उनका सभी का पेशा खेती न हो लेकिन वह किसान और मजदूरों के नुमाइन्दे हैं । हमारे भाभी जी कह रहे थे कि वह किसानों के नुमाइन्दे हैं और सोशलिस्ट हैं । मान्यवर, जब किसान का गेंहूं और चावल तेज हो गया तो उन्होंने लाल टोपी लगवाई और अन्दोलन किया कि तेज क्यों हो गया । मान्यवर, आन्दोलन किया भाभी जी ने, आपोजीशन वालों ने कि इसे सस्ता किया जाय। मैं पूछता हूं कि सोशलिस्ट वालों ने कभी यह आन्दोलन किया कि जब किसान के घर गल्ला आया तो 50 रुपये बोरा बिका, इस वर्ष 70 रुपये बोरा बिका और आज 125 रुपये बोरा गेहूं का रेट है जबकि किसान के घर में है नहीं ।

आप विवेकशील हैं, मजदूर रोज का रोज खरीदता है । जब किसान के घर था 77 पैसे किलो बिका और अब डेढ़ रुपये किलो बिक रहा है । पता नहीं ये सोशलिस्ट वाले कहां चले गये ? इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो इन्दिरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी चाहती हैं समाजवाद लाने के लिये वह इसमें नहीं है। सेन्ट्रल कमेटी की सिफारिश थी कि किसी परिवार में अगर माइनर बच्चे हैं और उनकी तादाद 5 से अधिक है तो उन बच्चों का भी ख्याल रखा जाय और 5 से 8 तक जितने भी मेम्बर्स हों उनको इतनी जमीन दी जाय जो पूरी सीलिंग के दुगने से अधिक न हो। सिफारिश यह सेन्ट्रल कमेटी की थी कि 10 और 18 के बीच में होनी चाहिये। उनकी मन्शा यह नहीं था कि आप मैक्सिमम, यानी, 18 कर दें। एक आदमी के लिये 10 एकड, 12 एकड, 14 एकड लाये होते तो जमीन ज्यादा मिल सकती थी। लेकिन वैसा नहीं किया गया, एकदम से मैक्सिमम कर दिया गया। मिनिमम भी हो सकता था।

दूसरी बात यह है कि एक परिवार के बड़े लड़के को जो मेजर हो गया है अगर आप उसको दो हेक्टेयर देना चाहते हैं तो दूसरा जो 17 साल 11 महीने 19 दिन का है उसको क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या परिवार में आप झगड़ा करवाना चाहते हैं? इसी सदन में हमारे कुछ साथियों ने इशारा किया थाकि इससे तो मुकदमेंबाजी बहुत बढ़ जायेगी। तो हमारें मंत्रीं जी ने फौरन यह कह दिया कि इसको कोर्ट तय करेगा। आपको तो यह चाहिये कि जितना साफ सदन के सामने यह बिल ला सकें वह लायें और अगर इसमें कोई कमी रह गयी है तो आप किसी सदस्य से संशोधन पेश करवा दें।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

सेलेक्ट कमेटी को भिजवा दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार--

उसकी आवश्यकता नहीं है। साल भर से इस पर विचार हो रहा है, सारी चीजें सामने आ गयी हैं और सेन्ट्रल कमेटी की सिफारिशें हैं। वैसा ही इसको बना दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी--

माने तो यही हुये कि फिर वापस भेजा जाय?

श्री चेतराम गंगवार--

वह तो अमेंडमेंट मूव करा कर 18 वाले को 12 या 10 एकड़ और जो आदमी इन्होंने छोड़ दिये हैं उनको जमीन दिला सकते हैं। "वयस्क" शब्द को हटा सकते हैं। फिर यह बिल उनकी सिफारिशों के बिल्कुल अनुरूप हो जायेगा।

दूसरीबात मैं माननीय शर्मा जी से यह कहना चाहता हूं, मेरे उनके ऊपर कोई आरोप या कटाक्ष नहीं है, लेकिन हम देहात से चुनकर आयें हैं, उस जनता के हम प्रतिनिधि हैं। आप कांस्टीट्यूशन की बात जानते हैं, बहुत सीनियर हैं मुझ से। कांस्टीट्यूशन में यह व्यवस्था है कि किसी जाति या लिंग आधार पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, दावा तो करते हैं कि हम औरतों या आदमियों में कोई भेदभाव नहीं करते, सबको समान अधिकार देते हैं। पहले यह सवाल उठा था कि नौकरियों में औरतों को नहीं लेना चाहिये किन्तु अब वह सवाल खत्म हो गया, औरतें भी नौकरियों में आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में भी उनके लिये समान अधिकार की बात कही गयी है। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस विधेयक में उनके लिये कोई जमीन देने की बात क्यों नहीं की गयी है। आज बहुत-सी एसी लडकियां हैं जो अविवाहित रहकर देश की सेवा करना चाहती हैं, आपके यहां, परिवार नियोजन में भी कार्य कर रही हैं, आखिर उनके लिये आपने क्या सोचा है? आपको इन 49 परसेंट औरतों के लिये भी जमीन देने की बात सोचनी चाहिये थी। फिर जो अपंग है, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनके लिये भी आपको सोचना चाहिये था। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी किसान से आपको मेहनताना कम मिला हो तो उससे आप नाराज न हों, उनके हित की बात भी सोचिये। नाराजगी दिल से निकाल दीजिये

श्री उपाध्यक्ष--

आप केवल अविवाहित औरतों के लिये ही कह रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

अविवाहित और विवाहित सभी के लिये कह रहा हूं।

अब मैं सिंचित और असिंचित भूमि के विषय में कहना चाहता हूं। ब्रिटिश काल में जमीन के बहुत से रिफार्म्स हुये। शहरों की तरफ बहुत तवज्जह दी गयी। आज आप केवल गावों और किसानों की तरफ ही तवज्जह दे रहे हैं, गांव के विकास का ही आपको ध्यान, है, इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। शहरों को छोड़ दीजिये उनके भाग्य पर। वैसे आपके सामने बिल तो शहरों के लिये भी पड़ा हुआ है। तो मैं यह कह रहा था कि पहले भूमि की करीब 18-20 किस्में थीं। कछियाना, दूमट-अव्वल, दूमट दोयम, दूमट सोयम, मटियार आदि कई किस्में थीं। आज आपने केवल दो ही किस्म रखी हैं सिंचित और असिंचित। अब एक गांव में किसी के पास दूमट वाली जमीन है और उसी गांव में दूसरे के पास मटियार किस्म की जमीन है और उसने अपना ट्यूबवेल लगा लिया है, तो आज आप जो दोनों को बराबर कर रहे हैं यह कहां तक ठीक होगा ?

मटियार जमीन और अव्वल जमीन दोनों में बराबर कैसे पैदा हो सकता है। दोनों में जरूर फर्क होना चाहिये। बजाय सिंचित असिंचित के आप इस आधार पर जमीन की किस्में बनाते तो सभी माने में लोगों के साथ न्याय हो पाता। भले ही आप इतनी किस्में न बनाते चार-पांच ही बनाते, ए0 बी0 सी0 टाईप की बनाते, मटियार, दूमट, रेतीली या दरिया के किनारे की किस्में बनाते। बहुत-सी दरियायें हैं, सिर्फ बुन्देलखंड में ही दरिया नहीं है। सारे प्रदेश में दरिया हैं, रामगंगा है, घाघरा है वगैरह। सब जगह के लिये ऐसा कानून आप बनायें जिससे दरिया के किनारे की जमीन की व्यवस्था हो सके। सिंचित और असिंचित वाली सिर्फ बात कुछ मेरे समझ में नहीं आती है। फिर देखिये, किसी के खेत के पड़ोस में कुंआ है तो उसका खेत सिंचित माना जायगा। मान लीजिये, उसे आवश्यकता नहीं है वह अपना कुआं चलाता नहीं है या वह काम नहीं करता है, तो क्या वह हमारे खेत के लिये अपना खेत, हजारों रुपया खर्च करके सम्हलवायेगा। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? यह कितना बड़ा मजाक है किसानों के लिये कि कोई व्यक्ति कुआं बनवायें और दूसरे व्यक्ति उसके पड़ोसी का खेत सिंचित मान लिया जायें। क्या मजाक है कुंआ बनवायें राम वचन जी और आप मान लें उसे मेरा। तो जिसका निजी न हो, तब तक उसको सिंचित न मानिये। इसमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। यहीं उसके साथ धोखा हो गया। इस सम्बन्ध में सिंचित और असिंचित--दो चीजें ही शर्मा जी को दिखाई देती हैं।

राम लखन जी जब मंत्री थे, मैंने उनसे इसी सदन में प्रश्न पूछा था तो उसके जबाब में उन्होंने स्वयं कहा था कि 3 महीने 13 दिन पानी नहीं पंहुचा है। इस पर यहां से चीफ इंजीनियर ने एक आध कर्मचारियों को सस्पेन्ड भी किया। तो यह आपकी नहर का हाल है, तो जहां आपके ट्यूबवेल और कुवें हैं उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दो सिंचाई हो जायेंगी। रोज रात्रि में 7.20 बजे किसानों का कार्यक्रम आता है, उसके अन्त में कहा जाता है--अपना सकल्प दोहरा लो, तो उसम इस तरह की बात कही जाती है कि पांच पानी हो, दुगुनी खाद हो तो अच्छी फसल हो। लेकिन यहां पांच पानी छोड़ दो पानी मिलना भी दुर्लभ है।

मैं शहरी सीलिंग की बात कहना चाहता, लेकिन बिना उसकी बात कहे हुए यह बात पूरी नहीं होती। उसमें आपने लिख दिया मकानों की सीलिंग करेंगे। लेकिन फैक्ट्री, कार्यशाला आदि जहां पर उत्पादन कार्य होता है वहां पर यह प्रभावी नहीं होगा। आप सोचिये इस तरह से इस छूट का कितना दुरुपयोग होगा, कोई भी कोका कोला की दो बोतलें लेकर कहीं बैठ जाएगा और कहेगा यहां पर इनका कारखाना चलता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या

किसान के पास जो खेत हैं वह उसकी फैक्ट्री-कार्यशाला नहीं है ? क्या वहां किसी माल का उत्पादन नहीं होता है ? किसान की फैक्ट्री खेत है। लेकिन चूंकि किसान बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, बिना पढ़ा लिखा है, उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है ।

माननीय इंदिरा जी चाहती थीं कि पहले शहरी बिल लाया जाय । 1960 में एक बार देहात में सीलिंग हो गयी । फिर आपने उठाकर देहात का बिल प्रोड्यूस कर दिया । लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मन न होते हुए आप बिल ले आये । उसका सर्वत्र स्वागत करता हूं । और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इसमें कमियां रह गयीं हैं, उन पर फिर से विचार करें, उसमें मंत्रिमंडल से सलाह करके, या आप स्वयं सर्वशक्तिमान हैं उसमें जो संशोधन करने की आवश्यकता है वह सरकार करे क्योंकि ऐसा न हो कि बाद में बदनामी उठानी पड़े । किसी वजह से कानून में गलती हो जाय ।

मैं एक उदाहरण दूंगा । अंग्रेजों के जमाने में अगर किसी व्यक्ति के दो लड़के होते थे और उनमें एक लड़का मर जाता था, उसकी जो औलाद होती थी वह सक्सेसर नहीं होती थी । माननीय सुरेन्द्र विक्रमसिंह जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मतलब था कि अगर किसी के दो लड़के हैं और एक आदमी फौत हो गया तो उसके नाती सड़क पर टहला करते थे । इस सीलिंग बिल की मंशा केवल यह है कि कुछ लोगो को रोजी रोटी मिल सके, भूमिहीनों को भूमि मिल सके । इस बिल का मंशा कदापि नहीं होना चाहिये कि एक परिवार के कुछ लोगों को चाहे औरत हो या माइनर बच्चे हों या मेजर सन हो या लड़कियां हों उनको भूमिहीन बना दें, इस बिल की बिना पर । इस बिल का मंशा यह नहीं होना चाहिये कि कोई भूमिहीन हो जाय । अगर आपने एक माइनर को भूमिहीन बना दिया और किसी दूसरे की भूमि दे दी, तो वही हुआ जो मैंने उदाहरण दिया । जो जेन्युइन आदमी हैं उसको जमीन पंहुची नहीं, सभापति के चचा भतीजों ने उसको ले लिया । प्रदेश इतना बड़ा है कि शर्मा जी को याद नहीं है कि कौन तहसीलदार है, कोई शख्स नहीं पहचान सकता । प्रदेश बहुत बडा है । आपके सामने दिक्कत है । आप क्या बता सकते हैं कि आपने कितना अलाटमेंट किया जमीन का ? खाली कागजी खानापूरी होती है ?

यह ऐसे अमेंडमेन्ट्स हैं, जिनका होना बड़ा आवश्यक है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें हिचकिचायें नहीं । अगर कोई ऐसी बात है, कुछ दोस्त ऐंसे भी हो सकते हैं जो वैसे कोई बात करवां लें वह अलग बात है । लेकिन जो असली बात है जो किसान और मजदूरों के हक की बात है, वह सदन में जरूर आनी चाहिये, जरूर मनवायी जानी चाहिये । हमारा-कांस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक है, फेडरल है, उसमें इस बात की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को सर्व सत्ता प्राप्त नहीं है । हम जनता के प्रतीक हैं । अगर ऐसा कानून जैसा अंग्रेजों ने बना दिया कि एक आदमी के नातियों में आधे को जायदाद मिल जाय और आधे सड़क पर टहलें, बन जाय, इस सरकार ने उसको अमेंड किया, तो हम दोबारा ऐसा कानून न बनायें । यह हमारा कर्तव्य हो जाता है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि प्रवर समिति को बजाय भेजने के इसको माना जाय ।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले और बाद में हदबन्दी के विषय में यहां चर्चा चली आ रही है और सन् 1960 में इसी विधान सभा के अन्दर हदबन्दी के सम्बन्ध में कानून बना था। और उस समय के राजस्व मंत्री स्वर्गीय श्री हुकुम सिंह ने यह घोषणा की थी कि 14 से लेकर 15 लाख एकड़ तक जमीन हमारे सूबे में निकलेगी और अब हमको यह देखना है कि उतनी जमीन हमारे सूबे के भूमिहीनों को अथवा हरिजनों को मिल पाई या नहीं मिल पाई । मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सजीवन लाल]

हूं कि उनको नहीं मिल पाई । इस कानून से बड़ा असंतोष है क्यों कि राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की है कि इस कानून के अन्तर्गत लगभग 40 हजार एकड़ जमीन निकलेगी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

शर्मा जी बतला दें कि कितनी जमीन निकलेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अभी वर्क आउट नहीं किया जा सका है लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 3 लाख से 4 लाख एकड़ के अन्दर निकलेगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

25 एकड़ से अधिक के कितने फार्म हैं प्रदेश में ?

श्री सजीवन लाल—

तीन-चार लाख एकड़ के अन्दर जमीन निकलेगी जब कि 14, 15 लाख एकड़ की बात पहले कही जाती थी जो नहीं हो पाई । इसमें भी सन्देह उत्पन्न हो रहा है क्योंकि दोनों पक्ष में ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हदबन्दी कानून लागू किया जाय और जमीन भूमिहीनों व गरीबों तक पंहुच सके क्योंकि इसमें एक संशोधन आया है जिसके जरिये दोनों पक्ष के सदस्यगण इस पक्ष में हैं कि यह कानून सन् 1971 से लागू हो जब कि पहले यह घोषणा हुई थी कि इसको सरकार 70 से लागू करेगी । इस बीच में लोगों को काफी मौका मिला अपनी जमीनों को ट्रांसफर तथा बेचने तथा खसरा व खतौनी में दूसरों के नाम इन्दराज कराने का ।

पिछली बार इस सदन के अन्दर एक प्रश्न उपस्थित किया गया था और यह कहा गया था कि बिरला का जो फार्म है लखीमपुर खीरी में तथा गोला में जो फार्म है वह जमीन हदबन्दी में ली जा रही है लेकिन सरकार इसका फैसला आज तक नहीं कर पाई कि वह जमीन भूमिहीनों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी या कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिलेगी या सरकार उसे अपने पास अच्छा बीज पैदा करने के उद्देश्य से रखेगी ? जमीन लेने के बाद वह गरीबों में नहीं बट पाई । सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये । ला डिपार्टमेंट के दबाव के कारण और केन्द्र के दबाव के कारण 18 एकड़ वहां रखा जाता अगर यह बिल न आया होता । वहां केन्द्र में जो कमीशन बना हुआ है उसकी घोषणा है कि 10 और 18 के बीच में कोई चीज पकड़ना चाहिये । हद जो थी 18 एकड़ उसे ले लिया भी जाय तो बागों को नहीं छुआ गया । उनकी सीमा दुगनी की गयी यानी 36 हो गयी । बालिग लोगों को उसी हिसाब से बढता चला जायगा और इस प्रकार वह सीमा 60–65 एकड़ हो जायगी । तो इससे भूमिहीनों को, गरीब किसानों को कहां से भूमि मिल पायेगी ?

श्री उदितनाराचण शर्मा—

60–65 एकड़ कैसे पड़ेगी ?

श्री सजीवन लाल—

18 के दूने 36 एकड़ हो गये । तीन लड़के बालिग हैं और उनके साढ़े सात एकड़ फी लड़के के हिसाब से जोड़ लीजिये तो लगभग यही पड़ता है । अगर 60–65 से कम पडता है तो उतना संशोधन कर लीजिये । बागों में जो कलम के बाग हैं अथवा अमरूद के बाग हैं उनमें अच्छी आमदनी होती है । जो छूट दी जा रही है वह नहीं दी जानी चाहिये थी । इसके अलावा भूदान से निकली हुई जमीन के पट्टे हमीरपुर में किये गये । 4, 5 साल से उन पर लगान पड़ रहा है लेकिन उनको जमीन नहीं मिल पा रही है और कानून आपका ऐसा लचर है कि जमीन किसी के नाम है, पट्टा किसी के नाम है, जोतता कोई है और लिये कोई और जा रहा

है । 4,5 साल से जो लगान दे रहे हैं उन जमीनों पर कब्जा करवाते हैं पुलिस के जरिये से, अन्य अधिकारियों के जरिये से लेकिन गरीबों को वह नहीं मिल पाती है ।

मेरा सुझाव है कि हदबन्दी से जो जमीन निकले हर जिले में उसके लिये जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जायं जिनके सदस्य सर्वदलीय हों, जिनको हदबन्दी में विश्वास हो और जो यह चाहते हों कि जमीन का वितरण हरिजनों तथा गरीबों में सही-सही हो सके । ब्लाक स्तर पर, गांव के स्तर पर वे कमेटियां हों । लेकिन जो जमीन निकलेगी वह लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार तथा भ्रष्ट अधिकारियों के जरिये से बटेगी जिससे समाज दूषित बना हुआ है, देश में गरीबी का वातावरण बना हुआ है । भूमिहीन अथवा हरिजनों को वह जमीन नहीं मिल सकेगी । जो कमेटियां इस तरह से बनाई जायं उनमें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हरिजनों तथा भूमिहीनों का हो जो अच्छी तरह से इन चीजों को समझते हैं और अधिकारियों की सरकार की ओर से हिदायत हो कि वे इन कमेटीज को अपना सहयोग दें और उनको खसरा खतौनी देखने की सुविधा मिलनी चाहिये ।

1960 में जो 14,15 लाख एकड़ जमीन निकलने वाली बात थी वह तो खत्म हो गयी । अब 3,4 लाख एकड़ जमीन निकलने की बात कही जा रही है । क्या वह जमीन भी मिल पायेगी इसमें भी मुझे सन्देह है ? इस सन्देह को दूर किया जाय । राजस्व मंत्री ऐसा कदम उठायें कि इस समय जो यह फिजा उत्तर प्रदेश में फैली हुई है कि कुछ जमीन भूमिहीनों को मिलने वाली है उसको कार्य रूप में परिणित किया जाय । लेकिन अगर केवल आश्वासन ही रहा जैसा कि पिछले बहुत वर्षों से चला चला आ रहा है कि जमीन नहीं मिल पा रही है इस तरह से जनता को धोखा दिया जाता है तो इस तरीके से देश की गरीबी कभी दूर नहीं होगी, भुखमरी दूर नहीं होगी और न गांव में रहने वाले मेहनती किसानों को ही जमीन मिल पायेगी । जमीन उनको मिलेगी जिनके पास बड़े-बड़े उद्योग हैं, शहरों के अन्दर जिनके उद्योग हैं और शहरों के अन्दर जिनके बड़े-बड़े मकान किराये पर है । जिनके लड़के बड़ी-बड़ी नौकरियों में हैं बड़ी-बड़ी जगहों पर हैं जो दो-दो ढाई-ढाई हजार रुपये तनख्वाह पाते हैं तथा जिनके पास कई उद्योग करने के लाइसेंसेज और परमिट है । तब तक इस देश की गरीबी नहीं हटेगी जब तक कि आपने इनको नौकरियों से नहीं हटाया, उनके ऐसे परमिट और लाइसेंसेज न रद्द किये ।

आपको इस देश की गरीबी दूर करने के लिये गरीबों को साधन भी देने होंगे । आपको सामान भी देना चाहिये । अगर साधन और सामान दोनों गरीब को नहीं मिलते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि भूमिहीन, हरिजन और गांव के अन्दर रहने वाला किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है । जब तक आप गांवों और शहरों की विषमता को दूर नहीं करेंगे और जब तक बड़े लोग इन छोटे लोगों का शोषण करते रहेंगे तब तक उन्नति नहीं हो सकती है । ये शहर के बड़े लोग देहात में रहने वाले छोटे किसानों को लूट रहे हैं । किसान को अपने अनाज को शहरों में मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है । इस पर रोक होनी चाहिये । शहरों की सड़कें बन जाती हैं, सब चीज की व्यवस्था हो जाती है किन्तु बस्तियों और गांवों में कोई सुविधा नहीं पहुंचा पाते है । यही गरीब किसान और हरिजन देश की रीढ़ है और देश को चलाने वाले है किन्तु आज तक किसी की निगाह उसकी तरफ नहीं गई है । इसलिये यह सरकार शहरों से अपनी निगाह हटाकर देहात के भूमिहीन किसानों की तरफ, देहाती जनता की तरफ देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, 1972 सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री डूंगर सिंह विष्ट]

हुआ हूं । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज एक चिर-प्रतिक्षित कदम उनकी तरफ से उठाया जा सका है चाहे उसका परिणाम नगण्य ही क्यों न हो और कम से कम लोगों को ही उसका फायदा क्यों न हो लेकिन जो कदम उठाया गया है वह सही है और उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में उस पार के माननीय सदस्यों के भी विचार आये और इस अवसर पर यह कहना ठीक समझता हूं कि विधेयक का विरोध करना सामाजिक असंगतियों को समर्थन देना होगा ।

यह बात सही है कि विधेयक में कानूनी बहुत सी असंगतियां है । इस संबंध में मैं आपको अपने पर्वतीय क्षेत्र की तरफ ले जाता हूं । मैं राजस्व मंत्री जी से भी निजी रूप से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे जोर दिया कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिये । उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, कहीं मैं भूल तो नहीं गया । तो उसमें मैंने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये कोई सुविधा नहीं दी गई कि उनकी गति किस जगह पर है। आप देख लें कि इस विधेयक में बुन्देलखंड, मिर्जापुर आदि दुनिया भर का जिक्र है लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कुछ भी अंकित नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

इसलिये नहीं रखा है कि आप उनसे डरते हैं ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

आप तो हमारे यहां का हवा पानी खाते हैं, इस तरह की बात आपको नहीं बोलना चाहिये। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी उत्तर देते समय बतलावें कि उनके मन में क्या था या उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है जैसा कि हमारे यहां उत्तराखंड को अलग करने का आन्दोलन चल रहा है उस पर उनकी मौन स्वीकृति हो चुकी है कि ऐसा तो होना ही है । मैं समझता हूं कि विधेयक बनाने वालों की यह सबसे बड़ी भारी भूल है कि उन्होंने उस क्षेत्र को इस विधेयक में अंकित करने से छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करेंगे । पिछले दिनों जब राजस्व मंत्री जी ने हम लोगों की मीटिंग बुलायी थी तो मैंने उनका ध्यान भावर क्षेत्र की ओर आकृष्ट किया था और बाद में भी समय समय पर उधर उनका ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और उसको समतल करने में 50 वर्ष लगेंगे तथा सरकार के लाखों रुपये खर्च हो जायेंगे तब भी वे सिंचाई के काबिल न हो सकेंगे,इसमें काफी सन्देह है । क्योंकि वहां ऊबड़ खाबड़ जमीन से होकर तमाम नदियां बहती है, बड़ी-बड़ी चट्टान हैं । उन चट्टानों को तोड़ने और उनको समाप्त कर समतल मैदान में बनाने में पचासों वर्ष लग जायेंगे । जमींदारी एबालिशन ऐक्ट सन् 66 जुलाई से अब कुमायूं गढ़वाल के साथ-साथ उस क्षेत्र में भी लागू हो गया है और वहां भूमिधरी आदि अंकित किये गये हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, माननीय विष्ट जी का कहना सही है, भावर क्षेत्र को भी इसमें शरीक होना है ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावर क्षेत्र को मेरी भावना के अनुरूप स्वीकार कर लिया है । अब मैं शर्मा जी से चाहूंगा कि यह पर्वतीय क्षेत्र का मामला है, इस विधेयक पर जवाब देते समय वे स्पष्ट कर देंगे कि हम कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उत्तर प्रदेश के ऊपर हैं, भीतर नहीं हैं (हंसी)

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

मेरा कहना है कि आज पर्वतीय क्षेत्र की जैसी हालत है आशा है कि उसी के तहत में इस विधेयक को बनाने की कृपा करेंगे । पहले जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में हम इसको नहीं लागू करने जा रहे हैं, और चूंकि उन्होंने उस क्षेत्र को इनमें अंकित नहीं किया इसलिये मुझे कहने की जरूरत पड़ी वरना बात वहीं पर समाप्त हो जाती । पर्वतीय क्षेत्र में बहुत छोटी-छोटी होल्डिंग्स है । मैं सही-सही आंकड़े तो नहीं बतला सकता हूं लेकिन 80 प्रतिशत होल्डिंग्स का औसत दो एकड़ पड़ता है । हमारे यहां लम्बे पहाड़ पर बड़ी मुश्किल से 2 एकड़ का रकबा गिना जा सकता है । अंग्रेजों के जमाने में कुछ सीढ़िया ऐसी थीं जिनका कुछ भी लगान नहीं लगता था । लेकिन आज जिन सीढियों पर घास लगाने की भी गुंजाइश नहीं रहती है, ऐसे रकबे का भी लगान अदा करना पड़ता है, यह इस सरकार ने हमारे ऊपर कृपा की है ।

मैं समझता हूं कि हमारे शर्मा जी जिन्होंने वहां व्यापक दौरा किया था इस बात को स्वीकार किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में अंग्रेजो के जमाने से चले आतेथे पुराने तरीके के लगान के तरीके को लागू किया जायगा माननीय शर्मा जी स्वीकार करेंगे कि यहां मैदानी क्षेत्र में जो तरीका है उसमें आबादी का रकबा जो पटवारी अंकित करता है उसी हिसाब से लगान वहां पर वसूल किया जाता है लेकिन हमारे यहां यह बात नहीं है । हमारे यहां सीढीनुमा खेत है । सीड़ियां 10-10, और 14–14, 12-12 फीट की होती है और जब इतनी चौड़ी सीढ़ियां होती हैं जिन पर खेती नहीं होती तो फिर उनका लगान हम क्यों दें, यह बात माननीय शर्मा जी को सोचनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी-छोटी होडिंग्स है और वहां सीलिंग ऐक्ट लागू होने की गुंजाइश नहीं है । वहां 18 या 19 बागीचे ऐसे हैं जिनको इस ऐक्ट के अन्तर्गत बागीचों की परिधि से बाहर माना गया है । ये बागीचे, गढ़वाल में और कुमायूं में 8 जिलों में हैं जिनका क्षेत्र सौ एकड़ से लेकर 5 सौ एकड़ तक है । ये अंगुलियों पर गिनाये जा सकते हैं । अब जब वे बाग इस जोत सीमा बिधेयक की परिधि से बाहर निकाल दिये गये तब उन पर सीलिंग लगाने का सवाल नहीं पैदा होता । शर्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि पर्वतीय क्षेत्र इस विधेयक की सीमा के अन्दर नहीं आयेगा। वहां के लोग अधिकतर भूमिहीन लोग हैं जिनकी चिल्लाहट मुख्य मंत्री जी और उच्च धिकारियों के सामने रहती है कि उनको तराई में बसाया जाय । तराई हमारे पर्वतीय क्षेत्र का आगम है । हम तमाम लोग जाड़ों में अपने जानवरों को चराने के लिये आ जाते थे । यह तमाम खत्ता ऐसा है जहां यह मसला आज भी है और अगर यह मसला उन खाते दारों का उस खित्ते में हल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के लिये बहुत जल्द सिरदर्द हो जाने वाला है । लाखों आदमी भूमिहीन है और जब तराई में आकर उनके बसने की बात है तब वहां पर्वतीय क्षेत्र में सीलिंग ऐक्ट के लागू करने की बात नहीं होनी चाहिये।

अब मैं भानर इलाके की तरफ आता हूं और माननीय शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि क्या असिंचित के तरीके से आपने उसको बाहर कर दिया या उसको बिलकुल जोत सीमा आरोपण से ही मुक्त कर दिया है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

केवल असिंचित की तरह पर नहीं रखा है बल्कि जितने भी क्षेत्र ऐसे बताये गये है जो बहुत कम उपजाऊ है उनके लिये ही यह कानून नहीं लागू होगा ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

तो मुझे अब कुछ नहीं कहना है । मैं अब तराई क्षेत्र के विषय पर आता हूं । तराई एक ऐसा क्षेत्र है कि 25 साल पहले उसे कोई पूछता नहीं था । हमारे रामधारी शास्त्री

[श्री डूंगर सिंह विष्ट]

जी इतना हल्ला मचाते हैं वह पहले कभी नहीं वहां आना चाहते थे । यह कब आये उस समय आये जब पंजाबियों ने उस क्षेत्र को आबाद किया और बंगाली वहां आये और केंन्द्रीय सरकार ने उनको रिहैबीलिटेट किया । जब वह क्षेत्र आबाद हुआ तो माननीय सदस्य भी देवरिया से चले आये । इससे पहले कोई वहां नहीं आया और श्रीमन्, आपको भी उधर आने का साहस नहीं हुआ । यह तराई है । इसके लिये शर्मा जी ने ठीक ही कहा मैं आपके द्वारा एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तराई की तरफ वह यह मान कर चले है कि यह सिंचित भूमि है और अव्वल दर्जे की भूमि गिनी जाती है । शर्मा जी उस भूमि को सिंचित मानें जहां राजकीय सिंचाई के साधन हों ।

सीलिंग में अधिकतम जोत क्या रखी है । उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं तो श्रीमन्, बामपंथी हूं । मैं यह स्वीकार करता हूं कि वामपंथी के माने भी समाजवादी है । मैं आपका ध्यान तराई की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस तराई में भी...

श्री रामधारी शास्त्री--

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह मंत्री जी को कौन पंथी मानते हैं । बामपंथी मानते हैं या नहीं ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में वे बीसियों साल रहे हैं । अब वे इधर चले आये तो क्या हुआ । आपको उनके प्रति ऐसी शंका नहीं होनी चाहिये । वहां इनका एक 50 एकड़ का फार्म है । इसलिये चाहते हैं कि इसमें 2।4 साल बिलम्ब हो जाये तो अच्छा है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह गलत है हमारा इतना बड़ा फार्म नहीं है ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से कह रह था कि वह इसको स्वीकार कर लें कि वह क्षेत्र असिंचित गिना जाये जहां राजकीय सिंचाई के साधन न हों दो प्रतिशत भी । आपको मालूम है और यह सुनकर आश्चर्य होगा कि चाहे नानक सागर बांध हो, चाहे शारदा सागर बांध हो, चाहे हरीपुरा बांध हो, वह हमारे क्षेत्र को नहीं सींचते हैं । वे बरेली, पीलीभीत या मुरादाबाद को ही सींचते हैं । नैनीताल का जो डैम है वह हमारे लिये खतरे की घंटी रहती है । वे पक्के बने होने चाहिये । जब बाढ आती है तो उनसे हमारे यहां तबाही होती है । लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी बात नहीं सुनी जायेगी और अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । हमारे क्षेत्र में अगर डैम बनते है तो हमारा क्षेत्र सिंचित साधन वाला नहीं गिना जाना चाहिये क्योंकि हमारे क्षेत्र को सिंचाई नहीं मिलती है । इस जमाने में भी कभी 8 बजे मिलती है, कभी 10 बजे मिलती है और कभी 12 बजे मिलती है ।

नलकूपों का जल यदि उपलब्ध भी होता है तो उसकी कोई निश्चितता नहीं है, 2-3 घंटे को बिजली मिल गई तो ठीक और नहीं मिली तो बन्द पड़ा है । निजी नलकूपों का कहीं सिंचन बिलकुल अस्थायी है और वह बिलकुल इस तरह का है जिसका कि कोई भरोसा नहीं ह । मैं मंत्री जी से निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि नैनीताल की तराई का क्षेत्र बिलकुल असिंचित क्षेत्र घोषित किया जाय और उसके अनुसार वहां की जोतसीमा बांधी जाय चाहे आप उस सीमा को 18,12,15 एकड़ कुछ भी रखें । वहां इस तरह से ड्योढा आकार जोत का रखें ।

एक बात माननीय चेतराम जी कह रहे थे कि यह जोत सीमा जिस तरह से लागू की गई है वह तो एक मखौल हो जायगी । इसका कारण यह है कि इस जोत सीमा का हल्ला मचते-मचते 3 साल हो गये । चौधरी चरण सिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने अमीनाबाद पार्क में अपने भाषण में कहा था कि हम 30 एकड़ सीमा करेंगे यह करेंगे वह करेंगे । उसके फल-स्वरूप हमारे यहां हल्द्वानी, नैनीताल और काशीपुर में 500 से लेकर एक हजार तक रजिस्ट्री हुयी । मैं भी दुर्भाग्य से उस वक्त उस पार ही बैठता था और उस समय मैंने एक प्रश्न पूछा था तो चौधरी साहब ने उत्तर में कहा था कि हमने अभी जिलाधिकारियों को यह आदेश नहीं दिया है । पहले कह दिया है, बाद में कहा कि नहीं दिया है ।

उसके बाद दुर्भाग्य से 6–7 माह के बाद सरकारें बदलती रहीं । लेकिन अब तो समाजवादी सरकार बनी है उसके बारे में कम से कम यह मानना पड़ेगा कि उसका कदम कुछ आगे बढ़ा है, भले ही उस पर हमारे साथी न मानें लेकिन दिन निकलता है तो सूर्य का श्रेय मानना चाहिये, वह चन्द्रमा है या ठंडा है यह नहीं कहना चाहिये । जब सूर्य की धूप में गरमी में बैठे तो उसी को सूर्य का प्रताप कहना चाहिये । चाहे हम कुछ ही कदम आगे बढ़े लेकिन हमने कई चीजों में मजबूत कदम बढ़ाया है । चाहे चीनी मिलों की बात हो या जोत सीमा की बात हो ।

हमारे भाई भानु प्रताप सिंह जी खटीमा गये थे, वहां उन्होंने किसान असोसियेशन की मीटिंग बुलाई और वहां उन्होंने जाकर उन तलवार साहब की दुन्दुभी बजाई जिनका कि एक जगह 23 सौ एकड़ और दूसरी जगह 56 सौ एकड़ का फार्म बना हुआ है । मुझे भी वहां बुलाया गया बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ वैसे भानु प्रताप जी हमरे माननीय सदस्य है और हमारे दोस्त भी हैं । उनकी एक बात जरूर हमारी समझ में आई और वह यह कि शहरी सीमा और देहाती सीमा निर्धारण में एक व्यक्ति की आय के हिसाब से एक ही अनुपात रखना चाहिये । अगर दोनों में एक ही नीति अपनायी जाती तो यह सही है कि वह एक ईमानदारी का कदम होता ।

एक बात की ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान और आकृष्ट करूंगा कि गोपीनाथ बनिया हल्द्वानी में व्यापार कर रहे हैं और उनका सितारगंज में डेढ हजार एकड़ का फार्म है । इसी तरह से चिमनी साहब का जो दिल्ली में रहते हैं वहां 1,500 रुपया मासिक पाते हैं उन का भी किछा में 700 एकड़ का फार्म है । स्काट फार्म है । यह सब लोग आपके पिछले ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आ सके यह इस बात का प्रमाण है कि यह लोग किस तरह से सरकार को नचा सकते हैं ।

श्रीमन्, जहां तक माननीय भानु प्रताप सिंह की बात है उसका अर्थ यह है कि अगर आपने पहले गलती की है और उसे अब सुधारी है तो वह गलत है । इस समाजवादी सरकार ने जो कदम उठाया है तो उससे आपकी नपुंसकता तो समाप्त हो गयी । आप नाहक में ही फार्मर्स फेडरेशन को ऐड्रेस करके भड़काते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय––

हम तो हों या न हों लेकिन वे अपने को भी उसी स्थिति में रख रहे हैं ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

श्रीमन्, संविद सरकार 1967 में 10 महीने तक रही और मैं जानता हूं कि हमारे समाजवादी भाई, प्रभु नारायण सिंह, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मैं समझता हूं कि चाहे प्रदर्शन के तरीके ही करते एक दिन भी उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम सीलिंग ऐक्ट लायेंगे । हम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं कर पाये ? हम करनी और कथनी में करते हैं और अब वह हमारे सामने आया । मैं स्वीकार करता हूं कि शहरी सम्पत्ति की सीमा और देहात की जोत सीमा आरोपण अधिनियम, ये दोनों एक साथ आने चाहिये थे ।

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

आज हमारे यहां एक प्रथा चल गयी है । एक खेती करता है लखनऊ से 30 मील दूर या काशीपुर या कोटद्वार में और ठाठ से रहता है, हल्द्वानी, नैनीताल, लखनऊ या बनारस में । तो मैं यह चाहता हूं कि एक आमदनी वाला, एक साधन सबको उपलब्ध होना चाहिये । समाजवाद का भी यही सिद्धांत है तो मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और सारे मंत्रीगण से यह विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीलिंग ऐक्ट को तो आपने लागू कर दिया, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि शहरी आय सीमा का विधेयक इस सदन में पेश हो और दोनों का आपस में तालमेल हो, एक आदमी को एक साधन का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित होना चाहिये ।

हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 लाख से अधिक की शहरी सम्पत्ति की सीमा बनेगी लेकिन हम देखते हैं कि इसको भी 5 लाख और उसमें भी कार्यशाला और कारखाने नहीं, कर दिया है । तो यह देखने की बात है । माननीय भानुप्रताप सिंह और जो उधर के बुद्धिजीवी लोग हैं हम सबको चेतावनी देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक साधन देने की बात नहीं सोचेंगे तो इस विधेयक से हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे और भूमिहीनों को भूमि दिलाने का प्रयोजन सफल नहीं होगा । असल में एक बात यह है कि जो भूमि वाले हैं, वे गलत तरीके से रहते है । उनसे भूमि को छीनना पड़ेगा चाहे वे श्री गोपीनाथ हों, नन्दा साहब हों या और कोई हों, सबको एक साधन देना पड़ेगा ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जोत सीमा आरोपण सीमा विधेयक है इसके बारे में एक साल से हल्ला-गुल्ला हो रहा है कि 24 फरवरी, 1970 से लागू होगा लेकिन जो विधेयक पेश किया गया है वह 24 जनवरी, 1971 से लागू होगा । मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बहुत गलत परिणाम होंगे और मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि इससे 1/4 हिस्से भी भूमि प्राप्त न हो सकेगी । जो आपने अपने मन में धारणा की है उसको सोच लीजिये कि हम जो सोचे थे उसकी एक चौथाई जमीन प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

अभी मैं एक उदाहरण देता हूं । एक माननीय सदस्य 250 एकड़ के काश्तकार रह चुके हैं । उनका नाम नहीं लूंगा । उन्होंने कहा कि मेरे पास दो सौ पचास एकड़ जमीन है और हमारे पास-पांच छः खेतिहर मजदूर हैं । उनके नाम पंद्रह-पंद्रह एकड़ का दावा करवा दिया । दो साढ़ू भाई थे उनसे डेढ़-डेढ़ लाख एकड़ का रुक्का लिखा लिया । बीस एकड़ उनको दे दी । वे बीस एकड़ की बदमाशी क्या करेंगे । अगर करेंगे तो डेढ़ लाख का दावा करके वसूल कर लूंगा । इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के हथकण्डे चलते हैं । यह बात कैसे चलेगी जब आपने 70 के बजाय 71 से कर दिया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री इस 70 को मान लें । अगर हम झूठ निकलेंगे तो इन्क्वायरी में सब बातें सामने आ जायेंगी ।

मेरे भाई माननीय सदस्य चेतराम जी कह रहे थे कि हरिजनों को भूमि नहीं मिली इसी तरह से भाई रामप्यारे जी भी कह रहे थे कि हरिजनों को जमीन मिलनी चाहिये । मैं यहां बता दूं कि हमारी सरकार ने भूमि की कीमत बना दी है । बीज, खाद, सिंचाई के साधन आदि दे दे करके । लोगों का ध्यान इधर आकर्षित करवा लिया है । मैं आपको श्रीमन्, तराई, भाबर और पहाड़ों का भी उदाहरण दूं । मैं जिस गांव में रहता हूं । उस गांव में एक चौथाई हिस्सा आबादी है । मैं यह सन् 47 की बात कह रहा हूं । क्योंकि कुछ उपलब्धियां मिलीं, कुछ कर्ज मिला, खाद मिली, कुछ सब्सिडी मिली, हम लोग आकर्षित हुए और हम सब लोगों ने जमीनों को बनाना शुरू किया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हरिजन भाइयों ने भी जोत सीमा आरोपण अधिनियम के आने से जमीन की मांग की । जो आदमी राज का काम करता था, जो कारपेंटरी

का काम करता था, वह भी कहता है कि जमीन दी जाय। मेरे विचार में तो जो हुनर जानता है उनको तो उस हुनर की ट्रेनिंग दी जाय जिससे उसको अच्छी से अच्छी मजदूरी मिले और वह उसकी जीविकोपार्जन का साधन बन जाय।

(इस समय 2 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

आप भूमि दे कहां से पायेंगे सबको ? जैसा कि अभी कहा गया, कुल तीन लाख एकड़ जमीन मिल सकेगी। दस लाख भूमिहीन लोग तो केवल पर्वतीय क्षेत्र में ही हैं। कहां से देंगे ?

श्रीमन् एक विशेष सुझाव मैं देना चाहता हूं। पूर्वी बंगाल से आए हुए हजारों लोग नैनीताल जिले में शक्ति फार्म में बसाए गए। उनको भूमिधर राइट्स दे दिए गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया ? पांच-पांच एकड़ का जो एलाटमेन्ट था उसको बेचना शुरू कर दिया। राज बिहारी शास्त्री जरूर वहां रहे, बाकी लोग जिनको जमीन मिली उन्होंने बेंच दी और चले गए। इसलिए इस विधेयक में यह भी होना चाहिए कि जिनको भूमि मिलेगी वह बेंच नहीं सकेंगे और अगर बहुत जरूरत हो तो डी० एम० की इजाजत के बाद ही बेच सकेंगे। थारुओं के लिए इस तरह का प्रावीजन ऐक्ट में किया गया है कि जिनको जमीन दी जाएगी वह बिला डी० एम की आज्ञा के बेच नहीं सकते। छोटी छोटी होल्डिंग्स के लोगों को अगर भूमिधरी राइट्स होंगे और बेचने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा तो वह शादी-ब्याह में बेंच देंगे। पहाड़ में हजारों की संख्या में लोग पांच-पांच, छ-छ एकड़ जमीन को बेंच देते हैं। वही लोग फिर कहते हैं कि हम भूमिहीन रह गए हैं।

जब आपने सन् 70 का 71 कर दिया है तो जो सीधे-सीधे लोग हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा है ? जिनको अपनी जमीन बेचनी है, श्रीमती विद्यावती जी का क्या कसूर है, इन्हें खबर नहीं मिली समय से तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इन सारी चीजों को देखें। जब आपने एक साल का कंशेसन लोगों को दिया है तो दूसरे जो सीधे-सादे लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक है इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मुआवजे की जो बात है, वह ठीक ढंग से फिक्स होना चाहिए। यह बातें बिल्कुल गुप्त रखी गयी हैं। इससे भूमि संक्रमण होगा। मेरा तो यह विचार है कि जिससे भूमि ली जाये उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिये। अगर सरकार ने किसी तरह के मुआवजा देने की बात कही है तो यह समाजवाद के सिद्धांत के विपरीत है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मूल ऐक्ट में तो कम्पेनसेशन देने की बात नहीं है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

इसमें है। यद्यपि सरकारी अधिकारी जो कार्यान्वित करने के लिये रखा जाता है उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। यह जो मुआवजा संक्रमण करने के लिये रखा गया है वह मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि नहीं होना चाहिये। श्री भानु प्रताप सिंह या उनके ऐसे बहुत से लोगों ने अब तक न मालूम कितना अधिक मुआवजा से ज्यादा वसूल कर लिया है। इसलिये मुआवजा न रखा जाय। जो विधेयक राजस्व मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं स्वयं इस नीति के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु जो बिल आया है उसमें बहुत से दोष हैं दोनों ही पक्षों से जो सदस्यों

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

ने विचार व्यक्त किये हैं उनकी मूल भावना यही है कि जिस फार्म में यह विधेयक लाया गया है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत ही ईमानदारी के साथ इस विधेयक को वापस ले ले और जो संशोधन तिवारी जी ने रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उसको मान ले। मैं इस विधेयक का विरोध इसलिये करता हूं कि यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और न तो यह कांग्रेस की ही नीति का पालन करता है। संविधान के धारा 39 के खंड ख और ग में यह लिखा है और उसकी मंशा भी यही है कि हमारे उत्पादन के साधन एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होने दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शुक्ला जी अभी आप रुक जायं कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, सरकारी बिल पर सरकार का रुख ऐसा कभी नहीं रहा जैसा कि इस विधेयक पर है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उमाशंकर जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री उमाशंकर शुक्ल--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक न तो कांस्टीटयूशन के अनुच्छेद 39 की भावना की पूर्ति करता है और न ही कांग्रेस की निर्दिष्ट नीति का ही पोषक है। कांस्टीट्यूशन की मन्शा यह है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि गरीब और अमीर की विषमता दूर हो, उत्पादन के साधन एक जगह केन्द्रित न हो जायं और इसी तरह से सम्पत्ति भी एक ही जगह केन्द्रित न हो जाए। मुख्य उद्देश्य तो उसका यह था। सन् 1962 में कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया था कि नगर की सीमा और देहाती क्षेत्र की सीमा अनुरूप हो। यही हम लोग आशा करते थे कि दोनों विधेयक यहां साथ ही साथ आयेंगे और इस प्रकार का सरकार ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि हमारी सरकार ने उसके बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ अधिकार दे दिए हैं और मुझे अखबारों से मालूम होता है कि वहां सीमा 5 लाख के करीब रखने जा रहे हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों में विषमता तो सबसे बड़ी नगरीय क्षेत्रों में है। यहां सूरत यह है कि कम से कम 65 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास कोई रहने का साधन नहीं है। उस विषमता को दूर करने का यह तरीका नहीं था कि यह विधेयक ले आएं। मैं आपसे यह कहूंगा कि उन दोनों को साथ ही लाना चाहिए था।

आप देखें जिस फार्म में यह है उसके परिणाम क्या होंगे। आपका कहना यह है कि हम गरीबी दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जैसा कि मुख्य मंत्री जो ने 9 मई के बयान में कहा था कि लगभग 31/2 लाख एकड़ भूमि इस तरह से मिल जाएगी और ऐसा मालूम होता है कि लगभग 30 लाख हमारे यहां ऐसे मजदूर हैं जिनके पास कोई काश्त नहीं है। तो आप यह अनुमान लगाएं कि इस तरह से उनकी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। नतीजे क्या होंगे? अगर आपने वह जमीन बांट दी तो अनइकोनोमिक होल्डिंग होगी, उसे वे कर सकेंगे नहीं और उससे किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। परिणाम यह होगा कि वे जमीन को बेचेंगे और गिरवीं रखेंगे। इसके अलावा वे कुछ नहीं करेंगे। आप तो समस्या हल करना चाहते हैं, मगर उसका कोई हल इस तरह से नहीं निकलता है।

जैसा कि अभी विष्ट जी ने कहा, जिसको मैं ठीक समझता हूं कि अगर आप यह करना ही चाहते हैं, करने पर तुले हुए हैं, करवा भी लेंगे बहुमत के जोर पर, आप इस तरह का प्रतिबन्ध लगाएं कि वे न उस जमीन को बेच सकें और न रेहन कर सकें। इसके बगैर आप समस्या हल नहीं कर सकेंगे ।

दूसरी बात मुझे इस संबंध में यह निवेदन करनी है कि आपने जमीन का जो क्लासिफिकेशन किया है वह बहुत ही गलत किया है। जमीन अपनी क्वालिटी के आधार पर ही रखी जानी चाहिए। सिंचित और असिंचित का क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही गलत है। उससे बहुत लोगों की बड़ी हकतल्फी हो जाएगी ।

अब इस संबंध में एक बात मुझे यह कहनी है कि देखिए हमारे कांस्टीट्यूशन की मन्शा को जो ऐसा करने के विरुद्ध है। एक बात तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे कांस्टीट्यूशन में यह लिखा है कि सेक्स के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन– कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) (क) में केवल पुत्रों के लिए लिखा है। सेक्स के ग्राउन्ड पर पुत्रियों को उनके अधिकार से वंचित रखना अनुचित है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के विपरीत होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि पुत्रों के स्थान पर पुत्र और पुत्रियां होना चाहिए।

दूसरी बड़ी खटकने वाली बात यह है कि 12-क के प्रतिबन्ध "ग" में एक बड़ी कमी रह गयी है। उसमें यह है कि जिन लोगों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया है तो उस जमीन को भी आप ले लेंगे। उन्होंने जो ऋण लिया था इस आशा और आश्वासन के साथ लिया था कि इस जमीन से ही ऋण की अदायगी करेंगे। अब जब वह जमीन आप ले लेंगे तो उस ऋण की क्या व्यवस्था होगी। या तो उसको राइट आफ कर दीजिए या फिर उस जमीन पर ही उस ऋण को लागू रखें। इस तरह की विषमताओं की तरफ अगर ध्याने नहीं दिया गया तो लिटीगेशन बढ़ेगा।

दूसरी बात यह है कि आपकी मंशा यह है कि जमीन निकल आये लेकिन आपने उसे निकालने की पूरी-पूरी व्यवस्था नहीं की। जैसा कि और मित्रों ने भी कहा और मुझे जातीय इल्म है। हमारे यहां परगना खुटार में पंजाबी लोगों के फार्म्स हैं। वहां किसी आदमी का वजूद नहीं है। कोई पंजाब में है तो कोई बम्बई में है। अनेक बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनके हस्तांतरित करने की कोई व्यवस्था नहीं की है। आपको याद होगा दो साल पहले की बात है। सत्याग्रह हुए, गोली चली, झगड़े हुए। यह सारे किस्से हो चुके हैं। इसलिए जब तक सही व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कोई जमीन नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैं शहरी संपत्ति के बारे में जिक्र कर रहा था तो आप देखेंगे कि हमारे यहां 18 एकड़ जमीन की कीमत 60 या 70 हजार से ज्यादा नहीं आती बरक्स इसके शहरी संपत्ति पांच लाख की छोड़ रहे हैं। यह बड़ी विषमता है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इससे भी लोगों में आपस में वैमनष्य बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत जोत हदबन्दी आरोपण (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। इसके पहले जो सीमा बंदी विधेयक पास हुआ और जो कार्यवाही हुई उसका प्रतिफल क्या हुआ। जो भी जमीन निकली उसकी स्थिति गांवों में आज दस वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या है। एक तो जमीनों का वितरण न हो सका और दूसरे जो जमीनें निकलीं उनका व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। इस प्रकार जिस मंशा से हदबंदी लागू की गयी थी उसका उपयोग नहीं हो सका। जो भी जमीनें सीलिंग से निकली उसमें अधिकांश ऐसा हुआ।

[श्री रामलगन दुबे]

कि जिनकी जमीन निकली, उन्होंने ही कुछ लोगों के हाथ पैसा लेकर जबानी या लिखित रूप से पिछली तारीखों में इन्तजाम कर दिया। जब सीलिंग अधिकारी के यहां उस जमीन की बात लेकर गये तो उन्होंने उनको एग्जम्प्ट कर दिया और उनके हक में फैसला कर दिया जिनकी जमीन मालिकों ने धन लेकर नाजायज तौर पर जमीन दिया।

जो जमीन बंटी उनके बंटवारे की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। जिन लोगों को पट्टे दिये गये उनमें से मुश्किल से 10 प्रतिशत लोगों को ही जमीन पर कब्जा मिला है। हमारे यहां गोरखपुर के तराई इलाके में जमीन बांटी तो गयीं लेकिन भूमिहीनों को उन जमीनों पर कब्जा मिल नहीं सका। राजस्व मन्त्री जी गोरखपुर गये थे, मैंने उनसे कहा भी था कि किसानों की स्थिति को देख लें कि जो जमीन निकलती है या गांव समाज की जो जमीन हरिजन और पिछड़े लोगों को दी जा रही है उसकी स्थिति क्या है? पट्टे तो दिये जाते हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल पाता है। एक तरफ तो सीमाबन्दी से उन आदमियों में असन्तोष फैलता ही है। जिनकी जमीन निकलती है और दूसरी तरफ उन लोगों से भी बड़ा भारी असन्तोष है जिनके लिये जमीन निकाली जाती है लेकिन उनको न जमीन मिलती है और न कब्जा मिल पाता है। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह जमीनें उनको मिल जायं।

गांव में मुद्दतों से भूमिहीन बसे हुये हैं लेकिन उनको न देकर न मालूम कैसे दूसरे लोगों को एलाट कर दी जाती है और गांव के भूमिहीन ज्यों के त्यों भूमिहीन बने हुए हैं। ऐसे लोगों को जमीनें एलाट कर दी जाती हैं जिन्होंने कभी खेती की नहीं है। इस तरह की स्थितियो से संरक्षण करने के लिये और सीमाबन्दी का सचमुच उदेश्य है। उसको पूरा करने के लिये जरूरी है कि ठोस व्यवस्था लागू की जाय। चाहे कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट इसके लिये नियुक्त किये जायं जिनको सभी ट्रायल करने की पावर दी जाय गांवों मे जाकर देखे और जिन लोगों ने नाजायज तौर पर जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है वह उनसे जमीनें खाली करा कर गावों में बसे हुये भूमिहीनों को जमीने दे और कब्जा दिलाये। वरना सीमाबन्दी कानून का और जमीनों को निकालने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम इसकी व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है।

जहां तक मौजूदा विधेयक का सवाल है, इसमें कई मसले झगड़े के हैं जैसे सिंचित और असिंचित भूमि का अर्थ लगाना। वह केवल अधिकारियों की मर्जी पर है। इससे बहुत मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिए जरूरी है कि इसमें भी एक निश्चित व्यवस्था की जाय ताकि मुकदमेंबाजी से लोगों का संरक्षण मिल सके। इसमें जो परिवार की परिभाषा बनायी गई है "खातेदार" परिभाषा बनायी गयी। उस पर और गम्भीरता से विचार करना चाहिए और स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इससे झगड़े न बढ़ सकें और भूमि ठीक तरह से निकल कर भूमिहीनों में बंट सके।

जहां एक निजी साधनों से सिंचित जमीन का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि लोगों को अपने सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। जो लोग अपने निजी नलकूप आदि लगाये हुए हैं, उनको छूट होना चाहिए वरना उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिये जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। मान्यवर, जिस नाज-नखरे के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बिल सामने आया, उसको देखने के बाद मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि इस बिल के अन्दर न तो कोई अर्थिक बात निहित है, न सामाजिक बात निहित है और न ही इससे उन उद्देश्यों की ही पूर्ति होती है जो उद्देश्य इस विधेयक को लाने के लिये बताये गये हैं। यह बिल केवल राजनैतिक बातों से प्रेरित होकर लाया गया है जो अगले चुनाव के लिए एक हथकन्डा मात्र है। उद्देश्य में कहा गया है कि यह बिल इस 'उद्देश्य से लाया गया है कि जिससे संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) की पूर्ति हो सके। 39 (ख) में मेटीरिल रिर्सोसेज के इस्तेमाल की बात कही गयी है और वह इस प्रकार इस्तेमाल किया जायगा ताकि उससे जनहित हो सके। दूसरी बात (ग) में यह कहा है कि उत्पादन के साधन और धन का एकत्रीकरण न होने पाये। तो मैं यह समझने मे असमर्थ हूं कि इस बिल से इन उद्देश्यों की पूर्ति कहां होती है।

पहले कहा गया था कि शहरी सम्पत्ति और ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा यह सदन ही निश्चित करेगा और अभी परसों भी मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की अपने भाषण में कि हम एक दूसरा बिल इसी सदन में शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में पेश करेंगे, मगर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इन दोनों बिलों को वे एक साथ क्यों नहीं लाये। कौन सरकार के ऊपर बंदिश लगा रहा है? आसानी से इस विधेयक का नाम शहर और ग्रामीण सम्पत्ति सीमा निर्धारण विधेयक रखा जा सकता था।

कहते हैं कि दोनों की सम्पत्ति की अलग-अलग सीमा निर्धारण करने का विचार इस सरकार का है। क्यों ऐसा किया? यह बात समझने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। उसका एक ही उद्देश्य है कि इसको बार-बार टालते चले जाओ और ढिंढोरा यह पीटो कि हम तो सम्पत्ति की सीमा बांधना चाहते हैं, हम तो गरीबों का फायदा चाहते हैं। तो यह केवल जबानी जमा खर्च करने की बात करते हैं। इनका जो चुनाव हथकंडा है उसी की तहत में यह आता है। आप देखें, इससे पता चलेगा और मुझे जो प्रसन्नता होगी यदि माल मंत्री जी यह बतायें कि 10 एकड़ से 18 एकड़ के बीच ही सीमा निर्धारित की जाए, यह आंकड़ा उनके पास कहां मे आया? क्या उन्हें कोई इल्हाम हुआ था? किसी अर्थशास्त्री ने कहा, किसी समाज-शास्त्री ने कहा, किसी कृषि वैज्ञानिक ने कहा? आखिर कहां से यह आपके पास आया। यह ऐसा विषय है जो कृषि उत्पादन से अभिन्न रूप से सम्बन्धित है।

मैं पिछले महीने 'दिनमान' पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय के किसी रिसर्च स्कालर ने लिखा था कि कोई 23 सौ रुपये करीब की प्रति हैक्टर सालाना आमदनी कृषि से हो सकती है। दूसरे लोगों के आंकड़े देखे थे और उसको आधार बनाना चाहते हैं तो आवश्यक यह था कि आप इसको आमदनी के लिहाज से जोड़ते। अगर आप उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसका जिक्र आपने 'उद्देश्य और कारण' में लिखा है संविधान की धारा 39 (ख) और (ग) का, तो मैं जानना चाहता हूं कि सम्पत्ति का एकीकरण कहां हो रहा है? टाटा बिड़ला के पास हो रहा है या देहाती क्षेत्र में 10 से 18 एकड़ के बीच वाले खेतिहर लोगों के पास धन का एकत्रीकरण हो रहा है। यह चीज साफ होती तो अच्छा होता।

आप उस सीमा पर रोक लगा देते जो अन्धाधुन्ध बढ़ती चली जा रही है, जो पूंजीपति बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम यह मान सकते थे कि आप सचमुच संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अन्तर्गत काम करना चाहते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं दिया। आपने न तो आमदनी को आधार बनाया, न आपने उपज को आधार बनाया, न आपने जमीन की किस्म को आधार बनाया। आपने बनाया क्या, यह आप जानें? अगर आप पिछले विधेयक का हवाला देखें, जिसके बदले में आप इसे ले रहे हैं, जिसके स्थान पर आप ला रहे हैं, उसके आंकड़े दें जितनी जमीन पर आपने कब्जा लिया था, वह 2,15,880 एकड़ जमीन थी। और जो जमीन वितरित की जा चुकी है वह 1,67,488 एकड़ है, और इसमें शेष जो जमीन बची, उस जमीन को आप बांट सकने में समर्थ नहीं हुए हैं।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

करीब दस-बारह साल के जमाने में आप इस जमीन को आज तक वितरित नहीं करा सके। अगर आगे उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो ठीक। मुझको इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस प्रकार कब्जा करिए जिससे लोगों को जमीन मिल जाय। लेकिन आप वह भी करने में असमर्थ हैं। वह तो कोई ऐसी सरकार कर रही थी जो सरकार सचमुच इस बात को मानती जिसका तात्पर्य यह होता। लेकिन यह सरकार ढोल का पोल, जबानी जमाखर्च ढपोरसंखी बात, एक मांगों चार देंगे, चार मांगों आठ देंगे, आठ आंगो सौ देंगे, हजार देंगे। इरादा नहीं। अधिष्ठाता महोदय, एक-एक करके आप देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि इनका इरादा किस प्रकार का है। एक किस्सा याद आता है। संक्षेप में कहूंगा। एक डाकुओं के गिरोह ने एक गांव में डाका डालने की योजना बनायी। यह योजना किसी तरह से पुलिस वालों को मालूम हो गयी। जब पुलिस वाले वहां पहुंचने वाले थे तब तक डाकुओं ने क्या किया कि उससे पहले साधुओं का वेश धर कर गांव में पहुंच गये और गांव वालों से कहा कि जरा होशियार रहियेगा। आज डाकू पुलिस की वर्दी में आने वाले हैं और घोड़े पर चढ़कर आने वाले हैं। सब डाकू पुलिस की वर्दी में होंगे। हम साधू लोगों को मालूम हुआ कि गांव लूटेंगे इसलिए हम आप लोगों की सेवा में आ गये।

श्री राजमंगल पांडेय---

यह बुद्धि सिवा कल्पनाथ सिंह के अलावा किसी की हो नहीं सकती।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिसको जितनी जानकारी होगी उतना बतायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

लोगों ने तय किया कि जब पुलिस वाले गांव के बाहर दिखायी दें तो पहुंच जाओ। नतीजा यह हुआ कि पुलिस वाले ज्यों ही गांव के बाहर आये तो गांव वाले पुलिस वालों को डाकू समझ कर उनको पकड़ने चले गये और डाकू सारे गांव को लूट कर चले गये। वही हालत आज सत्तारूढ़ दल की है। सीधे-सीधे गरीबों को, किसानों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटने का प्रयास किया ह। उसी तरह से माननीय राजमंगल पांडेय कहते हैं कि ज्यादा जमीन वाले सब इधर बैठे हैं और उधर सब भूमिहीन बैठे हैं। अगर यह बात सही है कि मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो पहले विधेयक पेश हुआ था, जिसकी वापसी की सदन ने परसों इजाजत दी, उसको इस सरकार ने वापस करवाया, मैं उस विधेयक का हवाला दूंगा। उसके खंड 10 के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 12-क (1) (ख) में कहा गया है---"यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी हस्तांतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करने, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासंभव, ऐसे हस्तांतरण या विभाजन विषयक भिन्न से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे हस्तान्तरण या विभाजन का विषय हो, तो ऐसा हस्तांतरण या विभाजन, जहां तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य समझा जायगा और सदैव से शून्य होगा।"

इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यह था कि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल को लागू करने की बात थी उस आधार पर जो पुराना विधेयक था उसमें व्यवस्था थी कि अगर किसी आदमी ने अपनी जमीन किसी को बेच दी है तो वह उतनी जमीन जिसे वह बेचेगा दूसरे हिस्से से निकाल दी जायेगी और ऐसा माना जायेगा कि जैसे उसने अपनी खुद की जमीन बेची हो। लेकिन जो नया विधेयक आया है उसमें इस प्राविधान को हटा दिया गया है और कब, जब तक लोगों ने अपनी सारी जमीनें दूसरों को दे दी जिसकी वकालत कि उधर से हो रही है और थी और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गरीबों को बांट दी जायेगी। गरीब ऐसी जमीन क्यों लें?

मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका इरादा इस बिल को लाने का 24 जनवरी, 1970 को था वह आपने बदल क्यों दिया और अब साल भर के बीच 24 जनवरी, 1971 तक कर दिया । इसका क्या कारण है ? यह कौन-सा तरीका आपके पास है ? क्यों आपने अपना पिछला तर्क हटा दिया और दूसरे तरीके से लाये ? मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आप साल भर की मियाद इसलिये बढ़ा देना चाहते हैं कि आप उन लोगों को जिन्होंने अपनी जमीन को दूसरों को हस्तान्तरित कर दिया है, उस जमीन का विभाजन हो गया है उनको सही माने में आप कानूनी पेंच से बचा सकें । फिर इस बिल को पेश करने का अर्थ क्या है ? आप तो साल भर तक ढिंढोरा पीटते रहे कि हम जमीन निकाल कर गरीबों और भूमिहीनों को देंगे किन्तु इस अवधि में इस बिल के जरिये उन्होंने खुद वह जमीन ले ली । ऐसी परिस्थिति में मुझे आपकी नीयत पर शुबहा करने का पूरा-पूरा हक है ।

मैं कहना चाहता हूं कि भूमि की सीमा के निर्धारण के मामले में आप साफ नहीं हैं । आपने इस बिल से उन बडे-बडे लोगों को कानूनी छूट दी है जिनसे कि जमीन उपलब्ध हो सकती थी । तो यह आपके प्रतिक्रियावादी विचारों के दृष्टिकोण का जीता-जागता नमूना है । श्रीमन् इतना ही नहीं, आप यह भी कहना चाहते हैं कि जमीन लेकर भूमिहीनों और गरीबों को दी जायेगी । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हिसाब भी लगाया है कि कितनी जमीन बांटी जायेगी ? कोई हिसाब नहीं लगाया है । मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास करीब-करीब 40 हजार एकड़ के इर्दगिर्द ही जमीन मिलने वाली है । जो जमीन आपके पहले वक्त लाख–सवा लाख एकड़ मिलती वह अब घटकर 40 हजार एकड़ ही रह गया है । इससे ज्यादा आपको जमीन मिलने वाली नहीं है । यह आपकी चालाकी, होशियारी और तरीकों की वजह से ही है । वह जमीन अब इस बिल से ऐसे लोगों के पास पहुंच गई है जो किसी तरीके से किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दी गई है अगर उसका बयनामा वगैरह हो गया है । नियम 129 (बी) के अनुसार बांट दी गई, और बीसियों तरीकों से वह जमीन बांट दी गई है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका न कोई निश्चित इरादा है, कोई दिशा है कि आप किस तरह से भूमि की सीमा का निर्धारण करना चाहते हैं ? आप एक तरफ तो सीलिंग बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ चकबन्दी की प्रक्रिया ज्यों की त्यों जारी है । जब तक चकबन्दी की प्रक्रिया जारी रहेगी और यह भी काम चलता रहेगा तो दोनों काम एक साथ कैसे चलने वाला है । अगर आपका इरादा साफ था तो चकबन्दी की प्रक्रिया को रोक देने में कौन-सी कठिनाई है ? आपने जुलाई में फैसला किया कि बैनामें करना रोके दे रहे हैं । जब आप बैनामें करना रोक सकते हैं, हस्तान्तरण की बात रोक सकते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चकबन्दी की प्रक्रिया रोकने में कौन-सी हिचक थी ? लेकिन नहीं, वही नापाक इरादे इसमें भी आपके मालूम हो रहे हैं इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी कोई अच्छा काम पाक इरादे से हुआ करता है, इसके खिलाफ जो दूसरी बात है वह नापाक इरादे की कही जाती है, उस इरादे से कोई काम नहीं हो सकता है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा । यह जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का नीति-पत्र है उससे मैं कुछ उद्धरण देना चाहता हूं । आप देखें कि यह क्या कहता है, आंकडे क्या कहते हैं । पृष्ठ 3 के कालम 5 में लिखा हुआ है –"कृषि श्रमिकों (कृषकों सहित) एवं कृषि कार्यों में लगी हुई जन-संख्या प्रदेश के अपनी जीविका के लिये विभिन्न कार्यों में लगे समस्त कार्यरत लोगों का 75 प्रतिशत है । वर्ष 1951 में प्रदेश की समस्त कार्यरत जन-संख्या की 7.5 प्रतिशत जन-संख्या कृषि श्रमिक थी, जो 1961 में बढ़कर 11.3 प्रतिशत तथा 1971 में 19.3 प्रतिशत हो गयी ।"

कृषि श्रमिकों की संख्या 1951 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 19 3 प्रतिशत हो गयी और आप ढ़िंढोरा पीटते हैं कि हम भूमिहीनों किसानों को जमीन दे रहे हैं और भूमि-

[श्री कल्पनाथ सिंह]

हीन खेतहिर मजदूरों को जमीन देकर उनको खेती करने वाला बना रहे हैं। यही नहीं, आगे कहते हैं--कृषि श्रमिकों की संख्या में यह वृद्धि इस तथ्य का प्रतीक है कि या तो पर्याप्त संख्या में सीमान्त कृषकों ने इस अवधि में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया अथवा जो अपनी जीविका के लिये कृषि श्रमपूरक आय के रूप में कार्य करते थे वे अब इस सीमा तक कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे है कि वही उनकी जीविका का मुख्य साधन बन गया ।

सीमान्त कृषक कौन हैं ? वे किसान जिनके पास एक एकड़, आधा एकड़ जमीन है और उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया श्रमिक कृषक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और उसको अपनी जीविका का साधन बना लिया ।

श्रीमन्, कृषि उत्पादन से सम्बन्धित जो चीजें हैं उनकी भी बात की गयी । उसकी क्या हालत है । मैं आपसे निवेदन कर दूं । और वह निवेदन यह है कि:--आन्ध्र प्रदेश चावल पैदा करता है प्रति हैक्टर 1,369 किलोग्राम गुजरात--1,223 किलोग्राम, हरियाणा--1,685 किलोग्राम, महाराष्ट्र--1,227 किलोग्राम, मैसूर--1,684 किलोग्राम, पंजाब--1,725 किलोग्राम, राजस्थान--1,126 किलो ग्राम, तामिलगाडु-1,974 किलो ग्राम, पश्चिमी बंगाल--1,233 किलोग्राम। और उत्तर प्रदेश--819 किलोग्राम प्रति हेक्टर चावल पैदा करता है मक्का का भी देखिये । गुजरात प्रति हेक्टर 1,617 किलोग्राम, आन्ध्र प्रदेश--1,335 किलोग्राम, पंजाब--3,226 किलोग्राम, राजस्थान 1,516 किलोग्राम, पश्चिमी बंगाल--1,182 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश--1,217 किलोग्राम प्रति हेक्टर पैदा करता है।

अब गेहूं को लीजिये जहां हरित क्रान्ति के लिये बड़ा योगदान हुआ है उसको लीजिये। गुजरात प्रति हेक्टर पैदा करता है 1,628 किलोग्राम, हरियाणा-2,093, राजस्थान 1, 322 पंजाब 2,251, पश्चिमी बंगाल--2,188 और उत्तर प्रदेश केवल 1,286 किलोग्राम, प्रति-हेक्टर पैदा करता है । श्रीमन् जो पश्चिमी बंगाल चावल की जगह कही जाती थी उसने भी उत्तर प्रदेश को गेहूं के उत्पादन में पीछे पटक दिया है। और गन्ना को देख लीजिये। आलू और गन्ना दो कैश क्राप इस प्रदेश की मुख्य हैं । आन्ध्र में कृषक प्रति हेक्टर 77,609 किलोग्राम पैदा होता है। गुजरात 51,783 किलोग्राम पैदा करता है, हरियाणा 45,033 किलोग्राम, मैसूर--87,723 और पश्चिमी बंगाल 47,000 लेकिन उत्तर प्रदेश यहां भी उससे पीछे यानी 40 072 किलोग्राम प्रति हेक्टर यहां गन्ने की पैदावार है।

इसी नीति-पत्र के पृष्ठ 9 पर क्या कहा गया है वह भी सुन लीजिये :--

> "प्रदेश में लगभग 77 प्रतिशत कृषकों के पास जो राज्य 33 प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती करते हैं, 5 एकड़ से भी कम खेती है तथा कृषकों का यह वर्ग सामान्यत: साधनों के अभाव में उत्पन्न कृषि विधियों को अपनाने में समर्थ नहीं है। इस वर्ग में कृषि सम्बन्धी प्रविधियों की जानकारी का अभाव भी है। कृषि प्रचार के प्रति इन कृषकों को उदासीनता भी इसी कारण है। चौथी पंचवर्षीय योजना में विशेषकर छोटे किसानों के लाभार्थ कुछ परियोजनायें एवं कार्यक्रम लिये गये हैं किन्तु इस दिशा में वह केवल प्रारम्भिक कदम है।"

सवाल यह है कि जिन प्रदेशों का मैंने जिक्र किया है उनमें कृषि उत्पादन का काम आपसे अधिक क्यों रहा ? क्या यहां लैंड सीलिंग का काम आपसे अच्छा हुआ है। अगर अच्छा हुआ हो तो मैं आपका तर्क मान लूंगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि लैंड सीलिंग का काम इन प्रदेशों में हमसे आगे रहा है या पीछे। मेरा इस सरकार के ऊपर यह निश्चित आरोप है कि इसने छोटे किसानों की उपेक्षा की है और उनको साधन नहीं दिये है और केवल यह कह देना कि साधनों का अभाव है इससे काम चलने वाला नहीं है। अच्छा रहा होता यदि यह प्राविधान रहा होता कि जिन लोगों को जमीन दी जायेगी उनको सरकारी साधनों से खाद,

बीज, हल तथा अन्य आवश्यक सामान भी दिया जायेगा कि जो यह सिद्धान्त आरोपित किया जा रहा है वह गलत साबित हो जाता और सरकार की मदद स ऐसे किसान जो मजदूर होते चले जा रहे हैं, जिसके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक नहीं रहे हैं, गलत साबित होता लेकिन सरकार का इरादा यह नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है और क्या यह इससे यह ध्वनि नहीं निकलती है कि छोटे छोटे किसान साधनों के अभाव में अपनी जमीन छोड़ कर मजदूरी करना ज्यादा पसन्द करने लगे हैं अथवा गरीबी में उनकी जमीन बिक गयी है या बड़े बड़े लोगों ने उनको जमीन बेदखलकर दिया है। चाहे मुकदमें के जरिये हो या किसी और जरिये से हो क्या इस बात का प्राविधान नहीं होना चाहिये कि जो जमीन छोटे किसानों में बांटी जायेगी उसकी हर तरह से हिफाजत करना सरकारी कार्य होगा और वह छोटे किसानों की जोत से बाहर नहीं जाने पायेगी। लेकिन सरकार का इरादा साफ नहीं है। ये दिशाविहीन है और जो दल या आदमी दिशाविहीन होता है वह किसी दिशा की तरफ नहीं चल सकता है, वह तो तेली के बैल की तरह से उसी जगह पर चक्कर काटता रहता है। वह चीज यह पार्टी पर रही है। कभी कहते है कि सीलिंग से उत्पादन बढ़ जायेगा, कभी कहते है कि छोटे किसानों से खेती में कम उत्पादन हुआ है और कभी कुछ कहती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले कहा आखिर कौन सा मापदण्ड रखना चाहते हैं जिसके आधार पर एक वैज्ञानिक का रूप दिया जा सके। जैसे मैं अगर पूछूंगा कि दो और दो कितने होते हैं तो हमारे विरोधी कहेंगे कि पांच होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर कहना होगा कि चार होते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। वह कह देगी कि घटाने से शून्य रह जायेगा और कभी कह देगी कि दो और दो रखने से 22 हो जाता है। इसमें कौन से दलील की बात है। आप यह बताइये कि कैसे आपको इल्हाम हुआ कि अगर सीलिंग नही बताओगे तो जमीन खत्म हो जायेगी।

मेरा दूसरा कहना यह है कि अगर आप सम्पत्ति का एकत्रीकरण करना नहीं चाहते हो, सचमुच में समाजवाद की स्थापना चाहते हो तो मेहरबानी करके एक आधार बताइये और वह है आर्थिक और इस आधार पर आपको यह कहना चाहिये कि जितने भी धन्ना सेठ हैं उनको इससे ज्यादा रोजगार और नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार लाइसेंसिंग कमेटीज बनाकर पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उनको कच्चा माल मुहैया कराते है, एक्स-पोर्ट का माल देती है और किसानों से जमीन एक्वायर करके इनको मुहैया करती है। उनको हर प्रकार की सुविधायें प्रदान करेंगे और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि, हम तो पूंजीवाद को मिटाना चाहते हैं और प्रदेश में समाजवाद लाना चाहते हैं अथवा जो धनी और गरीब के बीच में दूरी है, उसको खत्म करना चाहते हैं। श्रीमन्, हमको तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उसी प्रकार से जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है इससे उसका हाल हरगिज भी मिलने वाला नहीं है क्यों ऐसी बात है।

लोगों को दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि रोजगार दिया जायगा। सरकारी पक्ष ने यह नहीं बताया कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बेरोजगार लोगों को छोड़ दिया जाय जो देहात में रहते हैं, शहरी बेरोजगार लोग जिनका रजिस्ट्रेशन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज है, उनकी तादाद को देख लिया जाय जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि हम लोगों को इसके द्वारा रोजगार देंगे। सिर्फ इनकी निगाह में आने वाला सन् 1974 का चुनाव है। उस समय ये कहेंगे कि हमने तो क्रान्तिकारी कदम उठायेहैं, खेतिहर मजदूरों को उससे जमीन मिलेगी जोतने के लिए और उससे उनका पालन पोषण भी होगा। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने ठीक ही कहा है कि इसे प्रवर समिति में भेज दे। यदि आप हमारी बात को मान ले तो माधव बाबू से मैं प्रार्थना कर लूंगा कि वे अपने दल की ओर से प्रस्तुत किए गये संशोधन को वापस ले। वे इस विधेयक के विरोधी नहीं हैं बल्कि आपके

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कानून के विरोधी हैं। मुझे आशा है अगर आप मेरी बात मान लें तो वे अवश्य ही तैयार हो जायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारी नीति तो घोषित है कि भूमि का सीमा आरोपण करो इसलिए विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। पर हम चाहते हैं कि विवेक से इसको करना चाहिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप सीमा आरोपण नहीं करना चाहते। इसके द्वारा आप ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं जो इस सीमा आरोपण की भी परिधि में आ जायं। आप कहते हैं कि बहुत जल्दी होनी चाहिए। अगर उन्होंने यह प्रस्ताव कर दिया कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो कहा जाता है कि बड़ी देरी हो जायगी। श्रीमन्, मई के महीने में जो बिल आया था उसको भी वापस ले लिया है। जो बिल सदन में पास था उसकी जल्दी नहीं थी और अगर माधव बाबू ने कहा कि इस पर बैठ कर हम विचार-विमर्श कर लें तो कहते हैं कि बड़ी देरी हो जायगी। तो 1974 के चुनाव को मद्देनजर रख कर ये सब बात कर रहे हैं। अगर ये यह हथकंडा अपनाना चाहते हैं तो जनता इतनी भोली भाली नहीं है। वह इसके सारे हथकंडों को समझ चुकी है। जिसने यह समझ लिया है कि प्रधान मंत्री का नारा "गरीबी हटाओ" धोखा है वह यह भी समझ गयी हैं कि जो प्रधान मंत्री की चोरी की जो सरकार यहां पर बैठी है, इसका यह अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम भी केवल धोखा मात्र है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

फैक्ट्री तो 471 एकड़ में खोली जा सकती है लेकिन इस पर सीमा....

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, अगर कोई जगा हुआ आदमी सोने का बहाना करे तो उसको नहीं जगा सकते। हमने इतना महान् परिवर्तन किया है कि बीच में भी जो दर हुई है वह जन कल्याण की भावना से ही हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो भू-स्वामियों के हित में परिवर्तन है। इसीसे हम इस पार्टी को दकियानूसी पार्टी और जागीरदारों और पूंजीपतियों की पार्टी कहते हैं। इस बिल में इन्होंने छूट दी है चाय, काफी, रबड़ की जो जमीन होगी उसको छूट देंगे, उसको नहीं छुएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि चाय, काफी और रबड़ की खेती करनेवाले लोग कौन लोग हैं। वही घन्ना सेठ हैं न वहां भी जिनके कब्जे में वह जमीन है। और ऐसे लागों के कब्जे में वह जमीन है जो हिन्दुस्तान के गिने-चुने पूंजीपति हैं। मैं सरकार को इस बात के लिये चार्ज करता हूं कि इसमें सीधे-सीधे इन्होंने पूंजीपतियों की हिमायत की है।

श्रीमन् यही नहीं आपने सहकारी समितियों का भी मार्ग खोज निकाला है जब कोई और मार्ग नहीं निकला तो। मान्यवर, एक कहावत है कि चूहे के पास सौ बिल हैं। उधर पानी डाला तो उधर भाग जाय और उधर डाला तो उधर भाग जाय। वही तरीका इन्होंने अख्तियार कर लिया है। अगर सारी बातों के बाद जमीन न बचे तो क्या करेंगे कि एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा देंगे और फिर यह बात तो जरूर कही है कि उस व्यक्ति के हिस्से में उसका ख्याल किया जायेगा लेकिन कौन ख्याल करेगा। कहीं इस बात का सवाल पैदा होता है। अगर उसका ख्याल, करना ही है तो इस ऐक्ट में इस बात का प्राविधान करने की आवश्यकता क्या है ?

जिन लोगों के पास सीलिंग के बाद जमीन बचेगी वे अपने आप कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहेंगे, लेकिन नहीं। सुना जाता है कि हजार हजार एकड़ के कोआपरेटिव फार्मिंग्स हैं। भगवान् जाने किस तरह की छूटें हैं और कौन उनका मालिक है। कौन शेयर होल्डर्स हैं। वे कोआपरेटिव सोसाइटियां इसमें आती हैं या नहीं। भगवान् ही जाने। लेकिन अगर आपका इरादा साफ है तो चाहे वह कोआपरेटिव सोसाइटी है चाहें कुछ और हो उसको छोड़ दीजिये। इसी प्रकार ट्रस्ट के बारे में उन्होंने कहा। अगर दिक्कत होगी तो ट्रस्ट बना देंगे। इधर ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्टों में यह देखेंगे कि उस ट्रस्ट की आमदनी उस व्यक्ति के हिस्से में वह व्यक्ति इस्तेमाल करता है या नहीं या उसके वारिस उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो छोड़ देंगे। इसका कौन फैसला करेगा कि वह करता है या नहीं---प्राधिकृत अधिकारी करेगा इसका फैसला और उस अधिकारी को किसी ने एक बोरा चावल या गेहूं भी पहुंचा दिया तो वह कह देगा कि इस ट्रस्ट ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है। फिर क्या होगा। अनेकों ट्रस्ट बनेंगे, अनेकों वक्फ बनेंगे और अनेकों संस्थायें खड़ी हो जायेंगी जो भूमि चोर अपनी बचत के लिये इनके माध्यम से इनकी सांठ-गांठ से अपना कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

मैं आप से जानना चाहता हूं व्यक्ति के ऊपर यदि सीलिंग लग सकती है तो ट्रस्ट के ऊपर लगने में क्या हर्ज है ? उसके कौन बाल-बच्चा रोने वाला ह ? कौन भूखों मरने वाला है ? और देखें, श्रीमन् अगर उससे भी काम नहीं चलता तो गोशाला खोल दीजिए। जहां इतने प्राविधान के बाद भी कुछ बाकी बच जाता हो तो वहां क्या करेंगे ? जितने इस प्रकार के लोग हैं उनको कोई न कोई ऐसा रास्ता खोज निकालेंगे जिसमें वह अपनी हिफाजत कर सकें। वह रास्ता क्या होगा ? इनकी गाइड लाइन्स मैं पढ़ रहा था। मुख्य मंत्रियों की कांफरेन्स में जो गाइड लाइन्स आयी हैं, उसमें क्या कहते हैं ? 54 एकड़ तक तो यह छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुगर फैक्टरी के सम्बन्ध में . . .

एक सदस्य---

हमने तो 45 एकड़ ही रखा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं गाइडलाइन की बात कह रहा हूं जिसमें आपने शुगर फैक्टरी को एक्जेम्प्ट किया है। इसमें लिखा है :---

"No exemption should be allowed in the case of sugarcane farms. However, for the purpose of research and development sugarcane farms may be permitted to retain an area not exceeding 100 acres."

श्री उदित नारायण शर्मा---

हमने तो एक एकड़ भी नहीं दिया शुगर फैक्टरीज को।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने क्या दिया और क्या नहीं दिया यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। आपने कैसे दिया है यह भी मैं अर्ज करूंगा। आपने कह दिया है कि जो इंडस्ट्री है उसकी जमीन कहीं नहीं ली जाएगी अगर उसने माल उतारने, रखने वगैरह के काम में जमीन अपने पास रख ली है तो। एक रास्ता यह भी खुल गया। फिर शुगर मिल मालिकान 100 एकड़ तक शुगर कैन फार्म के लिये नहीं रखें तो वह रिसर्च के नाम पर रास्ता निकाल लेंगे। उनके लिये यह रास्ता खुला है कि 100, 100 एकड़ तक के फार्म इस नाम पर रख लेंगे, शुगर केन के लिये नहीं रिसर्च के लिये। आप देखें कि अगर मंत्री जी को सचमुच सीलिंग करनी है तो ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे खाते भी हैं जो इस धरती पर हैं ही नहीं। क्या इस ऐक्ट में इस प्रकार का प्राविधान किया गया है। सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन निकलेगी उसको तहसीलदार

[श्री कल्पनाथ सिंह]

या एस 0 डी 0 ओ 0 रैंक के अधिकारी उसी की दिखलायें जिसकी कि वह जमीन है ? अलग अलग तरह के वे भी रास्ते निकाल लेते हैं। आप जबरदस्ती इस प्रकार का प्रोवीजन ले आये हैं जिसका सही मानों में कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार पर कितना दबाव है। हमारे जिले में हिन्दुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मिल सरदार नगर की फैक्ट्री है। पहली तो गोला गोकरन नाथ की है। सरदार शुगर फैक्ट्री के फार्म को आज तक सरकार कब्जे में नहीं ला सकी और जो वक्त गुजरा है वह सारा वक्त उनको उसका इन्तजाम करने के लिये मिल गया है। वह सरदार जी, सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया, पहले ही पी 0 सी 0 सी 0 के मेम्बर हैं, वह आज भी इन्हीं के दल के हैं और निर्विवाद चुने हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं और उस जिले के एक बड़े नेता भी हैं। वे सरकार के बड़े भारी मित्र हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

वह तो सरकार के मित्र हैं लेकिन जब आप की सरकार थी तब भी तो वह आपके मित्र थे ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

लेकिन वह मित्रता आपके साथ इतनी तेजी से नहीं बढ़नी चाहिये। मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये। जब कोई अच्छा आदमी कुसंगत में फंस जाय तो उसको जल्दी से जल्दी उससे निकल जाना चाहिये। मंत्री जी प्रगतिशील विचारों के होते हुये इसमें फंस गये हैं। आज सरकार की नीति पूंजीवादी विचारधारा की पोषक हो रही है। उनको चाहिये कि इससे अलग हो जायं। आज इस सरकार के पास न तो कोई तर्क है, न तथ्य है और न कुछ है। हम सीलिंग ले आयें जिसका चाहे कोई भी अर्थ न हो, यह तो कोई चीज नहीं है। अर्थ का अनर्थ तो न करें।

मेरा इस सरकार के ऊपर यह आरोप था कि सरकार ने लोगों के जगते हुये मन के ऊपर एक हथौड़ा मारने का उसे बिठा देने का एक नया रास्ता निकाला है। मेरा तो यही कहना है कि समाज में गैरबराबरी कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जबतक कि मौजूदा सरकार दिल्ली और लखनऊ में विराजमान है। हरगिज हरगिज वह बराबरी पूरी होने वाली नहीं है क्योंकि इस सरकार का इरादा गैरबराबरी दूर करने का नहीं है। अगर आप इस बराबरी के उद्देश, को पूरा करना चाहते हैं तो क्या करिये ? मेहरबानी करके इस बिल के साथ-साथ अलग से एक ऐसा बिल ले आइये एक व्यक्ति एक पेशा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे 5 लाख रुपये तक की सम्पत्ति का अधिकार शहर में होगा। अगर इस सीलिंग के प्राविजन के तहत में देहात में भी कोई व्यक्ति उतनी ही सम्पत्ति रख ले तो इस सरकार को कोई गुरेज नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

कोरम पूरा नहीं है और चर्चा हो रही है।

(घन्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इनका इरादा सचमुच गैर बराबरी को दूर करने का है तो एक आदमी एक पेशे का सिद्धान्त अख्तियार करें और जिन लोगों के पास

शहरों में सम्पत्ति है उनकी सारी जमीन इस ऐक्ट में संशोधन करके जप्त कर लें जो कि उनके पास देहात में है। उनके लिए यह होना चाहिये कि या तो वे देहात की सम्पत्ति को छोड़ दें और या शहर की सम्पत्ति को छोड़ दें। बड़ी वकालत कर रहे थे राज मंगल जी कि खरीद लें। इन लोगों ने तो नहीं खरीद ली है। आप शहरी सम्पत्ति के लिये भी विधेयक लाएं और इस सदन में आश्वासन दें कि इस ऐक्ट में संशोधन करके इस प्रकार का प्राविधान कर दिया जाएगा कि जो इस वक्त शहर में सम्पत्ति रखते हैं उन्हें देहात में सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा।

इतना ही नहीं, आपने बड़ी-बड़ी आमदनियों पर रोक लगाने का कोई प्राविधान नहीं किया। चौधरी साहब कह रहे थ कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे खुल जाएं। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से चौधरी साहब से और इस सारे सदन से निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब को भी इस सरकार के बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है कि वे समझ बैठे हैं कि यह सरकार पाक इरादे से, अच्छे इरादे से कोई काम करने जा रही है। अगर इनकी मंजिल निश्चित होती, उद्देश्य निश्चित होता, दिशा निश्चित हीती तो शायद ये छोटे-छोटे उद्योग धंधों के जरिये लोगों को काम देने की व्यवस्था करते। लेकिन यह वह काम नहीं करना चाहते। यह निर्विवाद सत्य है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे। वैसे कोई बन्धन नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

ज्यदा समय नहीं लूगा। मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार का इरादा साफ नहीं क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो सबसे पहला काम यह होना चाहिये था कि ऐसे बेकार लोगों को काम देने की सोचती जो कि खेती पर बोझ बने हुये हैं। वे लोग वहां से हटकर दूसरे उद्योग धंधों में लगते और जो फालतू जमीन निकलती तो वह ऐसे लोगों को, जो सचमुच खेती करने वाले लोग हैं, जो उस पर जिन्दा रहना चाहते हैं और ऐसी जिन्दगी बनाना चाहते हैं जो इस इन्सान की, जिन्दगी हो सकती है, मिला जाती। लेकिन सरकार के इरादे में यह बात नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो इस सरकार से यह उम्मीद करना कि वह कुछ करेगी ऐसे ही है जैसे बालू से तेल निकालना।

श्री राजमंगल पांडेय--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं आप का मतलब यह समझा, अगर गलत नहीं है, कि खेती से हटने के लिये छोटे उद्योग धंधे कर दिये जायें। क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश का आदमी जिसको खेती से लगाव है, उसका अपना सेन्टीमेंट है, क्या वह इस नारे से खेती से हटना चाहेगा। इसको स्पष्ट कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, मैं यह बात कहने ही जा रहा था। अच्छा हुआ मेरे मित्र ने याद दिला दी। यह सही है कि लोग पुराने जमाने में खेती की और ज्यादा आकृष्ट थे और आज भी जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है वह खेती की ओर ज्यादा झुके हैं। मैं श्रीमन्, उनको उस पंचवर्षीय योजना की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि शहरों की आबादी जिस अनुपात में बढ़ी है उस अनुपात में देहात की आबादी नहीं बढ़ी है। इसका मतलब है कि करीब दस लाख लोग इस अवधि में देहात को छोड़कर शहरों में आये। यह किस बात का द्योतक है? श्रीमन्, लोगों में धीरे धीरे एक अच्छी जिन्दगी बिताने की इच्छा हो रही है।

माध्यम कौन सा हो यह प्रश्न गौण होता है जा रहा है। आप चाहें तो सर्वे करा लें और उस सर्वे की रिपोर्ट इस सदन के सामने रख दें क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि किसी आदमी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

को रेलवे में, या एल0 आई0 सी0 में या बैंक में चपरासी होना ज्यादा पसन्द है बजाय इसके कि उसके पास पांच एकड़ की खेती रह जाय। लेकिन इनका ध्यान इस बात की तरफ जाता हीं, नहीं। यह सही है कि यह उस की भावना का शोषण करना चाहते हैं। यह समझते हैं कि गांव का गरीब समझेगा कि उसको कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है वह एक बार बेवकूफ बन जाय लेकिन ढपोरशंखी बात बाद में उसको पता चल ही जायेगी। श्रीमन्, यह इसी संभावना के तहत में काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्षमा कीजियेगा गांव के गरीब के मन में भी टीस होती है कि इस गांव में बड़े बड़े लोग हैं। उन्हीं बड़े लोगों को देखें तो कह सकते हैं कि हमसे भी बड़े लोग इस गांव में हैं। फिर उनसे जब पूछेंगे तो वह कहेंगे कि कस्बों और शहरों में बड़े बड़े लोग हैं। और फिर हिन्दुस्तान भर में 70–75 घराने सबसे बड़े घराने हैं। इन सारी सीमाओं को एक बार क्यों नहीं खत्म किया जाता। अगर चोटी काटनी है तो सब से ऊंची चोटी से काटना शुरू कीजिये। हमारा वश अगर चलता तो सब से पहले सारी ऊंचाई को काटते और गरीबी को खाई को पाटते। लेकिन यह सरकार गरीबों को महज ललचाती है। और महज एक बात देखती है कि उनका वोट उसे कैसे मिले। इसी आधार पर इनका यह सारा बिल आधारित है।

आज क्या हलत है चीफ मिनिस्टर्स की। ये तो सब हिज मास्टर्स वायस बोलने वाले लोग हैं। सारे हिन्दुस्तान के मुख्य मन्त्रियों ने बैठ कर फैसला किया और 4 सत्ताधारी कांग्रेस के के अध्यक्ष श्री शंकर दयाल शर्मा ने जो मीटिंग बुलाई थी उसने फैसला किया कि ऐग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने खेती का जो दाम तय किया है वह कम है। लेकिन शाम को जब प्रधान मत्री ने मीटिंग बुलाई और कह दिया कि तुम लोग हर्गिज हर्गिज उसके निर्धारण को गलत मत कहो तो सारे लोगों ने मान लिया। सुबह का फैसला शाम को बदल गया। तो ये चीफ मिनिस्टर्स केवल हिज मास्टर्स वायस के लिये रखे गये हैं, जिनमें से अधिकांश एक्सपोर्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी कांन्फ्रेन्स से कुछ भला होने वाला नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

एक्सपोर्टेड क्यों, क्या कहीं बाहर से आये हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

केन्द्र से प्रदेश में भेजे गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इम्पोर्टेड कहिये, एक्सपोर्टेड क्यों?

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह तो भेजे गये हैं, बुलाये थोड़े ही गये। तो जो लोग महज एक आवाज पर चलने वाले हैं, जिनकी अपनी न कोई बुद्धि है, न अपना विचार है, न अपनी कोई भावना है, महज हुक्मनामे पर चलने वाले हैं इससे न गरीबी मिटने वाली है न समाज का भला होने वाला है और न संविधान के खंड 39 (ख) और (ग) का पालन होने वाला है जिसमें धन के कन्सेन्ट्रेशन को बचाया जा रहा है। मैंने इसी सदन में एक बिल पुरःस्थापित किया कि यह प्रदेश अगुवाई करे इस मामले में कि बेकारों की बेकारी निवारण की सारी जिम्मेदारी स्टेट अपने ऊपर ले और जब तक उन को काम न दे सके तब तक उनको-बेकारी का भत्ता दे। अगर इस सरकार का इरादा साफ होता तो जो बिल मैंने पेश किया है उसके लिये सब से पहले समय निर्धारित करके अगर कोई उसमें खामियां होतीं तो उनको दूर करके उसे पास करती। लेकिन इस सरकार का ऐसा इरादा नहीं है। इनका इरादा तो महज लोगों को ललचाने का है।

जब आप किसी को ललचाकर नाजायज तरीके से खींचने का प्रयास करेंगे फिर जब उसे गुस्सा आयेगा तो उसका गुस्सा, माफ करियेगा, या तो उत्तर प्रदेश का खेतिहर मजदूर आपसे सन् 1974 के पहले पहले जमीन लेगा, काम लेगा और अगर आप नहीं दे सके तो आप को उठा कर फेंक देगा और आप की सारी राजनीतिक गोटबाजी रखी रह जायेगी। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके सोच विचार करके काम लीजिये और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ न कीजिये, उसे बन्द कीजिय। सीलिंग आर्थिक दृष्टि से लाइये। इसके लिये आप साढ़े 12 एकड़ की सीलिंग रखिये। जो भी व्यक्ति हो वह यह एफीडेविट दे कि उसके पास इससे ज्यादा भूमि नहीं है।

जो पहले का कानून है उसमें भी यह है कि कोई व्यक्ति साढ़े 12 एकड़ से अधिक नयी भूमि नहीं खरीद सकता है। जो दिल्ली से आप के पास हुकुमनामा आया है उसके अनुसार भी यह साढ़े 12 एकड़ बिलकुल ठीक बैठती है। इस विधेयक के जरिये तो आप भ्रष्टाचार के लिये चोर दरवाजे खोलते जा रहे हैं। इससे हरगिज गरीबों को जमीन मिलने वाली नहीं है। इसलिये मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि शहरी व ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा निर्धारण संबंधी विधेयक एक साथ लाना चाहिये था। एक ही बिल में दोनों का प्राविधान होना चाहिये था। आप गरीबों को जमीन तभी दे सकते हैं जब आप शहर और देहात दोनों के लिये समान दृष्टिकोण रखे। आप को दोनों में काई भेद नहीं रखना चाहिये। आज हो क्या रहा है। आप की नीति के अनुसार शहर का तो ज्यादा चीनी खा रहा है और गांव का आदमी कम। तो यह भेदभाव वाली नीति नहीं बरतना चाहिये। इसलिये मैं इस सम्मानित सदन से निवेदन करूंगा कि वह जितनी जल्दी हो सके इस सरकार को उखाड़ फेंके। मैं माल मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मेहरबानी कर के इस कुसंगत में जो फंस गये हैं उससे निकल कर एक स्वतंत्र प्रगतिशील विचार रखने वाले व्यक्ति बनें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखपाल पांडेय पर पुलिस द्वारा कथित हमले के सम्बन्ध में सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सुखपाल पांडेय का अभी माननीय कल्पनाथ सिंह के पास एक तार आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 6 बजे शाम को घर से आते समय रास्ते में पुलिस के 4 आदमी मेरे ऊपर टूट पड़े। जब मैंने फायर किया तो वे एस0 पी0 के साथ भाग गये। वे मेरी हत्या करना चाहते थे। यह तार मैं आप के पास भेज रहा हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र विक्रम जी ने श्री अधिष्ठाता को कोई तार सौंपा)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपके एस0 पी0 के बारे में उन्होंने लिखा है, आप समझते हैं कि वह तार फर्जी है तो आप उसकी जांच करा लीजिये।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७२ (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इधर एक वर्ष के अन्दर सारे देश में सभी राजनीतिज्ञों में, सभी राजनैतिक पार्टियों में और सभी अर्थशास्त्रियों में भूमि सुधार-विशेषकर भूमि सीलिंग के बारे में बराबर काफी चर्चा हुई है। इस चर्चा में जहां तक भूमि व्यवस्था का सम्बन्ध है, इसमें भूमि सीलिंग का मामला आर्थिक पहलू से भी सम्बन्धित है। हमारा देश गांवों का देश है,। गांवों में 82 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में खेती से है, लेकिन जो देहात में हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी विषमता व्याप्त है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों प्रकार की विषमता व्याप्त है। इसके कारण हमारे गांवों का स्तर नीचे गिरा हुआ है। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं या खेती की अन्य उन्नति शील मशीनें हैं, या बहुत ज्यादा सस्ते सस्ते मजदूर रखे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत बड़ी तादाद ऐसे किसानों की है जो बहुत छोटी-छोटी जोत वाले हैं और पुराने ढंग से खेती करते हैं।

मान्यवर, लोग कहा करते थे कि हरित-क्रान्ति हमारे देश में हुई। यह सही है कि हरित क्रान्ति अपन देश में हुई, लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश के करीब 10 या 12 प्रतिशत किसानों पर ही पड़ा। हमारी सरकारों ने जो तीन पंच वर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की, उसमें खेती के उत्पादन का लक्ष्य मुख्य रखा गया। इसके लिये बहुत रुपये खर्च किये गये, लेकिन इसका लाभ 10–12 प्रतिशत किसानों को ही मिला और शेष जो छोटे और मध्यम किसान हैं उनको जरा भी इसका लाभ नहीं मिला। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो विषमता थी वह बढ़ती ही गयी और उसके कारण एक अजीब स्थिति हो गई है। कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि यह सीलिंग बिल एक धोखे की चीज है–इसको लेकर छोटे किसानों को धोखा दिया जा रहा है। सीलिंग से छोटे किसानों भूमिहीन किसानों को नुक्सान होने वाला नहीं है, इसका असर कुछ थोड़े बड़े-बड़े किसानों पर पड़ने वाला है, इसलिये कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप यह बताइये कि छोटे किसानों का फायदा क्या होगा ?

श्री माता प्रसाद—

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 75.22 प्रतिशत किसान परिवारों के पास 5 एकड़ से कम जमीन थी, जो कि सारे कृषि का 19.99 प्रतिशत कही जाती है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सन् 1954–55 के अनुसार 1 एकड़ से कम या उससे भी कम या बिलकुल भूमिहीन किसानों की संख्या 47 प्रतिशत रही, इनके पास कृषि योग्य भूमि केवल 1.37 प्रतिशत थी।

10 एकड़ से ज्यादा जोत वाले किसान परिवार कुल 17 प्रतिशत थे उनके पास 65 प्रतिशत भूमि थी। 25 एकड़ से अधिक जोत वाले कुल 13 किसान 4.7 प्रतिशत थे उनके पास 30.7 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि थी। 60 प्रतिशत लोगों के पास भूमि नहीं थी या भूमि थी तो ढाई एकड़ या उससे कम भूमि थी। 30 एकड़ से बड़ी जोत वाले किसान 2 प्रतिशत थे लेकिन उनके पास 25 प्रतिशत जमीन थी। इस तरह से यह कहना कि इससे छोटे किसानों को धोखा दिया जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसका अगर कोई असर पड़ने वाला है तो 10 या 12 प्रतिशत किसानों पर पड़ने वाला है। इसलिये यह कहना कि छोटे किसानों को धोखा दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यह सही है कि हमारे देश और प्रदेश में जब हरित क्रान्ति की बात हुई और यह हुआ कि छोटे-छोटे किसान जो जोतते हैं उनको कब्जा दिया जाय तो कुछ बड़े-बड़े किसानों ने उनकी जमीन

जो उनके कब्जे में थी किसी न किसी प्रकार निकालना शुरू किया। माननीय कल्पनाथ सिंह के आंकड़ों से मैं बिलकुल सहमत हूं।

हमारे प्रदेश में ही नहीं देश में किसानों का प्रतिशत कम होता गया और मजदूरों का प्रतिशत बढ़ता गया। 1961 में 60.32 प्रतिशत किसान थे, 1971 में ये किसान 50.88 प्रतिशत हो गये। 1961 में 18.77 प्रतिशत मजदूर थे, 1971 में ये 29.98 प्रतिशत, हो गये ये भारत के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 1961 में 70.53 प्रतिशत किसान थे, 1972 में ये 63.11 प्रतिशत हो गये। 1961 में मजदूर 12.45 प्रतिशत थे, 1971 में ये हो गये 21.47 प्रतिशत। इस प्रकार हम देखें तो हमारे देश और प्रदेश में और दूसरे बहुत से राज्यों के आकड़े हैं, सब जगह के आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होता है कि 1961 के बाद दस वर्षों में औसत रूप से किसानों का प्रतिशत घटा और भूमिहीन मजदूरों का औसत बढ़ा है। इसका परिणाम यह हुआ कि गांवों में खिचाव, तनाव बढ़ता गया क्योंकि कुछ लोग बिलकुल भूमिहीन हो गये इसलिए उनमें असंतोष पैदा हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि सबसे पहले हमारे देश में तिलंगाना में एक आन्दोलन शुरू हुआ। उन्होंने जमीन पर कब्जा किया।

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सरकार ने उस आन्दोलन को दबा दिया लेकिन सारे देश के लिये वह चुनौती थी कि भूमिहीन किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। इस प्रश्न को लेकर आचार्य बिनोवा भावे न भूदान आन्दोलन शुरू किया। वह आन्दोलन चला। पहले कुछ सफलता मिली लेकिन आगे चल कर जब ग्राम दान आन्दोलन का उसने रूप धारण किया तो यह आन्दोलन एक तरह से असफल हो गया। इसके बाद पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाद के रूप में भूमिहीनों का आन्दोलन शुरू हुआ। वह आन्दोलन भी एक तरह से दब सा गया लेकिन हमारे देश की सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में आया। उन्होंने गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न को सोचना शुरू किया। इसी बीच 1969 में भारत सरकार ने मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

1 घन्टा और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है कल भी आप जारी रखेंगे। आज दो वक्तव्य भी हैं। एक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के चुनाव के सम्बन्ध में जो अनियमितता हुई है, उसके सम्बन्ध में है और दूसरा पिथौरागढ़ में पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने पर एक छात्र की मत्यु के सम्बन्ध में है।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के चुनाव को मंत्री द्वारा स्थगित कराने के सम्बन्ध म वक्तव्य

चिकित्सा मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश का 3 वर्षीय कार्यकाल, 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होता है। नये बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में चुनाव कार्य प्रगति पर है। इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के अधीन निर्मित नियमावली के नियम । के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ इस सम्बन्ध में पदेन रिटर्निंग आफिसर हैं

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

इस चुनाव के सम्बन्ध में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ मतदाताओं को भेजे गये मतपत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुए और इस कारण वे अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो रहे थे। यह शिकायत शासन तथा रिटर्निंग अफसर दोनों को ही प्राप्त हुई। इन पर सम्यक रूप से विचार करने पर यह अनुभव किया गया कि मतपत्र प्राप्त न होने के कारण मतदाताओं का मताधिकार से वंचित हो जाना उचित न होगा। अतः उक्त चुनाव नियमावली के नियम 40 के परिप्रेक्षा में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक एवं रिटर्निंग आफिसर को यह आदेश दिया गया कि वे उन व्यक्तियों को जिन्हें मतपत्र नहीं मिले, और जो उन्हें चाहते हैं, रजिस्ट्री द्वारा बैलेट पेपर दुबारा भिजवाने की व्यवस्था करें और इस हेतु मतपत्र वापस आने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर, 1972 के बजाय 31 जनवरी, 1973 कर दी जाय।

इस परिवर्तन के कारण जो लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने को उत्सुक हैं, उन्हें अवसर दिया गया है। इसके द्वारा किसी के अधिकार का न तो हनन होता है और न उसके साथ या किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है। रह गयी किसी दल विशेष के हारने-जीतने की बात, उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना उचित होगा कि चुनाव व्यक्ति निजी तौर से लड़ रहे ह, किसी दल की ओर से नहीं,

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि पहले जो तिथि 15 दिसम्बर के सायं 5 बजे तक नियत की गयी थी उस समय ही तक मतपत्र वापस आने थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि दफा 40 के अन्तर्गत शासन को अधिकार है कि मतपत्र आने की जो तिथि है उसे बढ़ा सकता है।

श्री जयराम वर्मा---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह निश्चित रूप से पूछा था कि क्या यह बात सही है कि मत पत्र वापस आने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर के 5 बजे सायं तक रखी गई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां।

श्री जयराम वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह परिवर्तन कब किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

परिवर्तन करने का विचार तो मेरे ख्याल से परसों हो गया था, विज्ञप्ति कल हुई हो।

श्री जयराम वर्मा---

मेरे पास डाइरेक्टर का एक पत्र है। उसमे लिखा है कि 15 तारीख को अंतिम तिथि थी और 5 बजे के करीब जब कि मतपत्र आने का समय समाप्त हो गया था तब उम्मीदवारों को यह सूचना दी गई कि सरकार की ओर से ऐसे आदेश आ गये हैं कि यह तिथि 15 दिसम्बर, 1972 के बजाय 31 जनवरी, 1973 कर दी गई है और बैलेट बाक्स सील नहीं किये जायेंगे और तदनुसार वे सील नहीं किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, विज्ञप्ति सम्भवतः 15 से पहले ही कर दी गयी थी। उनको जानकारी 15 को हुई होगी। बैलट बाक्स को बन्द करने न करने का क्या प्रश्न है, बैलट बाक्स तो जो सील है रिटर्निग आफिसर के पास ही है। अब तक मत-पत्र आते रहे हैं और आते रहेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह मत-पत्र वापसी के अन्तिम दिन और अन्तिम समय के बाद भी अगर परिस्थिति ऐसी हो उस समय वह समय बढ़ा सकती है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, दफा 40 में नियम 38 के उपबन्ध (1) का ध्यान रखते हुए सरकार किसी गम्भीर परिस्थिति के होने पर विज्ञापित दिनांक को बढ़ा सकती है।

श्री जयराम वर्मा---

क्या समय समाप्त होने के बाद भी बढ़ा सकती है? वह पहले ही बढ़ा सकती है लेकिन अन्तिम समय समाप्त हो जाने के बाद बढ़ाने का अधिकार नहीं है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

समय समाप्त होने के पहले ही विज्ञप्ति हो गयी थी।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या यह सही है कि सायंकाल 5 बजे जिस समय कि चुनाव समाप्त हो गया था और पेटी बन्द होने वाली थी, उस समय चुनाव बन्द करा दिया गया? यदि हां, तो ऐसी क्या परिस्थति पैदा हो गयी थी?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

चुनाव कभी बन्द नहीं कराया गया। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 15 तारीख के पहले ही विज्ञप्ति हो गयी थी कुछ मत-पत्र आये जो डाले जाते रहे हैं लेकिन जिन लोगों के पास मत-पत्र नहीं पहुंचे ऐसे कुछ मतदाताओं की तरफ से शिकायत आयी कि अभी तक यहां मतपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं अतः उन्हें मतपत्र भेजे जायं और उसकी तारीख बढ़ायी जाय। ऐसी हालत में उसके वापस आने की तारीख बढ़ायी गयी, वापसी की।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मत-पत्र आ गये हैं और कितने अभी बाकी हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

इसकी सूचना तो बैलट बाक्स में होगी लेकिन हमारे पास ऐसे हजारों प्रार्थना-पत्र आये कि हमें मत-पत्र नहीं प्राप्त हुए।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

मत-पत्र प्राप्त नहीं हुए, इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को कब प्राप्त हुई और किस प्रकार से प्राप्त हुई?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

विभिन्न स्थानों से मतदाताओं के पत्र, तार व अन्य अनेक उपायों से, इसके अतिरिक्त कैंडिडेट् और कई संस्थाओं का कहना है कि इस अमुक जिले में मत-पत्र नहीं आये और हजारों प्रार्थना-पत्र भी मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं ।

श्री जयराम वर्मा--

कितने दिन पहले यह हो गया था?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह प्रक्रिया पिछले सप्ताह से चल रही है और बराबर इस प्रकार की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि अमुक जिले में अमुक व्यक्ति को अभी मत-पत्र नहीं पहुंचा । विभिन्न जिलों से तार भी आ रहे थे इस पर विचार किया जा रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है । इसलिये न्यायिक विभाग से परामर्श करने के बाद केवल मत आने की तारीख कल बढ़ायी गयी है, चुनाव स्थगित नहीं किया गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां से मत-पत्र भेजे ही नहीं गये थे या भेजे गये थे लेकिन पोस्टल डिपार्टमेन्ट में गड़बड़ी होगयी जिससे वे नहीं मिल सके?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मत-पत्र भेजे गये थे लेकिन कुछ जिले के लोगों का कहना यह है कि उनको मत-पत्र नहीं मिल सके या बांटे नहीं गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न ऐसा है कि नियमों की आपत्ति के लिये या नियमों की व्याख्या के बारे में विचार-अन्यत्र किया जा सकता है, विधान सभा में नहीं ।

श्री जयराम वर्मा--

क्या यह बात सही नहीं है कि माननीय मन्त्री महोदय ने कल ही आदेश दिया है? अगर यह बात सही है तो उस आदेश को पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, यह सत्य है ।

श्री जयराम वर्मा--

मैं चाहता हूं कि वह आदेश पढ़कर सुना दिया जाय ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, रिटर्निंग आफिसर को 15 तारीख को लिखा गया था . . .

श्री जयराम वर्मा--

अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि परसों आदेश गये और अब कहा जा रहा है कि 15 तारीख को यानी कल आदेश गये ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, मैं सत्य ही कह रहा था और अब इस फाइल को देखने के बाद भी सत्य ही हूं । अगर आप कहेंगे तो वह फाइल श्रीमन्, आपको दिखा दूंगा । यह मामला हफ्तों से चल रहा है और

इस पर परामर्श के लिये मीटिंगें भी की गयीं और यहां से अन्तिम निर्णय 14 दिसम्बर को किया गया था। कल 15 तारीख को 11 बजे के लगभग सूचना दी गयी।

श्री मोहन लाल कपूर--

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसमें वैद्य महा सम्मेलन के प्रत्याशी भी और यू0पी0 आयुर्वेद मेडिकल असोसियेशन के प्रत्याशी भी थे और आप उस महा सम्मेलन क अध्यक्ष भी थे और जिस समय आपको बताया गया कि आप हार रहे हैं तो आपने फौरन आर्डर दिया और ऐसा आर्डर दे करके आपने एक अनियमित कार्य किया और चुनाव अनियमित हो गया। तो क्या आप फौरन जितना चुनाव हो गया है उसकी प्रक्रिया को सही मानकर जितना मतदान हो गया है उसकी गिनती कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह सत्य नहीं है। मैं प्रदेशीय वैद्य महा सम्मेलन का न अध्यक्ष हूं और न मुझे उनके नाम मालूम हैं जिनको खड़ा किया गया था।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि बहुत गम्भीर बातों पर सरकार को अधिकार है तो वह कौन-कौन सी गम्भीर बातें थीं जिनके कारण चुनाव रोका गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इससे ज्यादा गम्भीर बातें और क्या होंगी कि हजारों लोगों ने पत्र द्वारा, तार द्वारा हमसे कहा कि हमें मतपत्र ही प्राप्त नहीं हुए हैं। और चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा--

क्या यह बात सही है कि यहां कार्यालय से पहले डाइरेक्टर को फोन पर आदेश दिये गये कि इस तारीख को हटा दिया जाय और जब डाइरेक्टर ने फोन पर आदेश मानने से इन्कार किया तब आपका यह आदेश यहां से कल गया जो पांच बजे के करीब हुआ ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह सत्य नहीं है। हमारे सचिव ने ला विभाग के साथ बैठ कर परामर्श किया और उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया उसके बाद आज्ञा दी गयी थी। फोन पर आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयराम वर्मा--

आपने कहा कि ला विभाग से परामर्श हुआ। तो जो राय ला विभाग ने आपको दी क्या आप उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

ला विभाग से और हमारे सेक्रेटरी के साथ बैठकर मीटिंग हुई और जो भी निर्णय हुआ उसके बाद ही कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

श्री जयराम वर्मा--

मैं वह राय चाहता हूं कि वह क्या थी ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये उपचार अन्यत्र है, विधान सभा में नहीं है कि हम यहां व्याख्या करें कि वह वैध या अवैध था।

श्री जयराम वर्मा--

हम तो फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

सारे तथ्य तो सामने आ गये हैं ।

पिथौरागढ़ में छात्रों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 13-11-72 को जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के एक रेडियो ग्राम से यह सूचना मिली कि वहां राजकीय डिग्री कालेज के छात्र हड़ताल कर रहे हैं । इस पर प्रधानाचार्य को यह तार शासन की ओर से भेजा गया कि वह हड़ताल के कारणों की सूचना दें । इस सूचना के प्राप्त होने से पहले शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को यह आदेश दिये गये कि वे तुरन्त पिथौरागढ़ जाकर स्थिति का अध्ययन करें तथा अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को दें । शिक्षा निदेशक 27 नवम्बर को स्वयं पिथौरागढ़ पहुंचे और शासन को उनकी रिपोर्ट 1 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हुई । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में छात्रों की मांगों का विश्लेषण किया और जो छोटी-मोटी असुविधायें पुस्तकालय, क्रीड़ास्थल शुल्क मुक्ति, शौचालय, कैंटीन आदि से संबंधित थी उनका तत्काल समाधान भी कर दिया । किन्तु छात्रों की प्रमुख मांग यह रही कि प्रधानाचार्य तथा दो प्राध्यापकों के व्यवहार से वह संतुष्ट नहीं हैं तथा उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय ।

शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर विचार कर शासन 1-12-72 के आदेश द्वारा बाटनी के प्राध्यापक (डा0 के0 पी0 सिंह) को तुरन्त कार्यभार से मुक्त कर प्रतिनिधायन पर चले जाने के आदेश दिये । दूसरे प्राध्यापक (डा0 भारतभूषण गुप्त) का स्थानान्तरण एवं तुरन्त कार्य-मुक्त किये जाने के आदेश तार द्वारा 13-12-72 को निर्गत किये गये और उसी में यह भी संकेत कर दिया गया था कि प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी होंगे । दिसम्बर 14 के रेडियोग्राम द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने यह सूचना दी कि छात्रों ने कालेज के फ्लेग पोल पर काला झंडा लगा दिया है ।

राजनीति के प्राध्यापक डाक्टर गुप्त जब कालेज में गये तो उन पर छात्रों ने आक्रमण किया तथा एक दूसरे अध्यापक ने उन्हें मुश्किल से बचा लिया । प्रधानाचार्य ने कालेज को बन्द करन का निश्चय कर लिया है । 15 दिसम्बर, 1972 के रेडियोग्राम से यह दुखद समाचार मिला कि छात्रों न प्रधानाचार्य तथा प्रोफसर गुप्ता के निवास पर हमला किया तथा प्रोफेसर गुप्ता को धमकी दी कि वह यदि तुरन्त तबादले पर न चल गय तो इसके दुष्परिणाम होंगें । कालेज के अन्य अध्यापकों को आतंकित किया । प्रात: काल में विद्यार्थियों ने टेलीफून एक्स-चेंज रोडवेज स्टेशन तथा पावर हाउस को भी हानि पहुंचाने की चेष्ठा की । जिलाधिकारी पर भी हमला किया और उनकी गाड़ी को गहरी क्षति पहुंचाई ।जगह-जगह पर तैनात पुलिस गार्ड पर हमला किया गया ।

जब अभिभावक जिलाधिकारी से स्थिति को संभालने के लिये परामर्श कर रहे थे तो छात्रों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला बोला गया । जब पुलिस और मैजिस्ट्रेट न उन्हें शान्त करने की चेष्टा की तो उन पर भीषण पथराव किया गया । कुछ अधिकारी तथा 20 पुलिस कर्म-चारी तथा अन्य व्यक्ति घायल हुए । भीड़ में उत्तेजना बढ़ती गई । पुलिस ने भीड़ को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तितर बितर करने की कोशिश की व लाठी चार्ज का प्रयोग भी किया । जब इससे भी काम न चला तो गोली चलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प न रहा और गोली चलानी पड़ी जिससे 8 व्यक्तियों को चोटें आई । 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । दफा 144 लगा दी गयी है । पी0 ए0 सी0 तथा कुछ अधिकारी वहां पहुंच गये हैं । दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । मृतकों में कोई छात्र नहीं है । इस घटना की जांच करने के लिये शासन ने कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने वहां पर 14 दिसम्बर, 1972 को दफा 144 लगाया और उसके बाद 2 विद्यार्थियों श्री भूपेन्द्र सिंह और एक दूसरे को 75 मील दूर ले जाकर अल्मोड़ा में बन्द कर दिया और इस कारण से वहां पर 15 तारीख को प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज हूआ और गोली चली । क्या यह सही है कि अकारण ही वहां पर दफा 144 लगायी गयी और इन 2 विद्यार्थियों को पकड़ कर वहां से 75 मील दूर अल्मोड़ा में ले जाकर बन्द कर दिया गया?

श्री राज बिहारी सिंह---

इसकी तो सूचना नहीं है कि वे पकड़ कर कहां ले गये । 13-12-72 से विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही थी, उनके जुलूस और प्रदर्शन रोज निकलते थे । इसलिये वहां दफा 144 लगा दी गयी थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, चूंकि यह मामला नवम्बर से चल रहा था तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां के जिलाधीश और प्रिंसिपल, दोनों ने, कोई अभिभावकों की मीटिंग बुलायी थी और क्या यह भी सही है कि उस मीटिंग में सदन के 1-2 माननीय सदस्य भी मौजूद थे और क्या यह भी सही है कि उस मीटिंग में जिलाधीश ने इस प्रकार की भी धमकी भरे शब्द कहे कि उनके पास पुलिस भी है, इसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिये ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जिस समय जिलाधीश अभिभावकों से शांति की बात कर रहे थे, उस समय भीड़ ने थाने पर हमला किया । सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि जिलाधीश ने कोई धमकी भरी बात कही ।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोली चलाने के पहले यह आवश्यक होता है कि अश्रुगैस और पानी आदि का प्रयोग किया जाय, तो क्या इन सारे तरीकों का इस्तेमाल कर लिया था और पुलिस ने तब गोली चलायी या भीड़ वहां पर जिलाधीश को सुनने के लिये खड़ी थी और प्रोवोकेशन पुलिस की ओर से था, तब गोली चलायी गयी?

श्री राज बिहारी सिंह---

जैसा कि वक्तव्य में लिखा है, भीड़ को हटने के लिये कहा गया और जब वह नहीं हटी तो उनपर लाठी चार्ज किया गया । जब लाठी चार्ज के बाद भी भीड़ न हटी तो गोली चलायी गयी ।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)---

जो वहां पर दुर्घटना हुई है, उसका मुझे बड़ा खेद है और जिस गुप्ता की यहां पर चर्चा हुई है उसके बारे में मैंने स्वयं शासन को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि इन्होंने 6 महीने के

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

अन्दर केवल 3 पीरियड क्लासेज में पढ़ाये हैं और वहां के प्रधानाचार्य ने कभी भी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है और उनका व्यवहार भी विद्यार्थियों के प्रति शोभनीय नहीं है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार पुलिस ने इस प्रकार फायरिंग किया कि एक विद्यार्थी की मृत्यु हुई तो क्या डिग्री कालेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर गुप्ता की क्या क्या शिकायतें शासन के सामने आयी हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी उनकी बदली करके ही संतोष करना चाहते हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

जो मुझको मालूम हुआ है वह यह है वहां पर विद्यार्थी इसलिये नाराज थे कि दोनों प्रोफेसर्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते थे और उनका व्यवहार लड़कों के साथ अच्छा नहीं था। आपने जो शासन को सूचना दी थी उसी पर तो निदेशक शिक्षा विभाग को वहां भेजा गया कि जाकर ठीक-ठीक पता लगाओं कि क्या वस्तुस्थिति है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने वह बात दबा दी है जिसके विषय में अभी हमारे कपूर साहब ने सवाल किया था कि 14 तारीख की रात को दो छात्रों को पकड़ कर अल्मोड़ा जेल ले जाया गया और पुलिस की तरफ से इस तरह की हरकतें शुरू हुई जिसके कारण गोली चलानी पड़ी। क्या यह सही है कि उन छात्रों को ले गये या नहीं ले गये ?

श्री राज बिहारी सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इसको इस पृष्ठभूमि में देखा जाय कि न तो आजादी के पहले ही और न आजादी के बाद ही कभी पहाड़ों पर गोली आदि चली और न अशांति हुई है और न इस तरह के काम हुए हैं। उस सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के गोली चलाने से पूर्व जैसा कि ओझा साहब ने कहा न टीअर गैस और न हवाई फायर ही किये गये। परन्तु जमा भीड़ पर गोली चला दी गई जिसके कारण दो हत्यायें हो गई।

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि पहाड़ पर गोली चली। इसीलिये शासन ने न्यायिक जांच बैठा दी है कि इन बातों का पता लगा लिया जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जब जुलूस जा रहा था तो रास्ते में ही लाठी चार्ज और गोली चला दी गई। यह कहना गलत है कि छात्र थाने पर चले गये थे।

श्री राजबिहारी सिंह--

मेरा विचार है कि माननीय सदस्य शायद वक्तव्य को पूरा नहीं पढ़ सके हैं। रोडवेज बसेज और टेलीफोन एक्सचेन्ज को नष्ट करने की कोशिश सवेरे ही से की जा रही थी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, सही उत्तर नहीं दिया गया है, गोल माल उत्तर दिया गया है। क्या मन्त्री जी उस मैजिस्ट्रेट को निलम्बित करेंगे जिसके आदेश से ऐसा हुआ ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, जहां तक मुझे मालूम है वहां पर अधिकारियों को गोली विवश होकर ही चलानी पड़ी । इतना जबरदस्त पथराव हुआ कि डी० वाई० एस० पी० बेहोश हो गये । भीड़ इतनी अधिक हो गयी और पिथौरागढ़ में फोर्स कम था, गोली चलाने के अलावा और कोई साधन उनके पास नहीं था ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, यह पूरा वक्तव्य सत्य से परे है । जगह-जगह कहा गया है कि यह नुक्सान हुआ वह नुक्सान हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि किस बस का नक्सान हुआ है या और कौन-सा सरकारी नुक्सान हुआ है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय का ही नुक्सान नहीं हुआ है टेलीफोन एक्सचेन्ज के तार ही सब काट दिय गये थे ।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

मैं जानना चाहता हूं मान्यवर, कि क्या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी उसमें इन्वाल्व्ड थी जिससे गोली चलाने की नौबत आई ? वहां पर दो ब्रिगेड मिलिटरी की है। वहां से क्यों नहीं मिलिटरी मांगी गई ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसमें मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि उन्हें विश्वास था कि लोग वापिस चले जायेंगे और इस तरह का पथराव नहीं करेंगे ।

श्री त्रिबेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय, ऐसा लगता है कि लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल में बन्द कर दिया गया है । इस वक्तव्य को पढ़ने से पता चलता है कि जब जिलाधिकारी स्थिति को सम्हालने के लिये परामर्श कर रहे थे तो छात्रों द्वारा हमला बोल दिया गया पुलिस स्टेशन पर इससे यह प्रकट होता है कि हो न हो पुलिस वालों ने छात्रों के साथ कोई गड़बड़ी जरूर की, जिसके कारण पुलिस पर पथराव शुरू हो गया .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि पुलिस स्टेशन पर क्यों हमला किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो इन्क्वायरी होगी ही ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह कहा गया कि डी० एम० की कार तोड़-फोड़ दी गयी, तो क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि डी० एम० को भी कुछ चोट लगी है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी हां, साधारण चोट उनको भी हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार द्वारा यह आदेश दिये जाने के बावजूद कि इन दोनों का ट्रांसफर कर दिया जाय, यह आदेश इतनी देर से पहुंचे कि इसके पहले यह काण्ड हो गया ? और अगर ऐसा है तो जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं यह जानते हुए भी कि पहाड़ी क्षेत्र में तार देर से पहुंचता है, उन्होंने क्यों नहीं वायरलेस से सूचना दी?

श्री राज बिहारी सिंह—

जैसे ही शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट मिली वैसे ही आदेश वायरलेस से कर दिये गये थे कि ट्रांसफर कर दिया जाय।

श्री हीरासिंह बोरा—

श्रीमन्, पहाड़ में गोली चलना बहुत अनफारचुनेट घटना है। 15 नवम्बर से 29 नवम्बर तक हड़ताल चली। शासन ने डायरेक्टर साहब को जांच के लिये भेजा। हम खुद प्रयास में थे कि मामला सुलझ जाय। डायरेक्टर साहब आये। उन्होंने लड़कों को आश्वासन दिया, हमें भी आश्वासन दिया। लेकिन जो मुख्य मांग थी लड़कों की वह जितनी जल्दी पूरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन ने क्या कभी इस बात की कोशिश की कि जो प्रधानाचार्य हैं और जो छात्र हैं उनके आपस में जो मतभेद हैं, उनको दूर किया जाय और समस्या को सुलझाया जाय? ऐसा कोई प्रयास जिला प्रशासन की ओर से इस बीच किया गया?

श्री राजबिहारी सिंह—

जब शासन को पता चला तो डायरेक्टर को भेज दिया। उन्होंने वहां लड़कों को ऐड्रेस किया। उनकी मांग थी कि कैन्टीन हो, लैट्रीन की व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो। उन्होंने लड़कों से बातचीत की कि यह सारी चीज कर दी जाएगी। दूसरी मांग थी कि अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया जाय। यह मांग ऐसी नहीं है कि जिस पर शासन तुरन्त आदेश कर देता। सिद्धांततः यह उचित नहीं है कि केवल लड़कों के कहने पर ही किसी अध्यापक का ट्रांसफर तुरन्त कर दिया जाय। लेकिन लड़कों की जो मांग थी कि अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, शासन ने उस पर गौर किया और जब शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट आ गयी कि चूंकि लड़कों के हृदय में अध्यापकों की इज्जत नहीं है इसलिये उनको ट्रांसफर कर दिया जाय। दो-दो अध्यापकों का ट्रांसफर वायरलेस से कर दिया गया। श्रीमन्, प्रधानाचार्य एक मुख्य चीज होती है। यदि केवल लड़कों की ही मांग पर ट्रांसफर कर दिया जाय तो शासन कभी चल नहीं सकता।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, यह वक्तव्य बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तौर पर दिया गया है। मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं।

(श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, कौन से मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने के आदेश दिये ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, जिलाधिकारी वहां पर मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बातें इन्क्वायरी में आ जायेंगी। बहुत से सदस्यों ने इस प्रश्न से अपने को जोड़ा था इसलिये यह किया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रकार का उत्तर सरकार की तरफ से आ रहा है जिस प्रकार से सरकार गैर जिम्मेदाराना स्वयं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जबरदस्ती खड़े हो गये हैं । मैंने दूसरे सदस्य से प्रश्न करने के लिये कहा था ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब किसी प्रकार का कोई जवाब मिल ही नहीं रहा है तब मजबूर होकर मुझको पूछना पड़ता है । अगर इस सरकार का यही रवैया है तो मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक मौके पर गये और जांच की और उन्होंने सरकार से कुछ संस्तुति की । उनकी मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या थीं?

श्री राजबिहारी सिंह—

लड़कों की मांगें बहुत साधारण थीं कि उनके यहां कैन्टीन नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है या टट्टी की व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिये । डाइरेक्टर ने तुरन्त ही आदेश दिया कि इसका तुरन्त प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

संस्तुतियां क्या थीं?

श्री राज बिहारी सिंह—

उनकी यह संस्तुति थी कि दोनों प्राध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया जाय जो हो गया है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

मन्त्री जी ने जवाब दिया कि जिलाधिकारी को भी चोट आई है । इसमें लिखते हैं कि उनकी कार डैमेज हो गई । क्या मन्त्री जी ने चोट आई को अपनी तरफ से जोड़ दिया?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, वक्तव्य में तो सब दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जुडिशल इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह जुडिशल इन्क्वायरी होगी या प्रशासनिक इन्क्वायरी है?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसमें न्यायिक जांच के लिये लिखा हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जुडीशल इन्क्वायरी मुकर्रर कर दी है अब वहां पर शांति बनी रहे इसके लिये जो अधिकारी हैं उनको हटाने के बारे में क्या किया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न किया गया था और इसका उत्तर आ गया है ।

श्री राज बिहारी सिंह—

वहां के जिला अधिकारी या प्रशासन पर कोई आरोप नहीं है । वहां के प्रोफेसर्स हैं जिन पर बच्चों की नाराजगी थी और उन दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है । प्रधानाचार्य के ट्रांसफर के भी आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

और तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

तबादले पर गये कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को जो प्रश्न पूछना था वह तो पूछ लिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे सारी जानकारी मिल गयी है और जो प्रश्न मुझे पूछना था वह भी मैंने पूछ लिया ।

मान्यवर, 3 दिन पहले से गलतफहमी हो रही थी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अलीगढ़ जिले में हाथरस के बारे में प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो स्वीकार हो गया है । शेष सभी अस्वीकृत हो गई है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहते हैं सब आज ही हो जायें । हम आपको तारीख बता देंगे ।

अब हम उठते हैं और परसों 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 44 मिनट पर सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
16 दिसम्बर, 1972 ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 251 एल० ए०—1973—835 ।